मध्य प्रदेश, विधि और विधायी कार्य विभाग

–: आदेश :–

भोपाल, दिनांक 15 जून 2006

फा.क्रमांक 3(ए) 19/03/21–ब(एक), राज्य शासन, माननीय उच्चतम द्वारा रिट पिटी. (सिविल) क्रमांक 1022/89 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 21 फरवरी, 2006 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में, मंत्रि परिषद आदेश 5 जून 2006 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 1.11.1999 से निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान करता है :–

1– जल एवं विद्युत प्रभार

(1) विद्युत प्रभार –कुल प्रभार की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा प्रमिमाह रू0 1000/– (रूपये एक हजार) के अंतर्गत सरकार द्वारा न्यायिक सेवा के सदस्य को देय होगी ।

(2) जल प्रभार – कुल प्रभार की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा प्रतिमाह रू0 100/– (रूपये एक सौ) के अंतर्गत सरकार द्वारा न्यायिक सेवा के सदस्य को देय होगी ।

(3) उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति न्यायिक सेवा के सदस्य द्वारा प्रभार शुल्क की रसीद जिला एवं सेशन न्यायाधीश/विभाग प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करने पर त्रैमासिक देय होगी ।

(4) विद्युत एवं जल शुल्क की दरों में परिवर्तन होने पर अधिकतम सीमा के संबंध में समय समय पर संशोधन समाविष्ट किया जा सकेगा ।

(5) न्यायिक सेवा को जो सदस्य अपने पति/पत्नी को आवंटित शासकीय आवास गृह में निजी आवास में रहते हैं, में से किसी एक को ऐसे व्यय से छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(6) दिनांक 1.11.1999 से भुगतान प्रारम्भ किये जाने की दिनांक तक के ऐरियर्स का भुगतान रसीद/प्रमाणक प्रस्तुत किये जाने पर अधिकतम सीमा के अंतर्गत किया जायेगा । परन्तु यदि ऐसी रसीद या प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भुगतान औसत रूप से विद्युत व्यय के लिये रूपये 200/–(रूपये दो सौ) प्रतिमाह तथा जल व्यय के लिये रूपये 10/– (रूपये दस) प्रतिमाह की दर से किया जायेगा।

2– समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता

(1) न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को राज्य के व्यय पर प्रतिमाह एक राष्ट्रीय, एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं सामाजिक तथा विषयों से सम्बन्धित एक पत्रिका (माह में प्रकाशित सभी अंक) क्रय करने की पात्रता होगी । उक्त प्रयोजन में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति रसीद/प्रमाणक जिला एवं सेशन न्यायाधीश/विभाग प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रत्येक अगले माह की जायेगी ।

(2) व्ययों की प्रतिपूर्ति प्रारम्भ किये जाने के पूर्व के एरियर का भुगतान अधिकतम सीमा रूपये 300/– (रूपये तीन सौ) के अंतर्गत रसीद/प्रमाणक प्रस्तुत किये जाने पर वास्तविक व्यय के अनुसार किया जायेगा । अन्यथा औसत व्यय के रूप में रूपये 100/– (रूपये सौ केवल) प्रतिमाह की दर से उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति कीा जावेगी ।

3— नगर क्षतिपूर्ति भत्ता

राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों/ आदेश के अनुसरण में न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देय होगा ।

4— गणवेश भत्ता

न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को प्रति पांच वर्ष के ब्लाक में रूपये 5000/— (रूपये पांच हजार) मात्र गणवेश देय होगा । इस प्रयोजन के लिये प्रथम पांच वर्ष की अवधि दिनांक 1.11.1999 से प्रारम्भ होगी ।

5— वाहन भत्ता

(1) जिला एवं सेशन न्यायाधीश वरिष्ठ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में से प्रत्येक को स्वतंत्र शासकीय वाहन (कार) उपलब्ध कराई जायेगी ।

(2) चार न्यायाधीशों मध्य एक शासकीय पूल कार उपलब्ध कराया जाना है । इस प्रयोजनों हेतु महानगर (भोपाल, जबलपुर, इंदौर तथा ग्वालियर) में से प्रत्येक पूल का 150 लीटर एवं अन्य स्थानों के लिये 125 लीटर प्रेट्रोल/डीजल प्रतिमाह की सीमा तक देय होगा ।

(3) ऐसे न्यायिक अधिकारी जो पूल कार का विकल्प नहीं चुनते हैं तथा जिनके पास स्वयं का वाहन है उन्हें निजी कार के लिये 75 लीटर (भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर तथा इंदौर शहर में पदस्थापना के दौरान) तथा अन्य शहरों में पदस्थापन के दौरान 50 लीटर पेट्रोल/डीजल तथा दोपहिया वाहन का प्रयोग करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिये 25 लीटर पेट्रोल प्रति माह की सीमा तक देय होगा । (स्वयं के वाहन से तात्पर्य न्यायिक अधिकारी के पाम से अथवा उसके पति/पत्नी के नाम से पंजीकृत वाहन होगा)

(4) वित्त विभाग द्वारा निर्धारित आसान किश्तों तथा नाम मात्र की ब्याज दर पर न्यायिक सदस्य को स्वयं का वाहन क्रय किये जाने`तु रूप्यके 2.5 लाख तक का ऋण राज्य सरकार द्वारा दिया जावेगा ।

6. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक सेवा के सदस्यों को निम्नानुसार अतिथि सत्कार भत्ता देय होगा —

	श्रेणी	रूपये प्रतिमाह
1.	जिला न्यायाधीश	1000/— (रूपये एक हजार)
2.	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ वेतनमान)	750/— (रूपये सात पचास)
3.	सिविल न्यायाधीश	500/— (पांच सौ रु0)

7. पहाड़ भत्ता

राज्य सरकार द्वारा पहाड़ भत्ता दिये जाने के संबंध समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में उक्त भत्ता न्यायिक सेवा के सदस्यों को देय होगा ।

8. चिकित्सा सुविधा

(1) मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (1—क) (यथा संशोधित) के अनुसार तथा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार न्यायिक सेवा के सदस्य चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक संभागीय/जिला तहसील मुख्यालयों में स्थिति शासकीय तथा निजी अस्पताल/चिकित्सालयों की सूची यथा संभव शीघ्र प्रकाशित करेगा जहां न्यायिक सेवा के सदस्य तथा उनके परिवार के सदस्य चिकित्सा करा सकेंगे ।

(3) न्यायिक सेवा के सदस्य तथा उनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल/चिकित्सालयों में चिकित्सा परामर्श शुल्क एवं उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति (जिसमें रोगी के ठहरने का शुल्क भी सम्मिलित होगा) प्राप्त करने के अधिकारी होगे ।

(4) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल/चिकित्सालय तथा सरकार द्वारा संचालित अस्पताल/चिकित्सालय के अतिरिक्त न्यायिक सेवा के सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य अपनी चिकित्सा अन्य किसी स्थान में भी करा सकेगे तथा परामर्श/उपचार व्यय (जिसमें रोगी के ठहरने का शुल्क भी सम्मिलित होगा)की प्रतिपूर्ति उसी तरह प्राप्त करने के अधिकारी होगे जैसा कि वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल/चिकित्सालय में प्राप्त करने के अधिकरी हैं ।

(5) न्यायिक सेवा के सदस्य स्वयं अपने तथा परिवार के सदस्यों की चिकित्सा/उपचार में होने वाले संभावित व्यय का 80 प्रतिशत अग्रिम प्राप्त करने के अधिकारी होगे । शेष राशि का भुगतान देयक के प्रस्तुत एवं स्वीकृत होने पर ही देय होगा ।

(6) चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु, देयक के साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया उपयुक्तता प्रमाण–पत्र (Essentiality Certificate) उपचाा पर्चा, व्यय प्रमाणक, आदि प्रस्तुत करना होगा । उक्त देयक जिला एवं सेशन न्यायाधीश को छोड़कर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के संबंध में उच्च न्यायालय/विभाग प्रमुख, ऐसे देयक को स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगे ।

(7) देयकों की प्रतिपूर्ति के संबंध में विवाद की स्थिति में राज्य शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावेगा । तत्संबंध में राज्य शासन का मत अंतिम होगा ।

(8) इसके पूर्व वर्णित उपबंधों के अध्याधीन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों का भुगतान किया जावेगा, परन्तु गंभीर और खर्चीले उपचार–जैसे हद्‌य–शल्य–किया, गुर्दा–प्रत्यारोपण आदि के मामलों में, उपरोक्त सीमा लागू नहीं होगी । ऐसे उपचार में किये गये वास्तविक उपचार व्यय की सम्पूर्ण राशि प्रतिपूर्ति योग्य होगी ।

(9) जैसा कि इसके पूर्व विहित किया गया है, इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को किसी तरह का देयक अथवा प्रमाणक प्रस्तुत किये बिना दिनांक 1.11.1999 से रूपये 100/–(रूपये एक सौ) प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता वेतन के साथ देय होगा ।

9– अवकाश/ गृह यात्रा भत्ता

(1–क) न्यायिक सेवा को प्रत्येक सदस्य को अपने परविार सहित, प्रात्येक चार वर्ष के ब्लाक में, अपनी पदस्थापना स्थान से भारत के किसी भी स्थान तक, एक बार आने जाने के लिये, अवकाश यात्रा भत्ता, पात्रता अनूुसार देय होगा ।

(1–ख) अवकाश यात्राा भत्ता, प्रथम बार पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ही देय होगा ।

(1–ग) सेवा के अंतिम वर्ष में चार वर्ष में उक्त अवकाश यात्राा भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(1–घ) इस प्रयोजन के लिये चार वर्ष की अवधि का ब्लाक दिनांक 1.11.1999 से प्रारम्भ होगा ।

(2–क) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को परविार सहित अपनी पदस्थापना स्थान से गृह जिले में स्थित निवास स्थान में आने जाने हेतु प्रति दो वर्ष के ब्लाक में एक बार गृह यात्रा भत्ता देय होगा ।

(2–ख) उक्त गृह यात्रा भत्ता राज्य शासन के नियमानुसार देय होगा ।

(2–ग) गृह यात्रा भत्ता के प्रयोजन के लिये दो वर्ष की अवधि का ब्लाक, दिनांक 1.11.1999 से प्रारम्भ होगा ।

10– विशेष वेतन

राज्य सरकार के परामर्श से, उच्च न्यायालय द्वारा, निर्मित नियमों के अनुसार, न्यायालय समय के पश्चात, प्रशासनिक कार्य करने वाले, न्यायिक सेवा के सदस्यों को विशेष वेतन देय होगा ।

11– समवर्ती प्रभार भत्ता

अपने न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय का लगातार दसे कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिये प्रभार प्राप्त करने वाले न्यायाधीश द्वारा यि ऐसे न्यायालय का पर्याप्त न्यायिक कार्य, निष्पादित किया जाता है तो ऐसे न्यायाधीश को, अतिरिक्त प्रभार के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के, वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि, अतिरिक्त प्रभार भत्ता के रूप में देय होगी ।

12– अवकाश नगदीकरण तथा अवकाश वेतन

1. न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को, दोवर्ष के अंतराल में एक माह की अवधि का अवकाश, नगदीकरण कराने की पात्रता होगी ।

2. न्यायिक सेवा के सदस्य को, अवकाश नगदीकरण कराने से प्राप्त राशि कर मुक्त होगी ।

3. अवकाश नगदीकरण की उक्त सुविधा सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली सुविधा के अतिरिक्त होगी ।

4. न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को, अर्ज्रित अवकाश लेने के लिये बाध्य नहीं किया जावेगा ।

13– स्थानातरण अनुदान/विस्थापन अनुदान

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को स्थानांतरित किये जाने पर भारत सरकार के नियमानुसार, स्थानांतरित स्थान की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक होने की दशा में ण्क माह के मूल वेतन के बराबर राशि तथा 20 किलोमीटर से कम दूरी की स्थिति में, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, एक माह के मूल वेतन की 1/3 (तिहाई) के बराबर धनराशि, स्थानांतरण अनुदान के रूप में, स्थानातरण भत्ते के अतिरिक्त देय होगी ।

14– आवास किराया भत्ता

1. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, के न्यायाधीशों को, जिस तरह निःशुल्क प्रभार के साथ आवास उपलब्ध कराया जाता है, उसी तरह न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को, प्राथमिकता के आधार पर, उनकी पात्रता के अनुरूप, निःशुल्क प्रभार के साथ,कार्यालयीन आवास गृह, राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।

2. यदि न्यायिक सेवा के सदस्य को, उनकी पात्रताअनुसार, शासकीय आवास गृह उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो जिला कलेक्टर उक्त प्रयोजन हेतु पात्रतानुसार उपयुक्त आवास गृह अधिगृहीत करेंगे, अथवा पात्रतानुसार, निजी आवास किराये पर लेकर, न्यायिक सेवा के सदस्य को उपलब्ध करायेंगे । उकत प्रकार से अधिगृहीत किये गये/उपलब्ध कराये गये कार्यालयीन आवास गृह का भाड़ा राज्य सरकार द्वारा सीधे भवन स्वामी को देय होगा ।

3. न्यायिक सेवा के जो सदस्य, स्वयं के आवास गृह में रहते हैं, वह राज्य शासन के नियमानुसार, आवास किराया भत्ता, प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में रखते हुये, प्रत्येक न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में, एक सोफा सेट,पूरे कक्ष के लिये कारपेट, दो साइड टेबिल, दो कुर्सिया तथा 6 व्यक्तियों के उपयोग में आने वाला टी–सेट, राज्य शासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को आवास गृह के आवंटन के संबंध में,पात्रता निम्नानुसार होगी :–

(वेतनमान 9000–14550) एफ–1 टाइप आवास गृह
(वेतनमान 10750–14900) ई– टाइप आवास गृह
(वेतनमान 12850–17550) ई– टाइप आवास गृह
(वेतनमान 12850–17750) ई– टाइप आवास गृह

(वेतनमान 14200–18350) डी– टाइप आवास गृह
(वेतनमान 16750–20500) डी– टाइप आवास गृह

(वेतनमान 18750–23850) सी– टाइप आवास गृह

(वेतनमान 22850–24850) बी– टाइप आवास गृह

15. दूरभाष सुविधा

(1) राज्य सरकार प्रत्येक न्यायालय को, एस.टी.डी सुविधा सहित, एक दूरभाष उपलब्ध करायेगी ।

(2) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को, उसके कार्यालयहन आवास में दूरभाष की सुविधा एस.टी.डीसहित सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी परन्तु सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ वेतनमान) तथा सिविल न्यायाधसीश (कनिष्ठ वेतनमान) को, उक्त सुविधा एस.टी.डी के बिना होगी ।

(3) दूरभाष विभाग द्वारा दूरभाष के लिये अनुज्ञात नि श ुल्क काल के अतिरिक्त प्रत्येकन्यायिक अधिकारी को निम्न तालिका के अनुसार काल्स की पात्रता होगी –

अधिकारी का पदनाम एवं वर्ग	निःशुल्क काल्स की सीमा प्रति दो मास)	
	कार्यालय	आवास
जिला एवं सेशन न्यायाधीश (कार्यालयीन आवास एवं कार्यालय में एस.टी.डी. सुविधा सहित)	3000	2000
अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश (कार्यालयीन आवास एवं कार्यालय में एस.टी.डी. सुविधा सहित)	2000	1000
सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ वेतनमान) तथा सी.जे.एम. को उनके कार्या–	2000	1000

लय
आवास एवं कार्यालय में एस.टी.डी. सुविधा सहित अन्य को एस.टी.डी. सुविधा के बिना)

सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वेतनमान)	1500	750

दूरभाष स्थापना का व्यय, एवं उपरोक्त वर्णित तालिका से दर्शायी गईसीमा के अंदर दूरभाष देयकों का भुगतान, कार्यालय (राज्य शासन) द्वारा किया जावेगा । इस सीमा से अधिक के देयकों का भुगतान, उस सीमा तक, जितनी अधिक है, का भुगतान संबंधित न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा ।

न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों के संबंध में

16. चिकित्सा सुविधा

न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों की तरह, उक्त सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को चिकित्सा सुविधा/भत्ते देय होगे । यह चिकित्सा भत्ता दिनांक 1.11.1999 से देय होगा ।

17. गृह सहायक भत्ता

दिनांक 1.11.1999 से न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य को गृह कार्य के संबंध में प्रतिमाह रू0 1250/—गृह कार्य सहायक भत्ता देय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.पी. तिवारी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0फा. 3 (ए) 19/03/21—ब (एक) भोपाल, दिनांक 15 जून 2006
प्रतिलिपि :—

1— याचिका के प्रभारी अधिकारी सचिव, म0प्र0 शासन विधिओर विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर प्रेषित । कृपया पालन प्रतिवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करें ।
2— स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन विधि और कार्य विभाग भोपाल
3— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल को मंत्री परिषद आदेश दिनांक 05.06.2006 की छायाप्रति तथा विमागीय संक्षेपिका की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है किमंत्री परिषद के निर्देशानुसार विभागीय संक्षेपिका दिनांक 19.5.06 की कंण्डिका 4 में दर्शाये अनुसार आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की पूर्ति हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करें ।
4— रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर
5— रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर/ग्वालियर
6— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल
7— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल

8— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
9— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय भोपाल
10— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय भोपाल
11— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन उर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल
12— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्रालय भोपाल
13— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल
14— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
15— सचिव म0प्र0 लोकायुक्त कार्यालय भोपाल
16— रजिस्ट्रार कल्याण आयुक्त भेपाल गैस त्रासदी भोपाल
17— संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 शासन सतपुडा भवन की ओर आदेश की कंण्डिका 8 (2) में अंकित कार्यवाही अविलम्ब किये जाने हेतु अग्रेषित ।
18— संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल
19— रजिस्ट्रार न्यायिक अकादमी भोपाल
20— रजिस्ट्रार माध्यस्थम अधिकरण भोपाल
21— रजिस्ट्रार नेशनल ला इंस्टीटयूट यूनिवर्सिटी भोपाल
22— रजिस्ट्रार म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल
23— स्थापना शाखा विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल ।
24— श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल अध्यक्ष म0प्र0 न्यायाधीश संघ जिला न्यायालय इंदौर
25— महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर
26— समस्त जिला सेशन्स न्यायाधीश मध्य प्रदेश
27— समस्त कोषालय अधिकारी म0प्र0
28— सचिव राज्य पाल सचिवालय भोपाल
29— रजिस्ट्रार मानव अधिकार आयोग भोपाल
30— संचालक कोष लेखा एवं पेंशन भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(शिवनारायण द्विवेदी)
सचिव
म0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश ,शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3 (ए) 19/03/21—ब (एक)   भोपाल, दिनांक 30नवम्बर 2006

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल
म0प्र0 उच्च न्यायालय
जबलपुर

विषयः—म0प्र0 न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 1.11.99 से प्रदान की गई विविध सुविधाओं के संबंध में ।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र क्रमांक ए/2268 दिनांक 29.8.06 का अवलोकन करें, । रिट पिटीशन सिविल क्रमांक 1022/89 आल इंडिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2006 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में मंत्रि परिषद के आदेश दिनांक 5.6.2006 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 1.11.1999 से वेतन/भत्ते के अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया था । उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि राज्य सरकार का उक्त आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में जारी किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने से यह स्वष्ट होता है कि इस प्रयोजन के लिये माननीय न्यायमूर्ति शेट्टी जी की अध्यक्षता में गठित आयोग की अनुशंसाओं पर आवश्यकतानुसार परिवर्धन और परिवर्तन करते हुये उक्त अनुशंसाओं के अनुरूप न्यायिक सेवा के अधिकारियों को सुविधाए प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अर्थात उच्चतम न्यायालय का निर्णय शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं पर अवधारित है । अतः राज्य शासन द्वारा दिनांक 15.6.2006 को जारी किये गये आदेश का अर्थान्वयन इसी परिप्रेक्ष्य में किया जाना है ।

उक्त संबंध में इस विभाग के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19/03/21—ब (एक) दिनांक 15.6.2006 के अनुसरण में संशोधित आदेश की प्रति संलग्न करते हुये बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार है :—

1— <u>न्यायिक अधिकारियों को पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति</u> —

(1) राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश फा. क्रमांक 17 (ई) 12/92/21—ब (एक) दिनांक 13.02.94, 23.09.98, 11.04.05, 15.09.05 की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुये निर्देशित है कि उक्त आदेशों के अनुसरण में न्यायाधीशों को वाहन भत्ते का भुगतान किया जाने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।

(2) वाहन भत्ते के भुगतान के लिये न्यायाधीश द्वारा व्हाउचर पेश किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

(3) पेट्रोल/डीजल के मूल्य का निर्धारण (भत्ता प्राप्त करने वाले न्यायाधीश के विकल्प पर) देय माह में पेट्रोल/डीजल के औसत मूल्य के आधार पर अथवा न्यायाधीश द्वारा बताये गये क्रय मूल्य के आधार पर किया जाए ।

(4) वाहन भत्ते के रूप में न्यायाधीश ने जितनी राशि का भुगतान पूर्व में प्राप्त किया है उसे कम करके शेष ऐरियर राशि का भुगतान किया जाए ।

2. कार ऋण सुविधा

उक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा ब्याज निर्धारण के लिये नस्ती वित्त विभाग को भेजी गई है । उक्त संबंध में वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय को अवगत कराया जावेगा ।

3. न्यायिक अधिकारियों को एल.टी.सी. सुविधा

उक्त संबंध में आदेश दिनांक 15.06.2006 में आवश्यक संशोधन समाविष्ट किया गया है । तदनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

4. अवकाश नगदीकरण सुविधा

उक्त संबंध में आदेश दिनांक 15.06.2006 में आवश्यक संशोधन समाविष्ट किया गया है । तदनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

5. निःशुल्क आवास एवं आवास किराया भत्ता

(क) प्रथम अनुपूरक अनुमान में इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,09,16,000/—का प्रावधान किया गया है । इस अनावर्ती व्यय की मद में से न्यायाधीशों के वेतन से काटे गये मकान किराये का भुगतान उन्हें किया जाना किया जाना है ।

(ख) न्यायिक सेवा के जो सदस्य स्वयं के आवास गृह मे रहते है, उन्हें राज्य सरकार के जिन नियमों के अनुसार आवास किराया भत्ता दिया जाता है उसी मद से आदेश की कंण्डिका 14 के उपखण्ड 2 के अनुसार अधिगृहित आवास गृह का भाड़ा राज्य सरकार/राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अर्थात कार्यालय प्रमुख द्वारा सीधे भवन स्वामी को दिया जायेगा ।

6. दूरभाष सुविधा

दूरभाष सुविधा न्यायाधीशों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायाजाना है । राज्य सरकार द्वारा ही न्यायाधीश के कार्यालय एवं आवास गृह में दूरभाष संस्थापित किया जाना है । अतः राज्य सरकार द्वारा जिस दिनांक से ऐसे दूरभाष स्थापित किये जाएंगे उनका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

7. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों बावत

आदेश कंण्डिका 16 एवं 17 में न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को सुविधाएं दिय जाने का निर्देश दिया गया है । उक्त सुविधाएं सेवानिवृत्ति के पश्चात देय है । अतः सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवानिवृत्त अधिकारियों को सरकार द्वारा जो सुविधा अर्थात पेंशन, जिन नियमों के अनुसार ऐसे न्यायाधीशों को जहां से प्रदान की जाती थी वहीं से ऐसे न्यायाधीश उक्त सुविधाएं भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

8. बजट अधिकारी के पत्र क्रमाक बी/4438 दिनांक 21.8.2006 के संदर्भ में बिंदुवार वस्तुस्थिति इस प्रकार है :—

बिंदु क्रमांक 1 के संबंध में —

चिकित्सा सुविधा—

'' न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के संबंध में राज्य शासन के आदेश दिनांक 15.6.2006 की कंण्डिका 8 की उप कंण्डिका 6 के प्रावधान लागू होंगे ।''

गृह कार्य भत्ता

'' न्यायिक सेवा से सेवा निवृत्त सदस्य जिस जिले से पेंशन प्राप्त करते हैं उस जिले के जिला एवं सेशन न्यायाधीश अथवा कोषालय अधिकारी के समक्ष गृह सहायक भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश अथवा कोषालय अधिकारी ऐसा गृह सहायक भत्ता का भुगतान प्रतिमाह किये जाने का आदेश संबंधित कोषालय/बैंक को प्रेषित करेंगे । इसी प्रक्रिया का अनुसरण एरियर की राशि का भुगतान करने के लिये भी किया जावेगा ।''

बिंदु क्रमाक 2 के सबंध में –

''हां ''

बिंदु क्रमांक 3 के संबंध में –

'' हां ''

बिंदु क्रमांक 4 के संबंध में –

'' विधि विभाग का आदेश दिनांक 15.6.2006 इस विषय के संबंध में स्वयं स्पष्ट है । न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को चिकित्सा सुविधा भत्ता तथा गृह सहायक भत्ता दिया जाना है । न्यायाधीश कब सेवा निवृत्त हुए या कब सेवा निवृत्त होंगे यह प्रश्न ही अद्भुत नहीं होता है।

(शिव नारायण द्विवेदी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
–: आदेश –:

भोपाल, दिनांक 30नवम्बर 2006

फा.क्रमांक 3 (ए) 19/03/21–ब (एक), राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.6.2006 की कंडिका 5, 9 एवं 12 में निम्नानुसार संशोधन करता है :–

संशोधन

उक्त आदेश में :–

(1) कंडिका 5 में, उप कंडिका (3) के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :–

'' (3) ऐसे न्यायिक अधिकारी जो पूल कार का विकल्प नहीं चुनते है तथा जिनके पास स्वयं का वाहन है उन्हें निजी कार के लिये 75 लीटर (भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर तथा इंदौर शहर मे पदस्थापना के दौरान) तथा अन्य शहरों में पदस्थापना के दौरान 50 लीटर पेट्रोल/डीजल अथवा उसका समतुल्य मूल्य तथा दुपहिया वाहन का प्रयोग करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिये 25 लीटर पेट्रोल अथ्वा उसका समतुल्य मूल्य प्रतिमाह की सीमा तक देये होगा । (स्वयं के वाहन से तात्पर्य न्यायिक अधिकारी के नाम से अथवा उसके पति/पत्नी के नाम से पंजीकृत वाहन होगा।) ''

(2) कंडिका 9 में, उप कंडिका (1–ड.) के पश्चात निम्नानुसार कंडिका (1–ड.) प्रतिस्थापित की जाती है :–

'' (1–ड.) उक्त यात्रा हेतु पात्रता राज्य के नियमानुसार होगी, अर्थात म0प्र0 यात्रा भत्ता नियम (जिसमें भत्ता सम्मिलित नहीं होगा) के पूरक नियम 4 में दिये गये शासकीय सेवकों के वर्गीकरण के अनुसार यात्रा पात्रता होगी ।''

(3) कंडिका 12 में, उप कंडिका (1) के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :–

'' (1) न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को दिनांक 1.11.99 से दो वर्ष के अंतराल में, एक माह की अवधि का अवकाश नगदीकरण कराने की पात्रता होगी । ''

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(पी.पी.तिवारी)

प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0 फा. 3 (ए) 19/03/21–ब (एक), भोपाल, दिनांक नवम्बर2006
प्रतिलिपि :–

1– रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर /ग्वालियर,
2– रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
3– प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, डी.के. भवन, रायपुर (छ.ग.)
4– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन गृह विभाग मंत्राालय भोपाल,
5– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल
6– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
7– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय भोपाल
8– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय भोपाल
9– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन उर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल
10– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्रालय भोपाल
11– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल
12– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
13– सचिव म0प्र0 लोकायुक्त कार्यालय भोपाल
14– रजिस्ट्रार कल्याण आयुक्त भेपाल गैस त्रासदी भोपाल
15– संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल
16– रजिस्ट्रार न्यायिक अकादमी भोपाल
17– रजिस्ट्रार माध्यस्थम अधिकरण भोपाल
18– रजिस्ट्रार नेशनल ला इंस्टीटयूट यूनिवर्सिटी भोपाल
19– रजिस्ट्रार म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल
20– स्थापना शाखा विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल ।
21– श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल अध्यक्ष म0प्र0 न्यायाधीश संघ जिला न्यायालय इंदौर
22– महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर
23– समस्त जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश मध्य प्रदेश
24– समस्त कोषालय अधिकारी म0प्र0
25– सचिव राज्यपाल सचिवालय भोपाल ।
26– रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन, भोपाल
– सचिव महामहिम राज्यपाल सचिवालय राजभवन भोपाल ।
27– संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(शिवनारायण द्विवेदी)
सचिव
म0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक (ए)71/06/21–ब (एक), भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2006

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
इंदौर तथा दतिया (म0प्र0)

विषयः–न्यायाधीशों के लिये आवास गृहो के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

————————

राज्य शासन, उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार दिनांक 21.8.2006 को आयोजित स्थाई वित्तीय समिति की बैठक मे लिये गये निर्णयों के आलोक मे निम्नानुसार आवास गृह मानचित्र संलग्न है) के निर्माण की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है :–

क्रमांक निर्माण कार्य	उच्च न्यायालय का प्रस्ताव	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
(1) इंदौर में मान.न्यायाधिपतियों के लिये 2 ''ए'' टाइप बंगलों का निर्माण	ए/1040दि.1.5.06	81.41.500/–	81,41,500
(2) सेंवढ़ा जिला दतिया में एक ''ई' टाइप आवास गृह का निर्माण	बी/123 दि0 6.1.06	7,39,000/–	7,39,000/–
(3) भाण्डेर जिला दतिया में एक ''ई' टाइप आवास गृह का निर्माण	बी/123 दि0 6.1.06	7,39,000/–	7,39,000/–

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 67– लोक निर्माण कार्य–0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना (2450)न्याय प्रशासन–64 वृहद निर्माण कार्यो के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

उपरोक्त स्वीकृति स्थाई वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 21.8.2006 द्वारा प्रदान की गई है ।

मध्य प्रदेश शासन राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(पी.पी.तिवारी)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

//स्थाई वित्तीय समिति की बैठक हेतु संक्षेपिका //

बैठक दिनांक 8.11.2006
स्थान–सचिव श्री शिव नारायण द्विवेदी
के कक्ष में ।
समय– 12 बजे दोपहर

विषय :–सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 के लिये न्यायालय कक्षों का निर्माण किया जाना ।

राज्य सरकार ने प्रदेश में 361 सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 के नवीन पद सुजित किये जाने का निर्णय लिया है । उक्त निर्णय के अनुशरण में न्यायाधीशों के लिये न्यायालय के कक्षों का निर्माण किया जाना है । राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त प्रयोजन के लिये 1.5 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया है । एक न्यायालय कक्ष का निर्माण किये जाने में लगभग 13,82,000/– की अनुमानित लागत बतलाई गई है ।

2/ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रतलाम में 3, रीवा में 1, मउ गंज में 1, सेंधवा में 2, खण्डवा में 1, राधवगढ़ में 1, चंदेरी में 1 कुल– 10 न्यायालय कक्ष निर्मित किये जाने का परामर्श दिया है ।

3/ उतः उपलब्ध बजट राशि में से 10 न्यायालय कक्ष लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन तथा मानचित्र के अनुसार निर्मित किये जाने की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है ।

(ासंक्षेपिका प्रमुख सचिव विधि द्वारा अनुमोदित है)

(शिवनारायण द्विवेदी)
सचिव

म0प्र0 शासन विधि और विधायी कार्यविभाग

मध्य प्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.कमांक 17(ई)71/06/21–ब (एक), भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2006
प्रति,

कार्यपालन यंत्री
सागर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जबलपुर
तथा श्योपुर (म0प्र0)

विषयः–नवीन न्यायालय भवनों के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

राज्य शासन, उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार दिनांक 21.8.2006 को आयाजित स्थाई वित्तीय समिति की बैठक मे लिये गये निर्णयों के आलोक मे निम्नानुसार नवीन न्यायालय भवनों (जिनके मानचित्र संलग्न है) के निर्माण की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति स्वीकृति प्रदान करता है :–

क्रमांक निर्माण कार्य	उच्च न्यायालय का प्रस्ताव	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
(1)देवरी जिला सागर में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण	ए/3718 दि.18.11.05	1,39,46000/–	25,00,000
(2) डबरा जिला ग्वालियर में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण	ए/1181 दि0 6.6.06	219,17,800/–	25,00,000
(3) चौरई जिला छिंदवाड़ा में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण	ए/983 दि0 27.4.06	43,82,,000/–	10,00,000
(4) जबलपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिये होस्टल का निर्माण	डी/2066 दि0 19,5,06	2,79,93,000/–	1,,00,000

क्रमांक निर्माण कार्य	उच्च न्यायालय का प्रस्ताव	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
(5) विजयपुर जिला श्योपुर में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण	डी/1326 दि0 7.4.06	38,76,,000/–	10,00,000

फा.क्रमांक 17(ई)71/06/21—ब (एक),   भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2006

प्रतिलिपि :—

1— रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर ,
2— रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय,खण्डपीठ, इंदौर तथा ग्वालियर ,
3— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल
4— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ,
5— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म0प्र0)
6— प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर स्वीकृत निर्माण कार्य संलग्न मानचित्र के अनुसार प्रारम्भ कराया जाकर पूर्ण कराना सुनिश्चित कर प्रतिवेदन प्रति त्रैमास विभाग की ओर प्रेषित करने हेतु प्रेषित ।
7— मुख्य वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग, शेड न. 2, जवाहर चौक भोपाल
8— निज सचिव, विधि मंत्रीजी, म0प्र0 शासन भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(शिवनारायण द्विवेदी)
सचिव
म0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 17(ई) 183/2001/21—ब (एक),   भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2006
प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल
म0प्र0 उच्च न्यायालय,
जबलपुर,

विषयः— उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को मोबाइल फोन की सुविधा ।

———————

उपरोक्त विषयक कृपया अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 814 दिनांक 23.8.06 का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

राज्य शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र0 एफ—11—20/04 दिनांक 24.12.04 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को

जिनका वेतनमान रूपये 18400–500–22400 अथवा अधिक है, को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्र. आर–/2017/06/नि/चार, दिनांक 4.11.2006 द्वारा प्रदान की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/–
(शिव नारायण द्विवेदी)
सचिव,
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 17(ई) 183/2001/21–ब (एक), भोपाल,दिनांक25नवम्बर 2006
प्रतिलिपि :–

1– रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर/ग्वालियर,
2– रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्ययायालय बिलासपुर,
3– प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, डी.के. भवन, रायपुर (छ.ग.)
4– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन गृह विभाग मंत्र्‍ाालय भोपाल,
5– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल
6– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
7– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय भोपाल
8– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय भोपाल,
9– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन उर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल
10– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्रालय भोपाल,
11– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल,
12– प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल,
13– सचिव म0प्र0 लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल
14– रजिस्ट्रार कल्याण आयुक्त भोपाल गैस त्रासदी भोपाल,
15– संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल
16– रजिस्ट्रार न्यायिक अकादमी भोपाल
17– रजिस्ट्रार माध्यस्थम अधिकरण भोपाल
18– रजिस्ट्रार नेशनल लॉ् इंस्टीटयूट यूनिवर्सिटी भोपाल
19– रजिस्ट्रार म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल
20– स्थापना शाखा विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल ।
21– श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल अध्यक्ष म0प्र0 न्यायाधीश संघ जिला न्यायालयइंदौर .
22– महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर
23– समस्त जिला सेशन्स न्यायाधीश मध्य प्रदेश
24– समस्त कोषालय अधिकारी म0प्र0
25– रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन, भोपाल
26– सचिव महामहिम राज्यपाल सचिवालय राजभवन भोपाल ।

27– रजिस्ट्रार, म0प्र0 मानव अधिकार आयोग, भोपाल
28– संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सुरेन्द्रसिंह रघुवंशी)
अतिरिक्त सचिव
म0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

Circulars **Law Department Manual**

मध्यप्रदेश शासन विधि विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 1161112–212–76/21/क(आप.) भोपाल, दिनांक 7अप्रैल 76
प्रति,
समस्त जिला दण्डाधिकारी,, मध्य प्रदेश

विषय :–उच्च न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण के प्रस्ताव के साथ न्यायालय के अभिलेख (डिपाजिट) की नकल भिजवाने के संबंध में ।

जिला दण्डाधिकारियों की ओर से जो अपील/पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजे जाते हैं उनके साथ न्यायालीयन अभिलेख एवं अन्य सामग्री समय पर नहीं भेजी जाती है । यह आवश्यक है कि जिलों में जिनने प्रकरणों में उच्च न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण की कार्यवाही करना प्रस्ताव हो उनके अभिलेख तुरंत जिलाध्यक्ष के कार्य्रलय से शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय से पहुंचना चाहिये ताकि पैरवी में किसी तरह की असुविधा न हो पाये ।

आर. एल. सांगानी
अवर सचिव

मध्यप्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 12–147 / 76 / 21 क (आप.) भोपाल, दिनांक 9. 9. 76

प्रति,

(1) समस्त जिला दण्डाधिकारी मध्यप्रदेश

(2) समस्त कारागार अधीक्षक मध्यप्रदेश

विषय :– अपीलांट अभियुक्त की मृत्यु के संबंध में जानकारी देने बावत ।

आप से निवेदन है कि अपीलांट अभियुक्त की, जिसकी उपील उच्च न्यायालय में लम्बित हो, मृत्यु होने पर तत्संबंधी मृत्यु की सूचना अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय (मुख्य खण्डपीठ या खण्डपीठों) को (जहां पर मामला विचाराधीन हो) तत्काल भेजी जावे । इस सूचना की प्रतिलिपि महाधिवक्ता,,म0 प्र0 ,जबलपुर ,शासकीय ,अधिवक्ता इंदौर, ग्वालियर भी भेजी जावे ।

एल.एन.व्यास
उप सचिव

मध्यप्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

ज्ञापन

कमांक 1277312239 76/21 क (आप.)   भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 76

प्रति

(1) समस्त जिला दण्डाधिकारी मध्यप्रदेश
समस्त पुलिस अधीक्षक
(उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर से सम्बन्धित जिले)

विषय :— शासकीय प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय में पक्ष समर्थन कने बावत ।

श्री एम. एन.पेंढारकर, पेनल लायर उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के पत्र दिनांक 28/9/76 की प्रतिलिपि संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने जिले में ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में इस तरह की शिकायत की पुनरावृत्तिन हो एवं उच्च न्यायालय के समक्ष शासन के हितों का पूरा—पुरा प्रतिरक्षण हो सके । इस संबंध में आपके द्वारा लोक अभियोजकों तथा सहायक लोक अभियोजकों को जो भी आदेश जारी किये जाएं एवं इस संबंध में जो भी कार्यवाही की जाये उससे इस विभाग को त्वरित सूचित किया जाए ।

कु0 प्रभा शर्मा
अवर सचिव

मध्यप्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 11534/79/21– क (आप.) भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 80
प्रति,

1/समस्त जिला दण्डाधिकारीगण म0प्र0
2/ पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल
3/ राज्य सर्तकता आयोग विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल

संदर्भ :–विधि विभाग के ज्ञापन क्रमांक 21627/21–क (आप0) दिनांक 24.8.79 निरस्त किया जाता है ।

विधि विभाग नियमावली के नियम 91 के अनुसार आपराधिक मामलों में अपील या निगरानी संबंधी प्रस्ताव साधारणतया जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधि विभाग को भेजे जाने चाहिये लेकिन कभी – कभी ये प्रस्ताव राज्य सर्तकता आयोग विशेष पुलिस स्थापना या अन्य विभागों द्वारा सीधे विधि विभाग को भेज दिये जाते हें । ऐसी स्थिति में एक ही मामले के अपील के प्रस्ताव का परीक्षण दो बार करना पडता है और ऐसा होने पर कभी–कभी एक ही मामले में दो अपील प्रस्तुत होने की सम्भावना बनी रहती । अतः यह आवश्यक है कि आपराधिक मामलों में अपील प्रस्तुत है या निगरानी सबंधी प्रस्ताव राज्य सतर्कता आयोग या अन्य विभाग जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से मामले के अभिलेख के साथ समयावधि में विधि विभाग को भिजवायें ताकि प्रस्ताव के अनुसार अपील समयावधि में प्रस्तुत की जा सके । और एक ही मामले के प्रस्ताव के अनुसार अपील समयावधि में प्रस्स्तुत की जा सके और एक ही मामले के प्रस्ताव के अनुसार अपील समयावधि मे प्रस्तुत की जा सके और एक ही मामले के प्रस्ताव को दो बार परीक्षण करने का अवसर न आवे । बिना अभिलेख के सीधे प्राप्त प्रस्ताव का समुचित परीक्षण करना संम्भव नहीं है ।

राज्य सतर्कता आयोग–द्वारा अपील निगरानी के प्रस्ताव सीधे इस विभाग को कभी कभी इस कारण से भेजे जाते हैं कि जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से भेजने में समयावधि समाप्त न हो जावे । इस संदर्भ में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निर्णय होते ही लोक अभयेजक अथवा अशासकीय अभिभाषक जैसी भी परिस्थिति हो तुरंत प्रमाणित प्रति के लिये न्यायालय में आवेदन पत्र देकर लोक अभ्योिजक अथवा

अशासकीय अभिभाषक जिला दण्डाधकारी ही न्यायालय द्वारा प्रदत्त की गई प्रतिलिपि प्राप्त होते ही राज्य सतर्कता आयोग को भेज दें । राज्य सतर्कता आयोग (अपील) निगरानी करनी है या नहीं यह निर्णय यथाशीघ्रता से लेवे और अपना प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी को अर्द्धशासकीय पत्र के साथ भेजें और जिला दण्डाधिकारी तुरंत अभिलेख की दो प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ प्रस्ताव विधि विभाग को भेजें। इस सबंध में राज्य सतर्कता आयोग को जिला दण्डाधिकारी के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाये रखना चायै और अपील प्रस्ताव अभिलेख के साथ समयावधि में विधि विभाग में प्राप्त हो सके ।

यदि जिला दण्डाधिकारी प्रस्ताव भेजने से इंकार करते हैं या यदि जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव विधि विभाग में भेजने में अनावश्यक विलंब होने की सम्भावना हो तो राज्य सतर्कता आयोग महानिरीक्षक के माध्यम से प्रस्ताव विधि विभाग को नियमावली के नियम 2 के अनुसार विधि विभाग को भिजवा सकते है ।

सी0के0टंडन
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 47382176 / 78 / 21 / क(आप.) भोपाल, दिनांक 28जनवरी 78

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारीगण एवं शासकीय व अतिरिक्त अभिभाषकगण ।

विषय :–प्रकरणों में अपील या पुनरीक्षण करने के संबंध में ।

राज्य विधि मंत्रीजी द्वारा हाल ही में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान, अपील इत्यादि के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के सूक्ष्म परीक्षण के फलस्वरूप यह पाया गया कि कतिपय जिला दण्डाधिकारीगण, शासकीय या अतिरिक्त शासकीय अभिभषकगण विधि विभाग नियमावली के नियम 86–बी व 91 का पालन नहीं करते, जिसके कारण कार्य में कठिनाई आती है । नियम 86 बी– के अनुसार किसी भी आपराधिक प्रकारण में शासन के विरूद्ध निर्णय होने पर, शासकीय अभिभषक या अतिरिक्त शासकीय अभिभषक को जो प्रकरण के चार्ज में हो, उन्हें आदेश या निर्णय के 7 दिन के अंदर जिला दण्डाधिकारी को एक विस्तृत पिोर्ट जिसमें केस की संक्षेपिका, साक्ष्य का विश्लेषण, पुनरीक्षण करने या न करने का मत तथा उसके आधार बताये गये हों, भेजना चाहिये ।

2. जिला दण्डाधिकारी यह रिपोर्ट अपने मत के साथ विधि विभाग को भेजेंगे और यह भी बतायेंगे कि न्यायालय ने कहां व क्या त्रृटि की है । इस प्रस्ताव के साथ निम्न कागजात भी भेजे जाया करें :–

(1) निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां दो ।

(2) न्यायालय का अभिलेख ।

(3) शासकीय अभिभषक का मत मय अपील या रिवीजन के आधार व पुलिस अधीक्षक का मत ।

(4) जिला दण्डाधिकारी को अपनी टीप, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख रहे कि :–

() निर्णय में क्या त्रुटि हैऔर किन धाराओं में निर्णय के विरूद्ध अपील की जाना है ?

() अपील दोषमुक्ति के विरूद्ध या सजावृद्धि के विरूद्ध की जाना है ?

(5) महत्वपूर्ण केसेस के संबंध गवाहों के बयानों की प्रतिलिपियां भी जावें ।

एस.एन.व्यास

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र0 12—1465/80/7473/21—क (आप.) दिनांक 14/7/1987

1 समस्त जिला दण्डाधिकारीगण मध्यप्रदेश शासन ।,

2 पुलिस महानिरीक्षक ,भोपाल ।

3, सचिव ,लोक आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल ।,

संदर्भः— विधि विभाग का ज्ञापन क्र0 31098/12773/11534/21—क (आप.) दिनांक 30/9/80

—————————

1 विधि विभाग नियमावली के नियम 91 के अनुसार आपराधिक मामलों में अपिल या निगरानी संवंधी प्रस्ताव साधारणतया जिला दण्डाधिकारी व्दारा विधि विभाग को भेजे जाने चाहिए लेकिन कभी—कभी ये प्रस्ताव लोक आयुक्त कार्यालय या अन्य विभागों व्दारा सीधे विधि विभाग को भेज दिये जाते है ।ऐसी स्थिति में एक ही मामले के अपील के प्रस्ताव का परीक्षण दो बार करना पडता है और ऐसा होने पर कभी—कभी एक ही मामले में दो अपील प्रस्तुत होने की संभावना बनी रहती है। अतः यह आवश्यक हैकी आपराधिक मामलों में अपील प्रस्तुती या निगरानी सम्बन्धी प्रस्ताव लोक आयुक्त कार्यालय या अन्य विभाग जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से मामले के साथ समयापधि में विधी विभाग को भिजवाये ताकि प्रस्ताव के अनुसार अपील समयावधि में प्रस्तुत की जा सके और एक ही मामलें में प्रस्ताव को दो बार परीक्षण करने का अवसर न आवे । बिना अभिलेख के सीधे प्राप्त प्रस्ताव का समुचित परीक्षण

2/लोक आयुक्त कार्यालय द्वारा अपील/निगरानी के प्रस्ताव सीधे इस विभाग को कभी—कभी इस कारण से भेजे जाते हें कि जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से भेजने में समयावधि समाप्त न हो जावे । इस संदर्भ में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निर्णय होते ही लोक अभियोजक अथवा अशासकीय अभिभषक जैसी भी परिस्थिति हो, तुरंत प्रमाणित प्रति के लिये न्यायालय में आवेदन पत्र दें लोक अभियोजन अथवा अशासकीय अभिभषक/ जिला दण्डाधिकारी ही न्यायालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिलिपि प्राप्त होते ही लोक आयुक्त को भेज दें । लोक आयुक्त कार्यालय (अपील) निगरानी करना

है या नहीं वह निर्णय यथा संभव शीघ्रता से लेवें और अपना प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी को अर्द्धशासकीय पत्र के साथ भेजें और जिला दण्डाधिकारी तत्काल अभिलेख, निर्णय की दो प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ प्रस्ताव विधि विभाग को भेजें । तथा इसकी सूचना लोक आयुक्त कार्यालय को भी भेजें । तथा इसकी सूचना लोक आयुक्त कार्यालय को भी भेजें इस संबंध में लोक आयुक्त कार्यालय को जिला दण्डाधिकारी के साथ आवश्यक संपर्क बनाये रखना चाहिये ताकि अपील प्रस्ताव अभिलेख के साथ समयावधि में विधि विभाग में प्राप्त हो सके ।

3/ यदि जिला दण्डाधिकारी प्रस्ताव भेजने से इंकार करते हैया यदि जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव विधी विभाग में भेजने में अनावश्यक विलंब होने की संभावना हो तो लोक आयुक्त कार्यालय
पुलिस महानिरिक्षक के माध्यम से प्रस्ताव विधी विभाग नियमावली के
नियम 92 के अनुसार विधी विभाग को भिजवा सकते है ।

एस0सी0गुप्ता,

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 12—1465/80/7473/21—क(आप.) भोपाल,दिनांक 14/7/1987

प्रति,

1/समस्त जिला दण्डाधिकारीगण मध्यप्रदेश ।

2/पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल ।

3/ सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

संदर्भ :—विधि विभाग का ज्ञापन क्रमांक 31098/12773/11534/21—क (आप0) दिनांक 30.9.80

1 विधि विभाग नियमावली के नियम 91 के अनुसार आपराधिक मामलों में अपील या निगरानी संबंधी प्रस्ताव साधारणतया जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधि विभाग को भेजे जाना चाहिये लेकिन कभी—कभी ये प्रस्ताव लोक आयुक्त कार्यालय या अनरू विभागों द्वारा सीधे विधि विभाग को भेज दिये जाते हैं । ऐसी स्थिति में एक ही मामले में दो अपील प्रस्तुत होने की समीावना बनी रहती है । अतः यह आवश्यक है कि आपराधिक मामलों में अपील प्रस्तुति या निगरानी संबधी प्रस्ताव लोक आयुक्त कार्यालय या अन्य विभाग जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से मामले के अभिलेख के साथ समयाविध में विधि विभाग को भिजवायें ताकि प्रस्ताव के अनुसार अपील समयाविध में प्रस्तुत की जा सके और एक ही मामले में प्रस्ताव का सुचित परीक्षण को दो बार परीक्षण करने का अवसर न आवे ।

डाधिकारी प्रस्ताव भेजने से इंकार करते हैं या यदि जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव विधि विाग में भेजने में अनावश्यक विलंब होने कसंभावना हो तो लोक आयुक्त कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से प्रस्ताव विधि विभाग के नियमावली के नियम 92 के अनुसार विधि विभाग को भिजवा सकते हैं ।

एस0सी0 गुप्ता
उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 12/122 /21–क (आप.) भोपाल,दिनांक 15/1/96

प्रति,

1/समस्त जिला दण्डाधिकारी,

2/समस्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, मध्यप्रदेश

3/ महाधिवक्ता म0प्र0 जबलपुर/अति0महाधिवक्ता इंदौर/ग्वालियर

संदर्भ :–लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रकरणों से संबंधित ब्रीफ तैयार करने के संबंध में ।

––––––––––––

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि जिला दण्डाधिकारी से किसी सत्र प्रकरण अथवा औपचारिक प्रकरण में दोषमुक्ति के निर्णय के विरूद्ध जो अपील प्रस्ताव प्राप्त होता है उसके साथ केवल प्रश्नाधीन निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होती हे और अन्य कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं होता । पूर्व में स्थिति यह थी कि जिला दण्डाधिकारी सत्र प्रकरण अथवा अन्य कोई आपराधिक प्रकरणों का मूल रिकार्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय से मंगाकर विधि विभाग को प्रेषित किया जाता था और उसके आधार पर विध विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जाता था । परन्तु उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12/5/1995 के द्वारा यह प्रक्रिया समाप्त कर दी है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अब कोई भी मूल रिकार्ड नहीं मंगाया जा सकता । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रकरणों का संचालन करने के समय अपना पूरा ब्रीफ तैयार करें । इस ब्रीफ में वे सभी दस्तावेज उपलब्ध हो जो न्यायालय की नस्ती में रहते हैं ।

इसमें चालान के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को नकलें जिन पर एग्जीबिट्स पडे हों, न्यायालय में हुये गवाहों के बयानों की नकलें, लोक अभियोजन द्वारा विधिक बिंदुओं पर जो तैयारी की गई है उसके नोटस दोषमुक्ति की स्थिति में अपील के आधार तथा निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का भी समावेश होना चाहिये । महाधिवक्ता को शासन द्वारा जब अपील हेतु निर्देश भेजे जावेंगे तो उसके साथ यह ब्रीफ भी प्रेषित किया जायेगा । महाधिवक्ता

कार्यालय में कार्यरत शासकीय अधिवक्ता इस ब्रीफ के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क कर सकेगे । माहधिवक्ता के कार्यालय में जो कार्यवाही होती है उसकी नकलें इस ब्रीफ के साथ लगाई जाएं जिससे कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध यदि उच्चतम न्यायालय में यदि अपील करना हो तो यह संपूर्ण ब्रीफ शासन के स्टैडिंग कौसिल को दिल्ली भेजा जा सके ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सभी लो अभियोजन तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा शासकीय अधिवक्तागण पूरा रिकार्ड निर्मित करे जिससे कि न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील क्रमांक 1600/96 में यह स्थिति उत्पन्न हुई कि शासकीय अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि ब्रीफ के अभाव में वे न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4/7/1996 में इस संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की है । ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो ।

लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजन के कार्यकाल का नवीनीकरण करते समय यह विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा कि उन्होने उपरोक्त निर्देशों का पालन करें पूरी ब्रीफ तैयार करने विधि विभाग को भेजी है अथवा नहीं । इन निर्देशों का पालन न करने पर लोक अभियोजक अथवा शासकीय अधिवक्ता के कार्यकाल का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा । कृपया इस पत्र की अभिस्वीकृति भेजें और यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों का पालन शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ हो ।

(एन0के0 बरया)
अतिरिक्त सचिव, विधि

(33)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

कमांक12/124/12/1322/21—क(आप.) भोपाल,दिनांक 5/2/97

प्रति,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,

विषय :—आपराधिक प्रकरणों में अपील/पुनरीक्षण प्रस्ताव में पूर्ण जानकारी भेजने बावत ।

————————

इस विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के उपरांत भी यह देखने में आया है कि दोषमुक्ति निर्णय के विरूद्ध या कम सजा दिये जाने पर सजावृद्धिहेतु या आदेशों के विरूद्ध पुरनीक्षण प्रस्तुति हेतु जो प्रस्ताव इस विभाग को भेजे जाते है वे पूर्ण नहीं ोते । इस कारण अपील प्रस्ताव पर अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता ।

2. भविष्य में जो भी अपील/पुनरीक्षण का प्रस्ताव भेजा जावे उसके लिये निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाकर ही प्रस्ताव प्रेषित किये जावें :—

1. निर्णय/आदेश की पूर्ण प्रमाणित प्रति भेजी जावे ।
2. निर्णय आदेश की मूल प्रति ही भेजी जावे ।
3. सत्यप्रतिलिपि पर प्रधान प्रतिलिपिकार या नकल विभाग के प्रभारी के हस्ताक्षर हो ।
4. निर्णय आदेश की स्वच्छप्रति ही भेजी जावे ।
5. प्रस्ताव के साथ समस्त नकलें भेजी जावें ।
6. अपील/पुनरीक्षण आधार भेजें जावें ।
7. निर्णय/आदेश तिथि के 15 दिवस के अंदर ही (नकल की अवधि को छोड़कार) प्रस्ताव भेजे जावें ।

3. उक्त बिंदुओं पर प्रस्ताव में त्रुट होने के कारण अवधि व्यतीत हो जाती है । अतः भविष्य में प्रस्ताव भेजते समय उक्त बिंदुओं का पालन करते हुये प्रस्ताव प्रेषित किये जावें ।

(एच.आर.अगवान)
उप सचिव,विधि

(34)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र06/909/95/2748/21–क(आप.) भोपाल,दिनांक 18/3/97

प्रति,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
मध्यप्रदेश

विषय :–आपराधिक प्रकरणों में अपील/रिवीजन प्रस्ताव समयावधि में भेजने के संबंध में

राज्य शासन के ध्यान यह बात लाई गई है कि कई आपराधिक प्रकरणों में अपील प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारियों द्वारा विधि विभाग को अवधि समाप्त होने के पश्चात या बहुत कम अवधि शेष रहने पर प्रेषित किये जाते है । इस कारण अवधि वाहय अपील प्रस्तुत होने पर उन्हें उस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है ।

2. कई प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि अवधि वाह्य प्रस्तुत अपील में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता द्वारा निर्देश दिये जाने के उपरांत भी प्रभारी अधिकारी उनके समक्ष उपस्थित नहीं होते इस कारण देरी को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत नहीं हो पाता और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील निरस्त कर दी जाती है ।

3. उपील प्रस्ताव तत्काल इस विभाग को प्रेषत किये जावें, इस संबंध में समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग तथा इस विभाग द्वारा परिपत्र जारी किये गये है, किन्तु इसका पालन नहीं किया जा रहा है और इसके उपरांत भी अवधि वाह्य अपील प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं । तथा उनके देरी का भी कोई कारण नहीं दर्शाया जाता ।

4. अपील/रिवीजन के प्रस्ताव बिना बिना किसी देरी के विधि विभाग को भेजे जाने चाहिये । तथा विधि विभाग द्वारा क्र. 160/पी. एस./लॉ/95 दिनांक 11.12.1995 तथा क्र. 12/122/92/21 क (आप.) भोपाल, दिनांक 23/12/96 द्वारा विस्तृत परिपत्र जारी किये गये हैं, किन्तु उनका पालन नहीं किया जा रहा है ।

5. हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विविध आ. केस न. 4132/95 के आदेश दिनांक 1/8/96 में यह स्थिति उत्पन्न हुई और अवधि वाह्य प्रस्तुत होने वाली अपीलों के संबंध में उनके द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जाकर कहा गया गया है कि शासकीय मशीनरी को अपील प्रस्तुत करने में अत्यधिक सतर्क करना चाहिये । आदेश से संबंधित अंश की प्रति एतद् संलगन अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

6. 1 नवम्बर, 1996 से 15.1.1997तक इस विभाग में विभिन्न जिला दण्डाधिकारियों से कुछ 64 प्रस्ताव अवधि वाह्य प्राप्त हुये हैं जो कि उचित नहीं है ।

7. अतः भविष्य में निर्णय की नकल मिलने के 15 दिवस के भी भीतर ही इस विभाग को अपील/रिवीजन प्रस्ताव भेजा जावे ताकि अवधि के अंदर ही उसकी प्रस्तुति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष की जा सके । निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी क्रमांक एफ–1122/94/9/एक दिनांक 9अगस्त 1994 के अनुसार समय पर कार्यवाही न करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध गंभीर दुराचरण मानकर कार्यवाही की जा सकती है ।

सलग्न :– उपरोक्तानुसार

(एस.एल.बंसल)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0क्र06/909/95/2748/21–क(आप.)भोपाल,दिनांक 18/3/97
12–122–92

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव के निज सचिव, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

2. प्रमुख सचिव,, म.प्र.शासन गृह विभाग (मंत्रालय) भोपाल की ओर सूचनार्थ

(एस.एल.बंसल)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

(46)

Circular

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

फा0क्र.12/122/92/7187/10177/21–क(आप.) भोपाल,दि. 30.10.04

प्रति,

1. महाधिवक्ता म.प्र. जबलपुर,
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
3. उप महाधिवक्ता जबलपुर,
4. शासकीय अधिवक्ता जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर,
5. सभी जिला मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधीक्षक म.प्र. ।

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि राज्य शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना ही दोषमुक्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विधि विभाग की स्वीकृति की प्रत्याशा में अपील प्रस्तुत की जा रही है । यह प्रक्रिया विधि सम्मत नहीं है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (1) के अंतर्गत राज्य शासन के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोक अभियोजन द्वारा अपील प्रस्तुत की जा सकती है ।

अतएव इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 12/122/92/7187/10177/21–क (आप.) दिनांक 18/11/96 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये लिखा जाता है कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

विधि विभागी की नियमावली के नियम 94 की ओर समस्त जिला मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वे दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील इस प्रकार इस विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें कि ऐसा

प्रस्ताव निर्णय दिनांक से 45 दिवस के अंदर इस विभाग को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जावे ।

(डी.के.पालीवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

(51)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

फा0क06–497/04/2449/21–क(आप.)भोपाल, दिनांक जुलाई 27.10.2005

प्रति,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,

———————————म0प्र0

विषय :–अपील/ पुनरीक्षण प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जिला स्तर से कतिपय अपील प्रस्तावों के साथ संबंधित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के स्थान पर छायाप्रति (फोटो कापी) के साथ अपील प्रस्ताव विधि विभाग विचार हेतु प्रेषित किये जाते हैं । कुछ प्रकरणों के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि भी ऐसी छायाप्रति (फोटो कापी) पर भेजी जाती है जो कि इतनी अस्पष्ट होती है कि निर्णय विचार हेतु अध्ययन करने में काफी कठिनाई होती है । माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति (फोटो कापी) पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की अस्पष्ट प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति के संबंध में भी आपत्तियां की जा रही है ।

2– निर्णय की प्रति के साथ साक्षीगणों कथन एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति नहीं भेजी जाती है । इस कारण उचित अभिमत देने में काफी कठिनाई आती हे एवं समय अधिक लगता है । अतः प्रस्ताव के साथ निर्णय की सत्यप्रतिलिपि साक्षीगणों के कथन एवं दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलगन कर भेजी जावे ।

3— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किये जाने के प्रस्ताव भी विधि विभाग को भेज दिये जाते है । जबकि ऐसे आदेश के विरूद्ध सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किये जाने के प्रस्ताव भी विधि विभाग को भेज दिये जाते है । जबकि ऐसे आदेश के विरूद्ध सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिये । विधि वभाग की नियमावली के नियम 100 के अंतर्गत केवल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों पर ही विधि विभाग द्वारा विचार किया जा सकता ।

4— जिला स्तर से एक ही निर्णय के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, जिला अभियोजन अधिकारी, ाासकीय अधवक्ता एवं अपर शासकीय अधिवक्ता की ओर से एक ही नर्णिय के संबंध में कई बार दो—दो अपील प्रस्ताव भी विधि विभाग को भेज दिये जाते है, जिससे विधि विभाग में भ्रमपूर्ण स्थिति अद्भुत होती है ।

5— विधि विभाग को कतिपय अपील प्रस्ताव इतने विलंब से भेजे जा रहे हैं जिनकी अपील अवधि अत्यधिक निकट होती है एवं अपील प्रस्ताव पर विचार हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है । अतः अपील पुनरीक्षण योग्य प्रकरणों के प्रस्ताव यथ संभव शीघ्रता से भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है ।

अतः उपरोक्त संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता एवं अपर शासकीय अधिवक्ता को तत्संबंधी आवश्यक निर्देश दिये जावें । यह भी सुनिश्चित करें कि म.प्र.विधि विभाग नियमावली के नियम 94 के अंतर्गत प्रस्ताव, आदेश व निर्णय घोषत

किये जाने के पश्चात एक माह अथवा 15 दिवस की अवधि के अंदर विधि विभाग को प्राप्त हो जाना चाहिये ।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

(विनोद भारद्वाज)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

फा0क्रमांक 6–1381/06/21–क (आप.)4345 भोपाल,दिनांक जुलाई 21.जुलाई 2006

प्रति,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
समस्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक,
समस्त अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी

विषय :–मजिस्ट्रेट द्वारा दाण्डिक प्रकरण में पारित दोषमुक्ति/उन्मोचन आदेश अथवा दण्डादेश की अपर्याप्तता के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना ।

———————

विधि नियमावली के नियम 94,99 तथा 100 के प्रावधानों के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में वर्णित उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य श्रेणी के दण्ड न्यायालयों द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश/उन्मोचन आदेश अथवा दण्डादेश की अपर्याप्तता के विरूद्ध पारित अन्य आदेशों के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव जिला मजिस्टेट द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग को प्रेषित किये जाने का प्रावधान था ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रावधान जो कि भारत के राजपत्र में दिनांक 21.6.2006 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 23.6.2006 से प्रभावशील हुये हैं, के द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के निर्देश देने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट पर निहित किया गया है । अतः उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग द्वारा जारी किये गये पूर्व आदेशों को उस सीमा तक

जिस सीमा तक वे असंगत हो, को अधिक्रमित Supersede) निरस्त करते हुये निर्देश दिया जाता है कि :—

1— किसी भी दाण्डिक प्रकरण में राज्य के विरूद्ध निर्णय/आदेश होने पर मामले का संचालन करने के लिये उत्तरदायी अभियोजन अधिकारी आदेश या निर्णय के 7 दिन के अंदर उस प्रकरण से संबंधित साक्षियों कथन पत्र, निर्णय/अदेश तथा सुसंगत दस्तावेजों के साथ जिला मजिस्टेट को एक विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें प्रकरण की संक्षेपिका, साक्ष्य का विश्लेषण, अपील अथवा पुनरीक्षण करने या न करने का मत तथा उसके आधार बताते हुये प्रेषित करेगा ।

2— कंण्डिका '' एक'' में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में प्रतिवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर जिला मजिस्टेट उक्त प्रतिवेदन का परीक्षण करने के उपरांत ऐसे निर्णय/ आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण सेशन न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश लोक अभियोजक को देगा तथा ऐसे निर्देश की एक प्रति कंण्डिका एक के अनुसार प्रतिवेदन प्रेषित करने वाले अभियोजन अधिकारी को देगा ।

3— कण्डिका ''दो'' के अनुसार जिला मजिस्टेट से निर्देश प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र या अग्रिम तीन कार्य दिवस के अंदर लोक अभियोजक (जिसके अंतर्गत अतिरिक्त लोक अभियोजक भी आते है) मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सूचना जिला मजिस्टेट को प्रेषित करेगा ।

4— उक्त प्रयोजन हेतु जिला मजिस्ट्रेट तथा लोक अभियोजक द्वारा अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित की जायेगी । उक्त पंजी में मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के आधार पर अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का निर्देश दिये जाने तथा उक्त निर्देशों के

अनुसरण में अपील / पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने संबंधी तात्विक जानकारी की प्रविष्टि की जावेगी ।

5— दाण्डिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्राधिकृत अभियोजक तथा जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा कि मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध अपील / पुनरीक्षण सेशन न्यायालय में परिसीमाकाल के अंदर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे, परन्तु यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना सम्भव न हो तो परसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार देरी को क्षमा किये जाने के आवेदन के साथ ऐसी अपील / पुनरीक्षण प्रस्तुत की जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(विमल प्रकाश शुक्ल)
अपर सचिव,
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

न्यायिक मजिस्टेट द्वारा विचारणीय संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराधों की सूची

भारतीय दण्ड संहिता में निम्नलिखित धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है, जिनका विचारण न्यायिक मजिस्टेट के द्वारा किया जाता है :—

धारा 133,134,153—बी, 161, 162, 163, 164, 165,165 —ए, 170, 222,225,227, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 267, 295, 295—ए 326, 327 363—ए 365, 368, 369, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 386, 387, 392, 393, 394, 401, 406, 407, 408, 409, 411, 414, 420, 451, (यदि अपराध चोरी से संबंधित हो) 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 461, 466, 467, 468, 476, 477, 493, 498—ए, 505,

यदि भारतीय दण्ड संहिता के अलावा अन्य मामले मे अभियोजन संचालित किया जा रहा हो और ऐसे मामले में अपराध के विचारण, प्रकृति के संबंध में कोई उल्लेख न हो तब तीन वर्ष से सात वर्ष की सजा का उपबंध हो तब ऐसा मामला संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध की प्रकृति में आयेगा और उसका विचारण न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

फा0क्रमांक 3(अ) 212/94/903/21–(सि0)   भोपाल, दिनांक 6/5/94

प्रति,

1– समस्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

2– समस्त जिलाध्यक्ष,
म0प्र0

विषय :–जिला न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद में अपील आदि में शासन के प्रतिरक्षण हेतु कार्यवाही ।

000000

जिला न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद अथवा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रतिरक्षण आदेश प्रसारणार्थ कई प्रशासकीय विभागों से प्रकरण इस विभाग को प्राप्त होते हैं ।

विधि विभाग नियमावली के नियम 151 के अनुसार उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय विभाग के प्रभारी अधिकारी को जिला कलेक्टर से संम्पर्क करना चाहिये एवं नियम 25 के अनुसार जिला कलेक्टर शासकीय अभिभाषक या अतिरिक्त शासकीय अभिभषक को ऐसे प्रकरणों को सौपे जाने के आदेश देने में सक्षम है । इस हेतु प्रकरण विधि विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है । नियम 152 के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी को शासन को रिपोर्ट भेजना चाहिये तथा संबधित विभाग द्वारा नियम 153 के अंतर्गत विधि विभाग से आदेश लेना चाहिये । नियम 151,152,153 की फोटो प्रति इस पत्र में संलग्न मार्गदर्शन हेतु भेजी जा रही है, उनके अनुरूप कार्यवाही की जावे ।

शासन के विरूद्ध निर्णित प्रकरणों में यदि प्रशासकीय विभाग अपील किया जाना उचित समझता है तो विधि विभाग नियमावली के नियम 170 के अनुसार प्रशासकीय विभाग के प्रमुख के माध्यम से ऐसी अपील की अनुशंसा के कारण देते हुये प्रतिवेदन, निर्णय, जयपत्र जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तावित है, कि प्रति तथा प्रस्तावित अपील मेमों के साथ इस विभाग को यदि अपील जिला न्यायालय में की जाना है तो जयपत्र के पारित होने के 15 दिवस के भीतर और उच्च न्यायालय में अपील की जाना है तो एक माह की अवधि के भीतर प्रेषित किया जाना चाहिये , ताकि इस विभाग द्वारा नियम 171 के अधीन आदेश प्रसारित किये जा सके ।

राज्य शासन के पक्ष में निर्णित प्रकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर नियम 173 के अधीन प्रभारी अधिकारी कार्यवाही हेतु सक्षम है । सामान्यतः विधि विभाग से निर्देश अपेक्षित नहीं है, केवल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत

अपील का नोटिस महाधिवक्ता को नियम 173 (3) के अनुसार विधि विभाग के द्वारा भेजा जावेगा ।

संलग्न :– सबंधित नियमों की प्रति ,

(प्रभा खरे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
विन्याचल भवन,
भोपाल–462004

क्रमांक 3547/21–क (सि0) भोपाल, दिनांक 25/4/95

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष

2– समस्त शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्तागण,
मध्यप्रदेश

विषय :–दीवानी मामलों में शासन के विरूद्ध निर्णय या आदेश के विरूद्ध अविलम्ब अपील किये जाने बावत ।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि शासन के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दीवानी मामलों में निर्णय या आदेश होने की स्थिति में अपील हेतु प्रकरण संबंधित प्रशासकीय विभाग की भूमिका और प्रायः त्रुटि या उपेक्षा का कारण था/ एवं मामलों में पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता के द्वारा उपेक्षा बरते जाने या त्रुटि के कारण, ऐसे निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील योग्य होते हुये भी इस विभाग को विलम्ब से प्राप्त होते हैं जिसके परिणामस्वरूप विधिक परीक्षण व प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिये लिये जाने के उपरांत अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत की जाती है, कहने की आवश्यकता नही है विलम्ब के कारण इसी आधार पर अपील निरस्त होने की प्रत्येक संभावना रहती है । इस विलम्ब के परिहार के लिये निर्देशित किया जाता है कि :–

1– जिला स्तर तक के न्यायालयों में शासन के विरूद्ध दीवानी मामलों में निर्णय या आदेश होते ही उन मामलों में संचालन करने वाले शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता का व्यक्तिगत कर्तव्य होगा कि वह तुरंत निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत करें (जिसके लिये कि कोई प्रतिलिपि शुल्क भी देय नहीं है) और प्रमाणित प्रतिलिपि यथाशीघ्र प्राप्त कर वह प्रति अपने अभिमत सहित मामले के प्रभारी अधिकारी प्रशासकीय विभाग को दी

जाना पहुंचाई जाना सुनिचित करें । साथ ही वह इसकी सूचना स्वयं के अभिमत की एक प्रति के साथ अपने प्रशासकीय विभाग को प्रेषित करें ।

2— जिला न्यायालय के मूल ( ) या अपीलीय मामलों में शासन के विरूद्ध निर्णय/आदेश की दशा में उपरोक्तानुसार निर्णय/आदेश की प्रति यथासंभव शीध्र प्राप्त कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को प्रभारी/अधिकारी को, अपने मत सहित प्रेषित किया जाना संबंधित शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को, अपने मत सहित प्रेषित किया जाना संबंधित शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता सुनिश्चित करेंगे । साथ ही वह अपने मत की प्रति सहित निर्णय/आदेश की सूचना इस विवरण के साथ विधि विभाग को प्रेषित करेंगे :—

1— निर्णय/आदेश के दिनांक

2— प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने का दिनांक

3— प्रतिलिपि प्राप्ति के लिये तलब किये जाने का दिनांक

4— प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने का दिनांक

ऐसे मामलों में जिलाध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी प्रशासनिक विभाग का संयुक्त दायित्व होगा कि वे शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता से शीघ्र परामर्श कर अपील प्रस्तुति के बारे में प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से विधि विभाग को भेजे गये प्रस्ताव की एक प्रति उसी समय विधि विभाग को भेजें ।

3— न्यायाधीश (वर्ग एक एवं दो) के व्यवहार न्यायालय के निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील/रिवीजन जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना होता है । जिनके लिये जिलाध्यक्ष स्वयं ही निर्णय लेने व निर्देश देने के लिये सक्षम है । अतः संबंधित जिलाध्यक्ष ऐसे शासन के विरूद्ध निर्णय या आदेश की प्रति तथा संबंधित शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर प्रशासकीय विभाग से आवश्यकतानुसार परामर्श कर अपील के औचित्य बावत शीघ्र निर्णय कर सभी दस्तावेजों सहित अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्देश किये जाने के निर्देश जारी किये जाने, प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने और शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किये जाने की कार्यवाही करेंगे और तत्समय ही सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे । ऐसे मामलों मे अपील प्रस्तुति में विलम्ब होने की दशा में दायित्व निर्धारण कर शासकीय अधिवक्ता या अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की उपेक्षा या त्रुटि पाई जाने पर उसे गंभीरता से लिया जायेगा । कदाचरण समझा जावेगा

और इस आधार पर इस रूप में नियुक्ति को निरस्त किया जा सकता है । जिलाध्यक्ष कार्यालय में विलम्ब की दशा में जिलाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह विलम्ब के लिये कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं । उसका उत्तरदायित्व निर्धारण करें, और उसके विरूद्ध आवश्यक उचित कार्यवाही करें और विभाग को सूचित करें ।

अपील प्रस्ताव में विलम्ब के परिहार के लिये यह प्रक्रिया आदेशित की जा रही है और इसके बावजूद किसी स्थिति पर विलम्ब की दशा में संबंधित दोषी शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता या अधिकारी/कर्मचारी के दोष या उपेक्षा को गंभीरता से बरता जावेगा ।

(एन0 के0 जैन)
प्रमुख सचिव, विधि
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क03(डी0)3 / 92 / 5439 / 21–क(सि0भोपाल,दिनांक 10 / 11 / 95

प्रति,

1– समस्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
3– समस्त आयुक्त
मध्यप्रदेश
2– समस्त जिलाध्यक्ष

विषय :–प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करने बावत ।

00000

विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के लिये आदेश का प्रारूप तैयार किया गया है, जो संलग्न है । भविष्य में इस प्रारूप में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– प्रारूप पत्र ,

(डी0पी0वर्मा)
उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क0 3(डी)3 / 92 / 5439 / 21–क (सि0) भोपाल, दिनांक 10 / 11 / 95

प्रतिलिपि :– संलग्न पत्रक सहित

1– माहधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर / ग्वालियर

2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, न्यायिक शाखा एक–दो / आपराधिक शाखा / याचिकाशाखा / स्थापना शाखा (डी0पी0वर्मा)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन,

—————————————— विभाग,

:— आदेश —:

भोपाल, दिनांक

क्रमांक ———————————————

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधनियम संख्यांक—5) के आदेश सत्ताईस क नियम 1 तथ 2 के अधीन प्रदत्त शक्तयों को प्रयोग में लाते हुये श्री ————————————————को पक्षकारों के नाम (———————————————) में मध्य प्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने,आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि कि मध्य प्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरादायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात, अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके व्यौरे नीचे दिये गये हैं । निम्नलिखित कार्य करेगा :—

1— प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसा आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिंदुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहॅुचाने की सम्भावना है ।, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूपए से निर्दिष्ट की जाएगी ।

2— समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।

3— वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिंदुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहॅुचाने की सम्भावना है, एक रिर्पोट तैयार करेगा ।

4— उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से सम्पर्क करेगा ।

5— शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा ।

6— प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :—

क— वाद की प्रति एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट

ख— प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप ।

ग— उन सभी दस्तोवजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना ————————————————————प्रस्तावित है । और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।

घ— ममाले के विशदीकण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

7— मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।

8— जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया गया तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।

9— अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।

10— यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नही हो ।

11— जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । यह वर्तमान पद का भार सौप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा । जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए ।

12— प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हरसंभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नही रह जाये ।

13— प्रभारी अधिकारी, यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रपोर्ट के साथ भेजी जाए ।

14– प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण आपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है । अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
( )
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,————————————विभाग

पृ0क0 ——————————————— भोपाल,
दिनांक

प्रतिलिपि :–

1– महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता म0प्र0 जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।

2– प्रमुख सचिव म0प्र0शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

3– संबंधित जिलाध्यक्ष म0प्र0

4– ————————————————————————————

प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाणपत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंठ (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित । मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि

विभाग को सदैव ही भेजने चाहिये । वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये । मामले की सुनवाई तारीख —————————को —————————हेतु नियत की गई है ।

5– शासकीय अधिवक्ता/प्लीडर/अभिभाषक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषत ।

( )
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन——————————विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र0 3(बी)293/99/671/21–क (सि0) भोपाल, दिनांक अप्रैल 99
प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
3– समस्त कमिश्नर,
4– समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :–जिला सरकार जिला स्तर पर जिला योजना समिति एवं अन्य पदाधिकारियों की कृत्यों, दायित्वों एवं अधिकारों का सौपा जाना ।

–––0–––

श्रम न्यायालय, जिला उपभोक्ता फोरम, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी व पेमेंट आफ बैजेज एक्ट के अधीन आदेश निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के संबंध मकें मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार है :–

1– श्रम न्यायालय द्वारा म0प्र0 औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 व पेमेंट ऑफ बैजेज एक्ट के अंतर्गत दिये गये आदेश के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 30 दिन में अपील/विविध आवेदन औद्योगिक न्यायालय तथा उसके खण्डपीठ जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार हो, के समक्ष पेश की जावेगी ।

औद्योगिक न्यायालय तथा उसके खण्डपीठों के क्षेत्राधिकार की जानकारी सुलभ संदर्भ के लिये संलग्न है । औद्योगिक न्यायालय इंदौर, ग्वालियर, व जबलपुर में अपील पेश करने के लिये महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता जबलपुर /इंदौर ग्वालियर को यह निर्देश देना होता है कि वे किसी शासकीय अधिवक्ता के माध्यस्थम से अपील पेश करवायें । जब अपील औद्योगक न्यायालय खण्डपीठ

रायपुर और खण्डपीठ भोपाल के समक्ष पेश की जाना हो तब (राज्य प्रशासनिक अधिकरणों) के लिये नियुक्त शासकीय अधिवक्ता को अपील पेश किये जाने के निर्देश दिये जावें । भोपाल व रायपुर के लिये नियुक्त शासकीय अधिवक्ता का

आदेश सुलभ संदर्भ के लिये संलग्न है ।

2– नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उपादान भुगतान अधिनियमके अंतर्गत दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील 60 दिन में उप– श्रमायुक्त जिसे क्षेत्राधिकारी हो, के समक्ष पेश की जायेगी । अपील पेश किये जाने के निर्देश जहां उप श्रमायुक्त सुनवाई करेंगे वहां के गर्वमेंट प्लीडर को जारी किये जायें ।

3– जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील 30 दिन में राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल के समक्ष पेश की जायेगी । यह अपील भोपाल के लिये नियुक्त शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से पेश की जायेगी ।

(एस. एम. श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव,
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक 2406/21–क (सि0) भोपाल, दिनांक 8/2/ 99

प्रतिलिपि :–

मुख्य सचिव के निजी सचिव की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि परिपत्र से माननीय मुख्य सचिव को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(शशि मोहन श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव,
म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र03(बी)4283/978/99/21—क(सि)0 भोपाल,दिनांक 22/11/99
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,
समस्त संभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :—उपभोक्ता फोरम में शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने हेतु नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं के देय फीस बावत ।

000000

राज्य शासन, उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष चल रहे आवेदन/अपील में राज्य शासन की ओर से पक्ष — समर्थन करने वाले अधिवक्ताओं के लिये निम्नलिखित दरों पर अधिवक्ता फीस दिया जाना निश्चत करता है :—

1— जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता शुल्क अधिकतम 1000/— रूपये ।

2— राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष प्रत्येक प्रकरण/अपील में अधिकतम अधिवक्ता फीस 2000/—रूपये

3— यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण/अपील का निराकरण प्रारम्भिक स्थिति में बगैर साक्ष्य के होता है तो अधिवक्ता फीस आधी देय होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जे0के0 जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र0 3(बी)/676/99/स–क (सि0),10849 भोपाल, दि. 22/8/99
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :–जिला कलेक्टर पदेन उप सचिव को सिविल रिवीजन पेश करने के अधिकार प्रत्यायोजित करने के संबंध में ।

00000

वर्तमान में सिविल न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के विरूद्ध रिवीजन पेश किये जाने के संबंध में विधि विभाग द्वारा मामलें का परीक्षण कर कार्यवाही की जाती है । जिला कलेक्टर अब पदेन उप सचिव भी नामांकित हो चुके हैं, इसलिये सिविल न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन पेश किये जाने के संबंध में निर्णय लेने एवं उस संबंधमें आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव को इस आदेश से सौपा जाता है ।

मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने वाली प्रथम व द्वितीय सिविल अपील के प्रस्ताव वर्तमान में संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से विधि विभाग को प्राप्त होते हैं और इस पर विधि विभाग द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जाता है । चूंकि जिले के कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के अधिकार दिये जा चुके है और वे पदेन उप सचिव भी हैं, इसलिये जिले के कलेक्टर के प्रथम

अपील व द्वितीय अपील को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की जाना हो, के प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करके सीधे विधि विभाग को भेजेंगे । ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधि विभाग पूर्ववत कार्यवाही करेगा ।

(जे0के0 जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र0 3(बी)/978/99/6240/21 –क (सि0भोपाल, दिनांकअप्रेल ,00
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल ,
समस्त संभागाध्यक्ष ,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय :–उपभोक्ता फोरम में शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने हेतु नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं के देय फीस बावत ।

0000

राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दि0 22/11/99 जो कि जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष चल रहे आवेदन/अपीलीय प्रकरणों में शासन की ओर से पक्ष– समर्थन करने वाले अधिवक्ताओं को देय फीस से संबंधित है, के पैरा (3) को निम्नानुसार संशोधित करता है :–

प्रारम्भिक स्थिति बगैर साक्ष्य के निराकरण से तात्पर्य है कि –

अ– प्रकरण/अपील आवेदक/अनावेदक, अपीलार्थी/प्रति अपीलार्थी की अनुपस्थिति में खारिज होने की दशा में,
ब– एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने की दशा में,
स– पक्षकारों के बीच में राजीनामा होने की दशा मे,
द– मौखिक अथवा शपथ–पत्रों के रूप में, साक्ष्य लेकर गुण दोषों पर निराकरण से भिन्न निराकरण किये जाने की दशा में,

उपरोक्त स्थितियों में अधिवक्ता फीस आधी देय होगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जे0के0जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

<u>मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग</u>

डी0क्रमांक4391/21-क (सि0), भोपाल,दिनांकअप्रैल, 22/जून/2001
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेंक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :-विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरूद्ध विधि विभाग को भेजे जाने वाले अपील प्रस्तावों के संबध में मार्गदर्शन ।

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों कलेक्टरों/ से विधि विभाग को जो अपील प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं उनके साथ अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों के निर्णय/आदेशों की प्रति के साथ प्रस्तुत आवेदन/वाद पत्र , शासन द्वारा प्रस्तुत उत्तर/जबाबदावा , अपील मेमो तथा शासकीय अधिवक्ता का आधार सहित मत, सुसंगत दस्तावेज एवं विभागीय संक्षेपिका संलग्न कर नहीं भेजे जाते फलतः प्रकरण का सूक्षमता से एवं तार्किक रूप से परीक्षण करने में असुविधा होती है ।

अतः अनुरोध है कि जब कभी भी विधि विभाग को अपील प्रस्ताव प्रेषित किये जायें, उस स्थिति में कलेक्टर/विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि उपर वर्णित सभी दस्तावेजों नस्ती/प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजे जा रहे हैं या नहीं जिससे कि प्रकरण का परीक्षण करने में अनावश्यक विलंब न हो ।

कृपया इसका पालन करने हेतु संबंधित को निर्देश देवें ।

(जे0के0जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि विभाग

ज्ञापन

क्रमांक1161112–212–76/21–क(सि0), भोपाल,दिनांक 7अप्रैल 76
प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–उच्च न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण के प्रस्ताव के साथ न्यायालय के अभिलेख (डिपाजिट) की नकल भिजवाने के संबंध में ।

जिला दण्डाधिकारियों की ओर से जो अपील पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजे जाते हैं उनके साथ न्यायालयीन अभिलेख एवं अन्य सामग्री समय पर नहीं भेजी जाती । यह अवाश्यक है कि जिलों में जितने प्रकरणों में उच्च न्यायालय में अपल पुनरीक्षण की कार्यवाही करना प्रस्ताव हो उनके अभलेख तुरंजत जिलाध्यक्ष के कार्यालय में शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय में पहुंचना चाहिये ताकि पैरवी में किसी तरह की असुविधा न हो पाय ।

आर. एल,सांगाणी
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र012—147/76/21—क (आप0), भोपाल,दिनांक 9.9.1976

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश
समस्त कारागार अधीक्षक, मध्यप्रदेश

विषय :—अपीलांट अभियुक्त की मृत्यु के संबंध में जानकारी देने बावत ।

आपसे निवेदन है कि अपीलांट अभियुक्त की, जिसकी अपील उच्च न्यायालय में लम्बित हो, मृत्यु होने पर तत्संबंधी मृत्यु की सूचना अतिक्ति रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, (मुख्य खंण्डपीठ या खण्डपीठों) को (जहां पर मामला विचाराधीन हो) तत्काल भेजी जावे । इस सूचना को प्रतिलिपि महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर, शासकीय धिवक्ता, इंदौर ग्वालियर को भेजी जावे ।

एल. एन. व्यास
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

ज्ञापन

क्र012773 / 12 / 239 / 76 / 21 / क(आप0),भोपाल,दि.7दिसंबर ,76

प्रति,

1 समस्त जिला दण्डाधिकारी
2 समस्त पुलिस अधीक्षक,
(उच्च न्यायालय ,खण्डपीठ, ग्वालियर से सम्बन्धित जिले), ।

Law Department Manual

Circulars

विषय :– शासकीय प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय के पक्ष समर्थन करने बावत।

श्री एम0 एन0 पेंढारकर, पेनल लाया उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के पत्र दिनांक 28.9.76 की प्रतिलिपि संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने जिले में ऐसी व्यवस्था करें, कि भविष्य में इस तरह की शिकायत की पुनरावृत्ति न हो एवं उच्च न्यायालय के समक्ष शासन के हितों को पूरा–पूरा प्रतिरक्षण हो सके । इस संबंध में आपके द्वारा लोक अभियोजकों तथा सहायक लोक अभियोजकों को जो भी आदेश जारी किये जाएं एवं इस संबंध में

जो भी कार्यवाही की जाय, उससे इस विभाग को त्वरित सूचित किया जाए ।

कु0 प्रभा शर्मा
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक12/12412/1322/21–क(आप.), भोपाल,दिनांक 5.2.1997
प्रति,

समस्त जिला
मजिस्ट्रेट

विषय :–आपराधिक प्रकरणों में अपील/पुनरीक्षण प्रस्ताव में पूर्ण जानकारी भेजने बावत ।

इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के उपरांत यह देखने में आया है कि दोषमुक्ति निर्णय के विरूद्ध या कम सजा दिये जाने पर सजावृद्धि हेतु या आदेशों के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुति हेतु जो प्रस्ताव पर अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता ।

2– भविष्य में जो भी अपील/ पुनरीक्षण का प्रस्ताव भेजा जावे उसके लिये निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाकर ही प्रस्ताव प्रेषित किया जावे :–

1– निर्णय/आदेश की पूर्ण प्रमाणित प्रति भेजी जावे ।

2– निर्णय/आदेश की मूल सत्य प्रति ही भेजी जावे ।

3– सत्य प्रतिलिपि पर प्रधान प्रतिलिपिकार या नकल विभाग के प्रभारी के हस्ताक्षर हों ।

4– निर्णय/आदेश की स्वच्छप्रति भेजी जावे ।

5– प्रस्ताव के साथ समस्त नकलें भेजी जावें ।

6– अपील/पुनरीक्षण आधार भेजी जावें ।

7– निर्णय/आदेश तिथि के 15 दिवस के अंदर ही (नकल की अवधि को छोड़कर) प्रस्ताव भेजे जावे ।

3– उक्त बिंदुओं पर प्रस्ताव में त्रुटि होने के कारण अनावश्यक रूप से पत्राचार करना पड़ता है जिस कारण अवधि व्यतीत हो जाती है । अतः भविष्य में प्रस्ताव भेजते हमय उक्त बिंदूओं का पालन करते हुये ही प्रस्ताव प्रेषित किये जावें ।

यह भी देखने में आया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश चेक लिस्ट के आदेश/पुनरीक्षण प्रस्ताव के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण सत्र, न्यायालय में प्रस्तुत होता है, इस विभाग को प्रेषित किये जाते हैं । जो कि त्र1टिपूर्णहैं विधि विभाग नियमावली के नियम 25 व 151 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट उनके स्तर पर है निर्णय लेकर अपील /पुनरीक्षण सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

5– उक्त संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 3 (अ) 212/94/903/21–क (सि) भोपाल, दिनांक 3.05.94 का भी अवलांकन किया जावे । अतः भविष्य में इस प्रकार के प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित नहीं किये जावें ।

(एच0आर0 अग्रवाल)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, विधि और कार्य विभाग

9407 मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 12/122/92/21–क (आप.), भोपाल,दिनांक
प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :–आपराधिक प्रकरणों में अपील/रिवीजन के समयावधि भेजने के संबंध में ।

————————

राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि आपराधिक प्रकरणों में लोक अभियोजक/अति0 लोक अभियोजक द्वारा अपील अभिमत प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में यथासमय प्राप्त हो जाने के पश्चात शासन को यथाशीघ्र नहीं भेजे जाते हैं , जिसके फलस्वरूप इस विभाग द्वारा समयावधि में प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाता तथा विलंब होने के कारण शासन द्वारा की गई अपील अनुमति की प्रार्थना भी अस्वीकार की जाती है ।

अतः भविष्य में अपील प्रस्ताव/अभिमत लोक अभियोजक/अति0 अभियोजक द्वारा प्राप्त होते ही शीघ्र अपील प्रस्ताव अपने सअभिमत सहित अविलब इस विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें, तथा यदि किसी प्रकरण में प्रस्ताव ऐसा अभिमत/प्रस्ताव अपेक्षित/उचित समय में न आयें तो जिला दण्डाधिकारी स्वयं ऐसा अभिमत/प्रस्ताव विधि विभाग को भेज सकते हैं ।

बिंदु स्थापना (लोकायुक्त कार्यालय भोपाल) के द्वारा संस्थिति या उनसे उक्त पदाधिकारी ऐसा प्रस्ताव अभिमत सीधे विधि विभाग को भेज सकते हैं व ऐसे सभी प्रकरणों में योग्य कार्यवाही विधि विभाग को भेज सकते हैं व ऐसे सभी प्रकरणों में योग्य कार्यवाही विधि विभाग द्वारा की जावेगी ।

(एस0 एल0बंसल.),
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0क्र002/122/92/21–क(आप.), भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि :–

महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय भोपाल की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्र0 250/86/बिदु स्था./96 दिनांक 2.8.96 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस0 एल0बंसल)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 12/122/917/21–क (आप.), भोपाल,दिनांक 15.11.96

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी,
समस्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक,
मध्यप्रदेश
महाधिवक्ता म0प्र0 जबलपुर/अति0 महाधिवक्ता
इंदौर/ग्वालियर

विषयः–समस्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, द्वारा प्रकरणों से सम्बन्धित ब्रीफ तैयार करने के संबंध में ।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि जिला दण्डाधिकारी से किसी सत्र प्रकरण अथवा आपराधिक प्रकरण में दोशमुक्ति के निर्णय के विरूद्ध जो अपील प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उसके साथ केवल प्रश्नाधीन निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होती है । और अन्य कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं होता । पूर्व में स्थिति यह थी कि जिला दण्डाधिकारी सत्र प्रकरण अथवा अन्य कोई आपराधिक प्रकरणों का मूल रिकार्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय से मंगाकर विधि विभाग को प्रेषित किया जाता था उसके आधार पर विधि विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जाता था । परन्तु उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.6.1995 के द्वारा यह प्रक्रिया समाप्त कर दी है । और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अब कोई मूल रिकार्ड उपलब्ध हो जो न्यायालय की नस्ती में रहते हे। ।

इसमें चालान के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की नकलें जिन पर एग्जीविट्स पड़े हों, न्यायालय में हुये गवाहों के बयानों की नकलें, लोक अभियोजन द्वारा विधिक बिंदुओं पर जो तैयारी की गई हैउसके नोट्स दोषमुक्ति की स्थिति में अपील का आधार तथा निर्ण्य की प्रमाणित प्रतिलिपि का भी समावेश होना चाहिये । महाधिवक्ता को शासन द्वारा जब अपील के निर्देश भेजे जाएगे तो उसके साथ यह ब्रीफ भी प्रेषित किया जाएगा । महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत शासकीय अधिवक्ता इस ब्रीफ के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क कर सकेगे । महाधिवक्ता के कार्यालय में जो कार्यवाही होती है उसकी नकलें भी इस ब्रीफ के साथ लगाई जाएं । जिससे कि उच्च न्यायालय के विरूद्ध यदि उच्चतम न्यायालय में अपील करना हो तो यह संपूर्ण ब्रीफ शासन के स्टैंण्डिग कौसिल को दिल्ली भेजा जा सके ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सभी लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा शासकीय अधिवक्तागण पूरा रिकार्ड निर्मित करे, जिससे कि न्यायालय के समक्ष पैरवी करने में कठिनाई न हो । हाल ही मकें उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील क्रमांक 1600/96 में यी स्थिति उत्पन्न हुई कि शासकीय अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि यह ब्रीफ के अभाव में वे न्यायालय की सहायता नहीं कर सकते । माननीय उच्च

न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4.7.1996 में इस संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की है । ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो ।

लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के कार्यकाल का नवीनीकरण करते समय यह विशेशष रूप से ध्यान में रखा जावेगा कि उन्होने उपरोक्त निर्देशों का पालन कर पूरा ब्रीफ तैयार करके विधि विभाग को भेजी है अथवा नहीं । इन निर्देशों का पालन न करने पर लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक,अथवा शासकीय अधिवक्ता के कार्यकाल का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा । कृपया इस पत्र की अभिस्वीकृति भेजें और यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों का पालन शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ हो ।

(एन0के0बरया)
अतिरिक्तसचिव,
विधि

Circulars

<u>मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग</u>

क्रमांक 47382176/78/21-क (आप.), भोपाल,दिनांक 28 जनवरी,78

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारीगण एंव शासकीय व अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकगण

विषय :- प्रकरणों में अपील या पुनरीक्षण करने के संबंध में ।

000000

राज्य विधि मंत्रीजी द्वारा हाल ही में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अपीन इत्यादि के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के सूक्ष्म परीक्षण के फलस्वरूप यह पाया है कि कतिपय जिला दण्डाधिकारी गण, शासकीय या अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकगण विधि विभाग नियमावली के नियम 86-बी व 91 का पालन नहीं करते, जिसके कारण कार्य में कठिनाई आती है । नियम 86-बी के अनुसार किसी भी आपराधिक प्रकरण में शासन क विरूद्ध निर्णय होन पर शासकीय अभिभाषक या अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक को जो प्रकरण के चार्ज में हो, उन्हें आदेश या निर्णय के 7 दिन के अन्दर जिला दण्डाधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें केस की संक्षेपिका, साक्ष्य का विश्लेषण, पुनरीक्षण करने का या न करने का मत तथा उसके आधार बताए गए हों, भेजना चाहिए ।

2. जिला दण्डाधिकारी यह रिपोर्ट अपने मत के साथ विधि विभाग को भेजेंगे वह यह भी बताएगें कि न्यायालय ने कहां व क्या त्रुटि की है । इस प्रस्ताव के साथ निम्न कार्यवाही भी भेजी जाया करे :-

(1) निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां दो ।
(2) न्यायालय का अभिलेख ।
(3) शासकीय अभिभाषक का मत मय अपील या रिवीजन के आधार के व पुलिस अधीक्षक का मत ।
(4) जिला दण्डाधिकारी की अपनी टीप, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख रहे कि :-

(I) निर्णय में क्या त्रुटि है और किन धाराओं में निर्णय के विरूद्ध अपील की जाना है ?

(।।) अपील दोषमुक्ति के विरूद्ध या सजावृद्धि के विरूद्ध की जाना है ?

(5) महत्वपूर्ण केसेस के संबंध में गवाहों के बयानों की प्रतिलिपियां भी भेजी जाए।

(एल0एन0 व्यास)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 675812–278/80/21– (आप.),   भोपाल दिनांक 29फरवरी 80

परिपत्र

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी मध्यप्रदेश शासन.

विषय :– अभिलेख की आवश्यक प्रतियां भेजने के संबंध में

0000000

उक्त विषय में महाधिवक्ता जबलपुर द्वारा सूचित किया गया हे कि न्यायालयीन अभिलेख तथा उसके आवश्यक कागजों की प्रतियां तैयार कराकर नहीं भेजी जा रही है। जिसके फलस्वरूप शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता को शासन की ओर से पक्ष समर्थन किए जाने में कठिनाई उठाना पड़ती है । इस संबंध में आपके विधि विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जा चुके हैं । परन्तु फिर भी कुछ जिला दण्डाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश विधि विभागीय नियमावली के नियम 105 का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों एवं लिपिकों को निर्देश देवें कि समयावधि का ध्यान रखते हुए आवश्यक अभिलेख की प्रतियां तैयर कराकर संबंधित शासकीय अधिवक्ता या महाधिवक्ता को भेजें ।

आशा करता हूं कि भविष्य में शासकीय अधिवक्ता अथवा महाधिवक्ता को इस संबंध में शिकायत करने का अवसर न आने देवेंगें।

सी0के0टण्डन

उप सचिव.

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 12504—12—1382 / 80 / 21—क (आप.), भोपाल दिनांक सितम्बर 80

प्रति,

1. समस्त जिला दण्डाधिकारीगण मध्यप्रदेश
2. समस्त लोक अभियोजकगण.

विषय :— अपील अथवा निगरानी के प्रस्ताव के साथ निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि (Cirtified Copy) भेजने बाबत् ।

00000

उक्त विषय में श्री शंकरलाल शासकीय अधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 23.9.80 की प्रतिलिपि संलग्न कर आदेशानुसार अनुरोध है कि अपील अथवा निगरानली के प्रस्ताव के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि (Cirtified Copy) अवश्य भेजी जाया करे ।

के0एस0 श्रीवास्तव.
अपर सचिव.

Circulars

<u>मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग</u>

क्रमांक 2–11534/79/21–क (आप.) भोपाल,दिनांक 30सितम्बर 80

प्रति,

1. समस्त जिला दण्डाधिकारीगण म0प्र0
2. पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल
3. राज्य सतर्कता आयोग विशेष पुलिस स्थापना भोपाल

संदर्भ :–विधि विभाग का ज्ञापन क्रमांक 21027 21–क (आप)दिनांक 24.08.79 निरस्त किया जाता है ।

विधि विभाग नियमावली के नियम 91 के अनुसार आपराधिक मामलों में अपील या निगरानी संबंधी प्रस्ताव, साधारणतया जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधि विभाग को भेजे जाने चाहिये लेकिन कभी–कभी ये प्रस्ताव राज्य सर्तकता आयोग विशेष पुलिस स्थापना या अन्य विभागों द्वारा सीधे विधि विभाग को भेज दिये जाते हैं । ऐसी स्थिति में एक ही मामले के अपील के प्रस्ताव का परीक्षण दो बार करना पड़ता है और ऐसा होने पर कभी–कभी एक ही मामले में दो अपील प्रस्तुत होने की संभावना बनी रहती है । अतः यह आवश्यक है कि आपराधिक मामलों में अपील प्रस्तुत है या निगरानी संबंधी प्रस्ताव राज्य सर्तकता आयोग या अन्य विभाग जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से मामले के अभिलेख के साथ समयावधि में विधि विभाग को भिजवायें ताकि प्रस्ताव के अनुसारअपील समयावधि में प्रस्तुत की जा सके और एक ही मामले के प्रस्ताव को दो बार

परीक्षण करने का अवसर न आवे । बिना अभिलेख के सीधे प्राप्त प्रस्ताव का समुचित परीक्षण करना सम्भव नहीं है ।

राज्य सतर्कता आयोग द्वारा अपील निगरानी के प्रस्ताव सीधे इस विभाग को कभी कभी इस कारण से भेजे जाते हैं कि जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से भेजने में समयावधि समाप्त न हो जावे । इस संदर्भ में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निर्णय होते ही लोक अभियोजक अथवा अशासकीय अभिभाषक जैसी परिस्थिति हो, तुरंत प्रमाणित प्रति के लिये न्यायालय में आवेदन पत्र देकर लोक अभियोजक अथवा अशासकीय अभिभाषक जैसी भी परिस्थिति हो, तुरंत प्रमाणित प्रति के लिये न्यायालय में आवेदन पत्र देकर लोक अभियोजक अथवा अशासकीय अभिभषक जिला दण्डाधिकारी ही न्यायालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिलिपि प्राप्त होते ही राज्य सतर्कता आयोग को भेज दें । राज्य सर्तकता आयोग (अपील) निगरानी करता है या नहीं यह निर्णय यथा संभव शीघ्रता से लेवें और अपना प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी को अर्द्धशासकीय पत्र के साथ भेजें और जिला दण्डाधिकारीसमस्त अभिलेख निर्णय की दो प्रमाणित प्रति विधि और विधायी विभाग को भेजें । इस संबंध में राज्य सतर्कता आयोग को जिला दण्डाधिकारी के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाये रखना चाहिये । ताकि अपील प्रस्ताव अभिलेख के साथ समयावधि में विधि विभाग में प्राप्त हो सके ।

यदि दण्डाधिकारी प्रस्ताव भेजने से इंकार करते है यदि जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव विधि विभाग में भेंजने में अनावश्यक विलम्ब होने की सम्भावना हो तो राज्य विकास आयोग

पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से प्रस्ताव विधि विभाग नियमावली के नियम 2 के अनुसार विधि विभाग को भिजवा सकते है ।

(सी0के0टंडन)
उप सचिव

अर्द्धशासकीयपत्र क्र0 12–290/81–21–क(आप.), विधिऔर विधायी कार्य विभाग, भोपाल

प्रति,

1. समस्त जिला दण्डाधिकारी,

विषय :– अपील प्रस्ताव के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि भेंजने के संबंध में ।

आपका ध्यान इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 6–1082/78/10247/21–क (आप.) दिनांक 7.11.78 तथा ज्ञापन क्रमांक 27144/21–क (आप.) दिनांक 7.11.79 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

यह बात देखने में आ रही है कि कई प्रकरणों में उच्च न्यायालय राज्य द्वारा दोषमुक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील करने के लिये अनुमति नहीं देते हुये संक्षेपिका अपील इस आधार पर खारिज कर रही है कि अपील ज्ञापन के साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अनुसार प्रश्नाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न नहीं रहती है ।

अपील ज्ञापन के साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत विधिवत और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सत्य प्रतिलिपि ही प्रमाण्धित प्रतिलिपि की कोटी में आती है । अन्य प्रतियां प्रमाणित प्रतियां नहीं मानी जाती जैसा कि स्टेट आफ यू.पी.बनाम सी. टोकिन (1958 ए. आई.आर. सुप्रीम कोर्ट 414) तथा स्टेट आफ एम.पी.बनाम मुरलीधर (दाण्डिक अपील क्रमांक 571/76 दिनांक 28.2.75) में अभिनिर्धारित किया गया है ।

प्रमाणित प्रति के अभाव में अपील गुणदोष के आधार पर निर्णीत नहीं होती है । बल्कि तकनीकी आधार पर खारिज हो जाती है । अपीलें तथा पुनरीक्षण प्रस्ताव तथा जमानत आदेश, सुपुर्दनाम आदेश, संपत्ति निराकरण आदेश रद्द करने हेतु प्रस्ताव भेजते समय इस बात की जॉच (चेक) कर लिया जाय कि जो प्रतिलिपि भेजी जा रही है वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि है । प्रतिलिपि पर मुख्य प्रतिलिपिकार की सील हस्ताक्षर होना यह

स्थापित करता है कि वह प्रमाणित है । यदि त्रुटिवश वैसी सील और हस्ताक्षर नहीं हो तो प्रतिलिपि शाखा की सील और हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत ही अपील प्रस्ताव भेजे जावें ताकि तकनीकी आधार पर अपील खारिज नहीं हो । यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में इस ओर कड़ाई से ध्यान दिया जायेगा ।

एस.एन. जौहरी

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 12/293/83/21–क (आप.), भोपाल,दिनांक12दिसम्बर 83

प्रति,

1. समस्त लोक अभियोजक मध्य प्रदेश

विषय :–प्रकरणों में अपील एवं पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के संबंध में ।

विभिन्न प्रकरणों में शासन की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली अपील एवं शिकायतों के संबंध में प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित शासकीय या अति0 शासकीय अभिभाषक विधि विभाग नियमावली के नियम 86–बी तथा 19 का पालन नहीं करते जिसके अनुसार किसी भी आपराधिक प्रकरण में शासन के विरूद्ध निर्णय होने पर शासकीय अभिभाषक या अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक को, जो प्रकरण के चार्ज में हो, उन्हें आदेश या निर्णय के 7 दिन के अंदर, जिला दण्डाधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें केस की संक्षेपिका साक्ष्य का विश्लेषण , पुनरीक्षण करने या न करने का मत तथा उसके आधार बतायें गये हों, भेजना चाहिये ।

इस प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित कागजात भी जाया करें :–

(1) निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ दो

(2) न्यायालय का अभिलेख

(3) आपका मत, अपील या रिवीजन के आधार व पुलिस अधीक्षक का मत,

आशा है उपरोक्त निर्देशों का आप सख्ती से पालन करेंगें ताकि इस विभाग को प्रकरण का परीक्षण करने के लिये पर्याप्त समय मिल सके और समयावधि के भीतर समुचित कार्यवाही की जा सके ।

आर0 डी0 शुक्ला
विशेष सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 10014 / 5–234 / 94 / 21–क (आप.दो), भोपाल,दिनांक 18 / 7 / 94

प्रति,

1– शासन के समस्त सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल

विषय :–स्टैण्डिग कौंसिल को वकालातनामा जारी करने बावत् ।

उच्चतम न्यायालय में शासन के विरूद्ध दायर होने वाले प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा संबंधित विभागों को नोटिस जारी किये जाते हैं । प्रायः यह देखा गया है कि प्रकरणों से संबंधित प्रभारी अधिकारी बिना यह सुनिश्चित किये कि प्रकरण में विधि विभाग द्वारा स्टैंडिग कौंसिल को प्रतिरक्षण आदेश तथा वकालतनामा जारी किया गया है अथवा नहीं, वादोत्तर तैयार करने हेतु स्टैंण्डिग कौसिल से सम्पर्क स्थापित करते हैं । वकालतनामें के अभाव में प्रकरण में प्रतिरक्षण करने में स्टैण्डिग कौंसिल असमर्थ रहते हैं । किसी भी विभाग को जैसे ही वकालतनामा एवं उत्तर प्रस्तुत करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय की सूचना पत्र प्राप्त होता है ,तत्काल ही उसे विभागाध्यक्ष की जानकारी में लाया जाय ,और विधि विभाग से संपर्क कर स्टेंडिंग काउसिंल के लिए वकालतनामा प्राप्त किया जाए और उसके साथ प्रभारी अधिकारी को दिये गये समय से पूर्व स्टैंण्डिग काउसिंल से सम्पर्क हेतु निर्देशित किया जाए ।

2– अतः कृपया प्रकरणों से संबद्ध प्रभारी अधिकारियों को यह निर्देश दें कि स्टैण्डिग कौंसिल से सम्पर्क करने से पूर्व यह

सुनिश्चित कर लें कि विधि विभाग द्वारा प्रतिरक्षण आदेश तथा वकालतनामा स्टैंण्डिग कौंसिल से सम्पर्क करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विधि विभाग द्वारा प्रतिरक्षण आदेश तथा वकालतनामा स्टैंण्डिग कौसिल को भेजे गये हैं अथवा नहीं ।

(विकास जैन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक10014/5–234/94/21–क(आप.दो),
भोपाल,दिनांक 18/7/1994

प्रतिलिपि :–
1– श्री सतीश के0 अग्निहोत्री, अधिवक्ता, 119 लायर्स चेम्बर उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(विकास जैन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग
विन्ध्याचल भवन– 462004

क्रमांक12 / 122 / 92 / 21–क (आप0)मु0स0 / 96,
भोपाल,दिनांक 4 मार्च 1996

प्रति,

1– समस्त संभागायुक्त
समस्त जिला दण्डाधिकारी
समस्त पुलिस अधीक्षक
मध्य प्रदेश शासन,

शासन के ध्यान में लाया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का नियत समय–सीमा में या उचित समय में समुचित पालन मामलों में प्रभारी अधिकारीगण द्वारा नहीं किया जाता है । माननीय सर्चोच्च न्यायालय के समक्ष म0प्र0 राज्य के स्टेण्डिग कौसिल श्री उपानाथ सिंह का पत्र तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (क्रिमि0) न0 2850 / 92 राजाराम शर्मा एवं अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी 1996 की प्रतियॉ संलग्न है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण सें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11जनवरी ,1996 को राज्य के अभिभाषक को यह निर्देश दिया था कि निश्चित किया जावे कि संबंधित न्यायालय ने जमानतदारों को जमानत की राशि जमा करने का आदेश देने के पूर्व जमानतदारों की पहचान निश्चित करने के लिये कोई प्रारम्भिक जॉच की थी या नहीं तथा इस बाबत् विवरण शपथ पत्र के रूप में तीन सप्ताह के अंदर प्रस्तुत किया जावे । माननीय सर्वोच्च न्यायालय

के इस निर्देश का पालन तीन वर्षो तक नहीं किया गया और आदेशित हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य शासन के गृह विभाग के काम काज पर तीखी टिप्पणी की है और अपील स्वीकार करते हुये और प्रश्नाधीन आदेश अपास्त करते हुये आदेशित किया है कि जमानतदारों द्वारा वास्तव में और उनकी पहचान निश्चित किये जाने बावत जॉच कर आगे कार्यवाही की जावे । राज्य शासन इस खेद जनक स्थिति पर खिन्नता और अप्रसन्नता व्यक्त करता है और निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का विहित अवधि में अथवा कोई अवधि नियत नहीं की गई हो तो उचित अवधि के समुचित पालन सुनिश्चित किया जावे । किसी असावधानी या त्रुटि के लिये संबंधित प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध यथायोग्य कड़ी कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जावेगी तथा संबंधित जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक भी ऐसी त्रुटि के परिहार हेतु कार्यवाही न किये जाने के लिये उत्तदरायी मान्य किये जावेंगे यदि उनकी ओर से यह नहीं दर्शाया जा सका कि उन्होने माननीय न्यायालय के निर्देश का पालन/ सुनिश्चित करने के लिये अपने स्तर पर संभव प्रत्येक कार्यवाही की ।

(शरद चन्द्र बेहार)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक6/909/95/2748/21-क(आप0)
भोपाल,दिनांक 18/3/97
12-122/92
प्रति,

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
मध्यप्रदेश

विषय :-आपराधिक प्रकरणों में अपील/रिवाजन के प्रस्ताव समयावधि में भेजने के संबंध में ।

राज्य शासन के ध्यान में य बात लाई गई है कि कई आपराधिक प्रकरणों में अपील प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारीयों द्वारा विधि विभाग को अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात या बहुत कम अवधि शेष रहने पर प्रेषित किये जाते हैं । इस कारण अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत होने पर उन्हें उस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है ।

2- कई प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि अवधि बाह्य प्रस्तुत अपील में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता द्वारा निर्देश दिये जाने के उपरांत भी प्रभारी अधिकारी उनके समक्ष उपस्थित नहीं होते इस कारण देरी को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत नहीं हो पाता और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील निरस्त कर दी जाती है ।

3- अपील प्रस्ताव तत्काल इस विभाग को प्रेषित किये जावें इस संबंध में समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग तथा इस विभाग द्वारा परिपत्र जारी किये गये हैं किन्तु इसका पालन नहीं किया जा

रहा है और इसके उपरांत भी बाह्य अपील प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है तथा उनमें देर का भी कोई कारण नहीं दर्शाया जाता ।

4– अपील/रिवीजन के प्रस्ताव बिना किसी देरी के विधि विभाग को भेजे जाना चाहिये तथा विधि विभाग द्वारा क्र0 160/पी.एस./लॉ/95 दिनांक 11.12.1995 तथा क्र0 12/122/92/21–क (आप.) भोपाल, दिनांक 23.12.96 द्वारा विस्तृत परिपत्र जारी किये गये हैं किन्तु उनका पालन नहीं किया जा रहा है ।

5– हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विविध क्रिमिनल केस न0 4132/95 के आदेश दिनांक 1.8.96 में यह स्थिति उत्पन्न हुई और अवधि बाह्य प्रस्तुत होने वाली अपीलों के संबंध में उनके द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जाकर कहा गया कि शासकीय मशीनरों को अपील प्रस्तुत करने में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिये । आदेश के संबंधित अंश की प्रति एतद् संलग्न अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

6'– 1 नवम्बर, 1996 से 15.1.97 तक इस विभाग में विभिन्न जिला दण्डाधिकारियों से कुल 64 प्रस्ताव अवधि बाह्य प्राप्त हुये है जो कि उचित नहीं है ।

7– अतः भविष्य में निर्णय की नकल मिलने के 15 दिवस के भीतर ही इस विभाग को अपील/रिवीजन प्रस्ताव भेजा जावे ताकि अवधि के अंदर ही उसकी प्रस्तुति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष की जा सके । निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी क्रमांक एफ–11.22/94/9/एक दिनांक 9 अगस्त 1994 के अनुसार समय पर कार्यवाही न करने के लिये जिम्मेदार अधिकार व कर्मचारी के विरूद्ध गंभीर दुराचरण मानकर कार्यवाही की जा सकती है ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(एस0एल0बंसल)

अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0क्र0 6 / 909 / 95 / 2748 / 21—क (आप0)
भोपाल,दिनांक 18 / 3 / 97 12—122 / 92
प्रतिलिपि :—
1— मुख्य सचिव के निज सचिव, म0प्र0 शासन मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2— प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन गृह विभाग (मंत्रालय) भोपाल की ओर सूचनार्थ

(एस0एल0बंसल)

अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक12/122/92/7187/10177/21-क (आप),
भोपाल,दिनांक 30/10/04

प्रति,

1-महाधिवक्ता म.प्र. जबलपुर,
2-अतिरिक्त महाधिवक्ता जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
3- उप महाधिवक्ता जबलपुर
4- शासकीय अधिवक्ता जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर
5- सभी जिला मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधीक्षक म.प्र.

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि राज्य शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना ही दोष मुक्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विधि विभाग की स्वीकृति की प्रत्याशा में अपील प्रस्तुत की जा रही है । यह प्रक्रिया विधि सम्मत नहीं है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (1) के अंतर्गत राज्य शासन के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोक अभियोजन द्वारा अपील प्रस्तुत की जा सकती है ।

अतएव इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 12/122/92/7187/10177/21-क (आप.) दिनांक 18.11.96 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये लिखा जाता है कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

विधि विभाग की नियमावली के नियम 94 की ओर समस्त जिला मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वे दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्ताव इस प्रकार इस विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें कि ऐसा प्रस्ताव निर्णय दिनांक से 45 दिवस के अंदर इस विभाग को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जावें ।

(डी.के.पालीवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक /21-क (आप.), /4395 भोपाल,दिनांक 21, जुलाई 2006
प्रति,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट
समस्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक,
समस्त अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी,

विषयः- मजिस्ट्रेट द्वारा दाण्डिक प्रकरण में पारित दोषमुक्ति/उन्मोचन आदेश अथवा दण्डादेश की अपर्याप्तता के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय में अपील/पुरनीक्षण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना ।

विधि नियमावली के नियम 94,99 तथा 100 के प्रावधानों के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में वर्णित उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी के दण्ड न्यायालयों द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश/उन्मोचन आदेश अथवा दण्डादेश की अपर्याप्तता के विरूद्ध अथवा राज्य सरकार के विरूद्ध पारित अन्य आदेशों के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग को प्रेषित किये जाने का प्रावधान था ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रावधान जो कि भारत के राजपत्र में दिनांक 21.6.2006 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 23.6.2006 से प्रभावशील हुये हैं, के द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निहित किया गया है । अतः उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग द्वारा जारी किये गये पूर्व आदेशों को उस सीमा तक जिस सीमा तक वे असंगत हो, को अधिक्रमित (Supersede) निरस्त करते हुये निर्देश दिया जाता है कि :-

1- किसी भी दाण्डिक प्रकरण में राज्य के विरूद्ध निर्णय/आदेश होने पर मामले का संचालन करने के लिये उत्तरदायी अभियोजन अधिकारी आदेश या निर्णय के 7 दिन के अंदर उस प्रकरण से संबंधित साक्षियों के कथन पत्र, निर्णय/आदेश तथा अन्य संसुगत दस्तावेजों के साथ जिला मजिस्ट्रेट का एक विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें

प्रकरण की संक्षेपिका, साक्ष्य का विश्लेषण, अपील अथवा पुनरीक्षण करने या न करने का मत तथा उसके आधार बताते हुये, प्रेषित करेगा ।

2– कंण्डिका ''एक'' में दिये गये निर्देशों के अनसुरण में प्रतिवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर जिला मजिस्ट्रेट उक्त प्रतिवेदन का परीक्षण करने के उपरांत ऐसे निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण सेशन न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश लोक अभियोजक को देगा तथा एकसे निर्देश की एक प्रति कंण्डिका एक के अनुसार प्रतिवेदन प्रेषित किये करने वाले अभियोजक अधिकारी को देगा ।

3– कंण्डिका ''दो'' के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से निर्देश प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र या अग्रिम तीन कार्य दिवस के अंदर लोक अभियोजक (जिसके अंतर्गत अतिरिक्त लोक अभियोजक भी आते हैं) मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सूचना जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा ।

4– उक्त प्रयोजन हेतु जिला मजिस्ट्रेट तथा लोक अभियोजक द्वारा अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित की जायेगी । उक्त पंजी में मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का तथा ऐसे प्रस्ताव के आधार पर अपील पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का निर्देश दिये जाने तथा उक्त निर्देशों के अनुसरण में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने संबंधी तात्विक जानकारी की प्रविष्टि की जावेगी ।

5– दाण्डिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्राधिकृत अभियोजक तथा जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा कि मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण सेशन न्यायालय में परिसीमाकाल के अंदर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे, परन्तु यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना संभव न हो तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार देरी को क्षमा किये जाने के आवेदन के साथ ऐसी अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विमल प्रकाश शुक्ल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3(अ)/212/94/903/21–क (सि.),

भोपाल,दिनांक 6.5.94

प्रति,

1–समस्त सचिव
म0प्र0 शासन

2–समस्त जिलाध्यक्ष
म0प्र0 शासन

विषयः– जिला न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद में अपील आदि में शासन के प्रतिरक्षण हेतु कार्यवाही ।

–––0––––

जिला न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद अथवा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रतिरक्षण आदेश प्रसारणार्थ कई प्रशासकीय विभागों से प्रकरण इस विभाग में प्राप्त होते है ।

विधि विभाग नियमावली के नियम 151 के अनुसार उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय विभाग के प्रभारी अधिकारी को जिला कलेक्टर से सम्पर्क करना चाहिये एवं नियम 25 के अनुसार जिला कलेक्टर शासकीय अभिभाषक या अतिरक्त शासकीय अभिभाषक को ऐसे प्रकरणों को सौपे जाने के आदेश देने में सक्षम है । इस हेतु प्रकरण विधि विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है । नियम 152 के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी को शासन को रिपोर्ट भेजना चाहिये तथा संबंधित विभाग द्वारा नियम 153 के अंतर्गत विधि विभाग में आदेश लेना चाहिये नियम 151, 152,153 की फोटोप्रति इस पत्र के साथ संलग्न मार्गदर्शन हेतु भेजी जा रही है, उनके अनुरूप कार्यवाही की जावे ।

शासन के विरूद्ध निर्णीत प्रकरणों में यदि प्रशासकीय विभाग अपील किया जाना उचित समझता है तो विधि विभाग नियमावली के नियम 170 के अनुसार, प्रशासकीय विभाग के प्रमुख के माध्यम से ऐसी अपील की अनुशंसा के कारण देते हुये प्रतिवेदन, निर्णय, जयपत्र जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तावित है कि प्रति तथा प्रस्तावित अपील मेमो के साथ इस विभाग को यदि अपील जिला न्यायालय में ही की जाना है, तो जयपत्र के पारित होने के 15 दिवस के भीतर, और यदि उच्च न्यायालय में अपील की जाना है,तो एक माह की अवधि के

भीतर किया जाना चाहिये , ताकि इस विभाग द्वारा नियम (7) के अधीन आदेश प्रसारित किये जा सके ।

राज्य शासन के पक्ष में निर्णीत प्रकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर नियम 173 के अधीन प्रभारी अधिकारी कार्यवाही हेतु सक्षम है । सामान्यतः विधि विभाग से निर्देश अपेक्षित नहीं है, केवल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील का नोटिस महाधिवक्ता को नियम 173 (3) के अनुसार विधि विभाग के द्वारा भेजा जावेगा ।

संलग्नः—संबंधित नियमों की प्रति

(प्रभा खरे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग
विध्याचल भवन,
भोपाल–462004

क्रमांक 3547/21–क (सि.), भोपाल,दिनांक 25.4.95
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष
समस्त शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्तागण,
मध्यप्रदेश

विषयः– दीवानी मामलों में शासन के विरूद्ध निर्णय या आदेश के विरूद्ध अविलम्ब अपील किये जाने बावत ।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि शासन के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दीवानी मामलों में निर्णय या आदेश होने की स्थिति में अपील हेतु प्रकरण, संबंधित प्रशासीय विभाग की भूमिका और प्रायः त्रुटि या उपेक्षा के कारण या /एवं मामलों में पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता के द्वारा उपेक्षा बरते जाने या त्रुटि के कारण, ऐसे निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील योग्य होते हुये भी इस विभाग को विलम्ब से प्राप्त होते है । जिसके परिणामस्वरूप विधिक परीक्षण व प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिये जाने के उपरांत अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विलंब से प्रस्तुत की जाती है । कहने की आवश्यकता नहीं है कि विलंब के कारण इसी आधार पर अपील निरस्त होने की प्रत्येक संभावना रहती है । इस विलंब के परिहार के लिये निर्देशित किया जाता है कि :–

(1) जिला स्तर तक के न्यायालयों में शासन के विरूद्ध दीवानी मामलों में निर्णय या आदेश होते ही उस मामले में संचालन करने वाले शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता का व्यक्तिगत कर्तव्य होगा कि वह तुरंत निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत करें (जिसके लिये कि कोई प्रतिलिपि शुल्क भी देय नहीं है) और प्रमाणित प्रतिलिपि यथाशीघ्र प्राप्त कर वह प्रति अपने अभिमत सहित मामले के प्रभारी अधिकारी प्रशासकीय विभाग को दी

जाना या पहुचाई जाना सुनिश्चित करें । साथ ही व इसकी सूचना स्वयं से अभिमत की एक प्रति के साथ विधि विभाग को प्रेषित करें ।

(2) जिला न्यायालय के मूल (Original) या अपीलीय मामले में शासन के विरूद्ध निर्णय/ आदेश की दशा में उपरोक्तानुसार निर्णय/आदेश की प्रति यथासंभव शीघ्र प्राप्त कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को प्रभारी अधिकारी को अपने मत सहित प्रेषित किया जाना संबंधित शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता सुनिश्चित करेंगे । साथ ही वह अपने मत की प्रति सहित निर्णय/आदेश की सूचना इस विवरण के साथ विधि विभाग को प्रेषित करेंगे :–

(1) निर्णय/आदेश का दिनांक
(2) प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने का दिनांक
(3) प्रतिलिपि प्राप्ति के लिये तलब किये जाने का दिनांक
(4) प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने का दिनांक

ऐसे मामलों में जिलाध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी प्रशासनिक विभाग का संयुक्त दायित्व होगा कि वे शासकीय/ अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता से शीघ्र परामर्श कर अपील प्रस्तुति के बारे में प्रस्ताव प्रशासकीय के माध्यम से विधि विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करते हुए प्रशासकीय विभाग को भेजे गये प्रस्ताव की एक प्रति उसी समय विधि विभाग को भेजें ।

(3) न्यायाधीश (वर्ग एक एवं दो) के व्यवहार न्यायालय के निर्णय या आदेश के(विरूद्ध अपील/रिवीजन जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना होता है जिनके) लिये जिलाध्यक्ष स्वयं ही निर्णय लेने व निर्देश देने के लिये सक्षम है । अतः संबंधित जिलाध्यक्ष ऐसे शासन के विरूद्व निर्णय या आदेश की प्रति तथा संबंधित शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर प्रशासकीय विभाग से आवश्यकता अनुसार परामर्श कर अपील के औचित्य बावत शीध्र निर्णय कर सभी दस्तावेजों सहित अपील प्रस्तुत किये जाने का निर्देश जारी किये जाने , प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने और शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किये जाने की कार्यवाही करेंगे और तत्समय ही सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे । ऐसे मामलों में अपील प्रस्तुति में विलंब होने की दशा में दायित्व निर्धारण कर शासकीय अधिवक्ता या अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की उपेक्षा या त्रुटि पाई जाने पर उसे गंभीरता से लिया जावेगा, कदाचरण समझा जावेगा और इस आधार पर इस रूप में नियुक्ति को निरस्त किया जा सकता है ।

जिलाध्यक्ष कार्यालय में विलम्ब की दशा में जिलाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह बिलम्ब के लिये कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है उसका उत्तरदायित्व होगा कि वह विलम्ब के लिये कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है उसका उत्तरदायित्व निर्धारण करे और उसके विरूद्ध आवश्यक उचित कार्यवाही करे इस विभाग को सूचित करें ।

अपील प्रस्ताव में विलम्ब के परिहार के लिये यह प्रकिया आदेशित की जा रही है और इसके बावजूद किसी स्थिति पर विलम्ब की दशा में संबंधित दोषी शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता या अधिकारी/कर्मचारी के दोष या उपेक्षा की गंभीरता से बरता जावेगा ।

(एन0के0जैन)
प्रमुख सचिव, विधि
मध्यप्रदेश शासन,

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग,

फा0क्रमांक 3(डी) 3/92/5439/21–क(सि0) भोपाल
दिनांक 10.11.1995

प्रति,

1. समस्त सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त आयुक्त,
   मध्यप्रदेश.
4. समस्त जिलाध्यक्ष,

विषय :–प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति संबंधि आदेश जारी करने बावत् ।

———0———

विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के लिये आदेश का प्रारूप तैयार किया गया है, जो संलग्न है । भविष्य में इस प्रारूप में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– प्रारूप पत्र

(डी.पी.वर्मा)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क्रमांक 3(डी) 3/92/5439/21–क(सि0) भोपाल
दिनांक 10.11.1995
प्रतिलिपि :– संलग्न प्रपत्र सहित

1– महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश शासन जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर / ग्वालियर,
2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल न्यायिक शाखा एक–दो / आपराधिक शाखा / स्थापना शाखा

(डी.पी.वर्मा)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन,

..............................विभाग,

—: <u>आदेश</u> :—

भोपाल, दिनांक

क्रमांक ....

सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक—5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये हुये श्री ....
.................को (पक्षकारों के नाम)
में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य वातों के साथ ऐसी रीति में जिसके व्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा :—

1— प्रभारी अधिकारी, मामले के ततथ्यों में बारे में तुय्रत ऐसी जॉच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिंदुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।

2— समस्त संसुगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।

3— वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिंदुओं का पैरा अनुसार उत्त देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

4— उक्त रिपोर्ट तथा समग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।

5— शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा ।

6— प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :—

(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट ।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना ....प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिर्पोट में अपेक्षा की गई है ।

(घ) मामले में विश्दीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्राों की प्रतियां, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

7— मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।

8— जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के वियद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।

9— अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।

10— यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और इसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हों ।

11 — जैसे ही उस अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्त4मान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए ।

12— प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हरसंभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नही रह जाए ।

13— प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए ।

14— प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किए गए किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है । अतएव वह उस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित कियाजाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( )

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन.....................विभाग

पृ0क्रमांक... भोपाल दिनांक ....

.............................प्रतिलिपिः

1— महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ इन्दौर/ग्वालियर।

2— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ओर विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।

3— संबंधित जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

4— ....

....

प्रभारी अधिकारी, की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित । मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए।वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए । मामले की सुनवाई तारीख............. ....
......को ....हेतु नियत की गई है ।

5– शासकीय अधिवक्ता / प्लीडर / (अभिभावक)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

( )
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.....................विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग,

फा0क्रमांक 3(बी)293 / 99 / 671 / 21–क(सि0)
भोपाल दिनांक अप्रेल 99

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

....

विषय :– जिला सरकार जिला स्तर पर जिला योजना समिति एवं अन्य पदाधिकारियों की कृत्यों, दायित्वों एवं अधिकारों का सौंपा जाना ।

0000000

श्रम न्यायालय, जिला उपभोक्ता फोरम, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी व पेंमेट आफ वेजेज एक्ट के अधीन आदेश निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील करने की अनुमति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नानुसार हैः–

(1) श्रम न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 व पेमेंट आफवेजेज एक्ट के अंतर्गत दिए गए आदेश के विरूद्ध अधिनियमके प्रावधानों के अंतर्गत 30 दिन में अपील / विविध आवेदन औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार हो, के

समक्ष पेश की जाएगी । औद्योगिक न्यायालय तथा उसके खण्डपीठों के क्षेत्राधिकार की जानकारी सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है । औद्योगिक न्यायालय इन्दौर, ग्वालियर,व जबलपुर में अपील पेश करने के लिए महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता जबलपुर/इन्दौर ग्वालियर को यह निर्देश देना होता है कि वे किसी शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अपील पेश करवाएं । जब अपील औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ रायपुर और खण्डपीठ भोपाल के समक्ष पेश की जाना हो तब (राज्य प्रशासनिक अधिकरण) के लिए नियुक्त शासकीय अधिवक्ता को अपील पेश किए जाने के निर्देश दिए जाएं । भोपाल व रायपुर के लिए नियुक्त शासकीय अधिवक्ता का आदेश सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है ।

(2) नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपादान भुगतान अधिनियम के अंतर्गत किए गए आदेश के विरूद्ध अपील 60 दिन मं उप श्रमायुक्त जिसे क्षेत्राधिकार हो, के समक्ष पेश की जाएगी । अपील पेश किए जाने के निद्रेश जहां उप श्रमायुक्त सुनवाई करेगें वहां के गवर्न्मेंट प्लीडर को जारी किए जाएं ।

(3) जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील 30 दिन में राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल के समक्ष पेश की जाएगी यह अपील भोपाल के लिए नियुक्त शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से पेश की जाएगी ।

(एस0एम0श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक 2406 / 21—क(सिविल) भोपाल, दिनांक 8.2.99

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त आयुक्त
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश
....

विषय :—राज्य शासन के विरूद्ध लंबित मामलों में राज्य शासन की ओर से जबाव पेश किये जाने हेतु ।

श्री शेखर भार्गव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर ने सूचित किया है कि राज्य शासन द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले प्रतिदिन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं । मान0 उच्च न्यायालय ने खुले न्यायालय में यह व्यक्त किया है कि जिन मामलों में राज्य शासन की ओर से उत्तर प्रस्तुत करने के लियेदो से अधिक बार समय लिया गया है उन मामलों मे आगामी सप्ताह से परि व्यय आरोपित किया जावेगा अधिकारी मामलों मे राज्य शासन द्‌वारा दो से अधिक अवसर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए लिया जा चुके है । इसलिये वह असंभव होगा कि परिव्यय आरोपित होने से बचा सके ।

श्री आर0 ए0 रोमन, अतिरिक्त महाधिवक्ता ग्वालियर ने भी सूचित किया है कि बार—बार सूचना देने के बावजूद मामलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं होते हैं और प्रभारी अधिकारियों द्वारा समय—समय पर न्यायालय में उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं । कभी कभी प्रभारी अधिकारी स्वयं शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क भी नहीं करते है और अन्य कर्मचारियों को उत्तर प्रस्तुत करवाने के लिये भेज देते हैं जो उचित नहीं है ।उन्होने याचिका क्रमांक 624 / 98 में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 500 / — रू0 परिव्यय लगाने के बावजूदउत्तर प्रस्तुत न करने कारण 5000 / — परिव्यय आरोपित करने के तथ्य पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया है । मुख्य यचिव ने इस प्रकरण में परिव्यय की राशि प्रभारी अधिकारी से वसूल करने के निर्देश दिये है ।

अतः समस्त मामलों के प्रभारी अधिकारियों को सूचित किया जाए कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में उत्तर अविलंब प्रस्तुत किये जाए । यदि उत्तर नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायालय द्वारा शासन पर कोई परिव्यय आरोपित किया जाता है तो वह त्रुटिकर्ता अधिकारी से वसूल किया जावेगा । न्यायालय अथवा शासकीय अधिवक्ता कार्यालय से किसी मामले की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाए । प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने में विलम्ब होने की दशा में भी विलंबकर्ता अधिकारी/कर्मचारी से न्यायालय द्वारा आरोपित किया जाने वाला परिव्यय वसूल किया जाएगा ।

कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए ।

(शशि मोहन श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक 2406/21–क(सिविल) भोपाल, दिनांक 8.2.99
प्रतिलिपि :–

मुख्य सचिव, के निजी सचिव की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि परिपत्र से माननीय मुख्य सचिव को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(शशि मोहन श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग,

फा. क्र0 3(बी)/978/99/21–क(सि0 भोपाल, दिनांक 22/11/99

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,
समस्त संभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय :–उपभोक्ता फोरम में शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने हेतु नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं के देय फीस बावत ।

–––0–––

राज्य शासन, जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष चल रहे आवेदन/अपील में राज्य शासन की और से पक्ष समर्थन करने वाले अधिवक्ताओं के लिये निम्नलिखित दरों पर अधिवक्ता फीस दिया जाना निश्चित करता है :–

1 जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता शुल्क अधिकतम 1000 ./–रूपये.

2 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष प्रत्येक प्रकरण /अपील मे अधिकतम अधिवक्ता फीस 2000./–रूपये

3 यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण /अपील का निराकरण प्रारंभिक स्थिति मे बगैर साक्ष्य के होता है तो अधिवक्ता फीस आधी देय होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

(जे0के0जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा. क्र0 3(बी)/676/99/स–क(सि0) 10849 भोपाल, दिनांक 22/8/99

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :– जिला कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव को सिविल रिविजन पेश करने के अधिकार प्रत्यायोजित करने के संबंध में ।

वर्तमान में सिविल न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्व रिविजन पेश किये जाने के संबंध में विधि विभाग द्वारा मामले का परीक्षण कर कार्यवाही की जाती है । जिला कलेक्टर अब पदेन उप–सचिव भी नामांकित हो चुके है , इसलिये सिविल न्यायालयों के

आदेशों के विरूद्व मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिविजन पेश किये जाने के संबंध में निर्णय लेने एवं उस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव को इस आदेश से सौंपा जाता है ।

मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने वाली प्रथम व द्वितीय सिविल अपिल के प्रस्ताव वर्तमान में संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से, विधि विभागको प्राप्त होते हैं और इस पर विधि विभाग द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जाताहै ।चूंकि जिले के कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के अधिकार दिये जा चुके हैं और वे पदेन उप सचिव भी हैं , इसलिये जिले के कलेक्टर प्रथम अपिल व द्वितीय अपील जो मान0 उच्च –न्यायालय के समक्ष पेश की जाना हो , के प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करके सीधे विधि विभाग को भेजेंगे । ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधि विभाग पूर्ववत् कार्यवाही करेगा ।

(जे. के. जैन)
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

<u>मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग</u>

फा0क्र0 3(बी)/978/99/6240/21–क(सि0) भोपाल, दिनांक अप्रैल 00

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,
समस्त संभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय :–उपभोक्ता फोरम में शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने हेतु नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं के देय फीस बावत ।

0000

राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दि0 22/11/99 जो कि जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता

विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष चल रहे आवेदन/अपीलीय प्रकरणों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले अधिवक्ताओं को देय फीस से संबंधित है, के पैरा (3) को निम्नानुसार संशोधित करता है :–

प्रारम्भिक स्थिति बगैर साक्ष्य के निराकरण से तात्पर्य है कि –

अ– प्रकरण/अपील आवेदक/अनावेदक, अपीलार्थी/प्रति अपीलार्थी की अनुपस्थिति में खारिज होने की दशा में,

ब– एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने की दशा में,

स– पक्षकारों के बीच में राजीनामा होने की दशा में,

द– मौखिक अथवा शपथ–पत्रों के रूप में, साक्ष्य लेकर गुण दोषों पर निराकरण से भिन्न निराकरण किये जाने की दशा में, उपरोक्त स्थितियों में अधिवक्ता फीस आधी देय होगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जे. के. जैन)
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

डी0क्रमांक 4391/21–क (सि0)   भोपाल, दिनांक 22 जून 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :–विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरूद्ध विधि विभाग को भेजे जाने वाले अपील प्रस्तावों के संबंध में मार्गदर्शन ।

————————

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों/कलेक्टरों से विधि विभाग की जो अपील प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं । उनके साथ अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों के निर्णय/आदेशों की प्रति के साथ प्रस्तुत आवेदन/वाद पत्र, शासन द्वारा प्रस्तुत उत्तर/जबावदावा, अपील मेमो तथा शासकीय अधिवक्ता का आधार सहित मत, सुसंगत दस्तावेज एवं विभागीय संक्षेपिका संलग्न कर नहीं भेजे जाते फलतः प्रकरण का सूक्ष्मता से एवं तार्कित रूप से परीक्षण करने में असुविधा होती है ।

अतः अनुरोध है कि जब कभी भी विधि विभाग को अपील प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं, उस स्थिति में कलेक्टर/विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि उपर वर्णित सभी दस्तावेज नस्ती/प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजे जा रहे है या नहीं जिससे कि प्रकरण का परीक्षण करने मे अनावश्यक विलंब न हो ।

कृपया इसका पालन करने हेतु संबंधितों को निर्देश देवें ।

(जे0 के0 वैध)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:– आदेश –:

भोपाल, दिनांक मई 1999

फा0क्रमांक 1/सी/81/92/21–क (दो) – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को दिनांक 1.5.99 से निम्नानुसार अभिभाषक शुल्क दया जाना सुनिश्चित करता है –

2– सत्र न्यायालय में पैरवी करने पर फीस रू0 400/– (रूपये चार सौ) केवल प्रतिदिन तथा सत्र न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने पर रूपये 200 (रूपये दो सौ) केवल प्रतिदिन की दर से न्यायालय के प्रमाणपत्र के आधार पर देय होगी । यदि एक दिन में एक ही न्यायालय में एक से अधिक प्रकरणों में पैरवी की जाती हैतो भी प्रतिदिन एक ही प्रकरण की दर से फीस देय होगी । उन्हें प्रकरणों के संबंध में की जाने वाली यात्राा के लिये राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समक्ष यात्रा भत्ता देय होगा ।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29–2814 न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदात्री 10 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियां (3578) मुफरियल स्थापना के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

4– य स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक दिनांक द्वारा महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित किया गया ।

5– संबंधित विशेष लोक अभियोजक अपने देयक भुगतान हेतु सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विन्ध्याचल प्रथम तल भोपाल को सीधे प्रस्तुत करेंगे ।

6– इस विभाग की फीस संबंधित समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जनवरी, 1993 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(प्रवीण शाह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:– संशोधित परिपत्र –:

क्रमांक 17 (ई) 108/93/21–ब(दो) भोपाल, दिनांक 28.9.1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :–श्रम न्यायालयों के प्रकरणों में नियुक्त होने वाले शासकीय अभिभाषकों को देय फीस के संबंध में ।

———————

उपरोक्त विषयक इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 4.1.94 को निरस्त करते हुये राज्य शासन, श्रम न्यायालयों में शासन की ओर को इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित दरों पर अभिभाषकों को इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित दरों पर अभिभाषक शुल्क दिया जाना नियिचत करता है :–

(अ) 1– (क) म0प्र0 औद्योगिक संबंधी अधिनियम	1 वाद प्रश्न के निर्धारण तक रूपये 500/–
(ख) औद्योगिक विवाद	2 वाद प्रश्न के निर्माण से अंतिम निर्णय तक रु0 500/– परन्तु किसी भीस्थिति मेंकुल रु01000/– प्रति प्रकरण से अधिक नहीं है।
2– (क) कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम	प्रकरण के अंतिम
(ख) राज्य कर्मचारी	निराकरण के पश–

बीमा अधिनियम (ग मजदूरी भुगतान अधिनियम (घ न्यूनतम वेंतन अधिनियम	चात् कुल रु0300 / –प्रति प्रकरण परन्तु साक्ष्य के पूर्व किसी कारण वश प्रकरण किसी अन्य अधिव– क्ता को हस्तांरित किया जाता है तो उस स्थिति में आधी फीस अर्थात रु0150 / – केवल ही देय होगी।
3– (क) विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत चलने वाले फौज– दारी प्रकरण(संक्षिप्त– स्वरुप के विचारण)	प्रति प्रकरण रु0100 / – प्रकरण के अंतिम निरा– करण उपरान्त ।
(ख) जिन आपराधिक प्रकरणों में साक्ष्य अंकित कीजाये।	प्रति प्रकरण रु0250 / – केवल परन्तु साक्ष्य अंकित होने के पूर्व किन्ही कारणों सेप्रकरण किसी अन्य औधवक्ता को हस्तान्तरित किया जाता है ,उसस्थिति में साक्ष्य अंकित कराये जाने से पूर्वके अभिभाषक को रु0100 / –केवल तथा साक्ष्य अंकित कराने वाले अभिभाषक को रु0150 / – केवल देय होगी।
4 (अ) औद्योगिक विवाद अधिकरण केसमक्ष सभी प्रकार के प्रकरण अंतिम सुनवाई तक कार्य करने पर,	प्रति प्रकरण रू0 1000 / – केवल

(ब) श्रम न्यायालय द्वारा यदि किसी प्रकरण में उपरोक्त फीस से कम फीस (अभिभाषक शुल्क) प्रमाणित की जाती है, उस स्थिति में वही फीस देय होगी जो कम हो ।

(स) श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय द्वारा यदि समान विषय वाले मामलों को एक ही आदेश से अथवा एक ही समान अलग अलग आदेशों से निराकृत किया जावे तो ऐसी स्थिति में शासकीय अधिवक्ता, परिपत्र में बताये अनुसार समान तथ्यों वाले दस अथवा दस से कम प्रकरणों के समूहों के लिये एक प्रकरण के लिये प्रभावशील शुल्क पाने का अधिकारी होगा ।

(द) प्रकरण रिमांड होने की दशा में शासकीय अधिवक्ता जिनके द्वारा पूर्व में उसी प्रकरण में पैरवी की है, द्वारा पैरवी की जावेगी तो उन्हें अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

(ई) समान विषय वाले एक से अधिक प्रकरण प्रकरण एक ही शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किये जावेगे । एक से अधिक अधिवक्ता की नियुक्ति की आवश्यकता पर प्रशासकीय विभाग ऐसे समान विषय वाले प्रकरणों में से एक से अधिक अधिवक्ता को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति कारण सहित दे सकता है ।

(टी0पी0शर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:– आदेश –:

भोपाल, दिनांक 25.6.1999

फा0क्रमांक 1/सी/एक्टोसिट/21–ब (दो), राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम (1) के अनुसार नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवताओं को दिनांक 1.5.99 से निम्नानुसार शुल्क दिया जाना एतद् द्वारा नियत करता है :–

1–विशेष लोक अभियोजक	(क) रूपये 150/–(रू0 एक सौ पचास) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये (ख) रूपये 250/–(रू0 दो सौ पचास) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये ।
2– विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ता	(क) रूपये 100/–(रू0 एक सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये (ख) रूपये 200/– (रू0 दो सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये ।

2/– इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.7.97 में अंकित फीस से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 17(ई) 80/95/21–ब(दो) दिनांक 6.7.95 का उल्लेख एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है । शेष शर्ते यथावत रहेंगी ।

3– यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 544/एस.आर.–255/चार–ब–6/99 दिनांक 5.7.99 द्वारा महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित की गयी है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(शशि मोहन श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क्रमांक 1/सी/एक्टोसिट/21–ब (दो), भोपाल, दिनांक 25.6.1999

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित भेजकर निवेदन है कि आदेश की एक प्रति महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित करने का कष्ट करें ।
2. उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
3. जिला दण्डाधिकारी समस्त मध्य प्रदेश ।
4. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मध्यप्रदेश
5. सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन गृह (पुलिस) विभाग भोपाल
7. बजट शाखा विधि विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रवीण शाह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:— आदेश —:

भोपाल, दिनांक 1.1.2001

फा0क्रमांक 1/सी/एक्टोसिट/21—ब (दो), इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.6.99 के अनुक्रम में राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये दिनांक 1.1.2001 से निम्नानुसार शुल्क दिया जाना नियत करता है :—

1. विशेष न्यायालयों में अंकिचन अभियुक्तों रू0 200/—(रू0 दो सौ)
को पक्ष समर्थन हेतु शुल्क (यदि विशेष प्रभावी विधि, अधिकतम रूपये
न्यायालय कोई सत्र अथवा अपर सत्र1500/— (रूपये एक हजार पांच
न्यायाधीश का ही न्यायालय है)
सौ) प्रति प्रकरण अंतिम निराकरण
तक

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 24/33/चार/986/2001 दिनांक 19.1.2001 द्वारा महालेखाकार मध्य्,प्रदेश ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(शशि मोहन श्रीवास्तव)

अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0क्र0 1 (सी) एक्टोसिट / 21—ब (दो)   भोपाल, दिनांक 1.1.2001

प्रतिलिपि :—

1— सचिव मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि आदेश की एक प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित करने का कष्ट करें ।

2— उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।

3— जिला दण्डाधिकारी (समस्त) मध्यप्रदेश ।

4— समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश ।

5— सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

6— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

7— बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(जे0 के0 वैद्य)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विभाग कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23/11/06

फा0क0 17(ई)60/95/21-ब (दो), राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.06.1999 को अतिष्ठित करते हुये शासकीय अभिभाषक, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक तथा अशासकीय अभिभाषक पैनल लायर्स, जो शासकीय कार्य के लिये मध्यप्रदेश में नियुक्त किये जाते हैं, को दिनांक 01.10.2006 से निम्नलिखित दरों पर अभिभाषक शुल्क दिया जाना निश्चित करता है :-

(1) (अ) शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक	(क) रू0 250/-(रू0दो सौ पचास)प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये ।
	(ख) रू0 500/-(रू0 पांच सौ) प्रति दिन एक घंटे से अधिककार्य करने के लिये अधिकतम10,000/(रू0 दस हजार प्रतिमाह)
(ब) अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक	(क) रू0 250/-(रू0दोसौ पचास) एक घंटे सेकम कार्य करने के लिये ।
	(ख) रू0 500/-(रू0 पांच सौ) प्रति दिन एक घंटे से अधिककार्य करने के लिये अधिकतम रू0 9,000/-(रू0 नौ हजार प्रतिमाह)

(स) शासकीय अभिभाषक / लोक अभियोजक / अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक रिटेनर फीस	रू0 2000 / – (दो हजार) प्रतिमाह

(2) शासकीय अभिभाषक / पैनल लायर्स जो शासकीय कार्य हेतु शासकीय अभिभाषक की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं ।

(1)	आपराधिक प्रकरणों में सत्र प्रकरणों / फौजदारी अपील पुनरीक्षण (सत्र न्यायालयों में)	(क) रू0 200 / – (दो सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये । (ख) रू0 400 / –(रू0चार सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये
(2)	सत्र न्यायालयों में अकिंचन अभियुक्तों का पक्ष समर्थन हेतु शुल्क	रू0 400 / –(रू0चार सौ) प्रति प्रभावी तिथि अधिकतम रू0 3000 / – (रू0 तीन हजार) प्रति प्रकरण अंतिम निर्णय होने पर

निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालयीन कार्यवाही न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान देय नहीं होगा ।

(1) नियत तिथि को अचानक न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित होन पर,
(2) किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर,
(3) अभियुक्त / गवाह के अनुपस्थित होने के कारण ,

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या–29 न्याय प्रशासन 2014 न्याय प्रशासन कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 3572 मुफस्सिल स्थापना एवं ग्राम न्यायालय की मद–31–003 '' अभिभाषकों की फीस'' के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

उक्त स्वीकृति आदेश में वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 1092/1593/06/ब–8 दिनांक 13.10.06 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है ।

मध्यप्रदेशके राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(आर.के.पांडे)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क्र0 17(ई)60/95/21–ब (दो), भोपाल, दिनांक 21.11.06

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल बजट 8 मंत्रालय की ओर उनके यू.ओ.क्र. 1092/1593/06/बी–8 दिनांक 13.10.06 के संदर्भ मे सूचनार्थ अग्रेषित ।

(2) महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर,

(3) उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के अगले प्रकाशन में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु ।

(4) समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मध्यप्रदेश ।

(5) समस्त जिला दण्डाधिकारी मध्यप्रदेश ।

(6) समस्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, मध्यप्रदेश

(7) बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(विनोद भारद्वाज)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:– आदेश –:

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2005

....

फा0क्रमांक0 1 (ब) 18/05/21–ब (दो), राज्य शासन, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1 (ब) 5/2000/21 ब (दो) के सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करतें हुये, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आवश्यकतानुसार मध्यप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु निम्नलिखित विशिष्ट, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल एतद् द्वारा अनुमोदित करता है :–

1– विशिष्टि अधिवक्तागण

(1) श्री के0 पाराशरण
(2) श्री शोली शोराजनी
(3) श्री पी0पी0 राय
(4) श्री अरूण जेटली
(5) श्री जी0 एल0 सांगी

2– वरिष्ठ अधिवक्तागण

(1) श्री के0 टी0 एस0 तुलसी
(2) श्री मुकुल रोहतगी
(3) श्री नागेश्वर राय
(4) श्री आर0 पी0 गुप्ता
(5) श्री एस0 के0 दुबे
(6) श्री दुष्यंत दुबे
(7) डॉ0 एम0एम0 घटाटे
(8) श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव

3– कनिष्ठ अधिवक्तागण

(1) श्री शिवसागर तिवारी
(2) श्री प्रकाश श्रीवास्तव

(3) श्री साकेश कुमार
(4) सुश्री मुशर्रफ चौधरी
(5) श्री प्रदीप कुमार देव
(6) श्री स्वर्णजीत सिंह
(7) श्री चरण लाल साहू
(8) श्री रोहित सिंह
(9) श्री अमिताभ वर्मा
(10) श्री कर्तिकेय कुमार सिंह
(11) श्री प्रमोद स्वरूप
(12) श्री आलोक कुमार कवायत
(13) श्री राहुल श्रीवास्तव
(14) श्री नीरज शर्मा
(15) श्री स्नेह मिश्रा
(16) श्री पी0 के0 डे0
(17) श्री के0 एन0 नागपाल
(18) श्री आशीष कुमार

2– विशिष्ठ अधिवक्ताओं को फीस वह देय होगीजो नियुक्तिके समय निर्धारित की जाए ।

3– वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिवक्ताओं को जब किसी प्रकरण में नियुक्त किया जाए तब उन्हें निम्नानुसार दर से फीस देय होगी :–

वरिष्ठ अधिवक्ताओं की देय फीस

(1)	निर्धारित प्रकरण में पैरवी हेतु उप संजात एवं तर्क प्रस्तुत करन के लिये ।	रूपये 2000–00 (रू0 दो हजार) प्रतिदिन, प्रति प्रकरण किन्तु किसी भी संख्या में प्रकरण उप संजात होने पर रू0 7000–00 (रू0सात हजार) केवल
(2)	प्रकरण अनुज्ञात करने के लिये	रूपये 1500–00 (रू0 एक हजार पांच सौ) प्रतिदिन, प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम

		रू0 7000–00 (रू0सात हजार) केवल
(3)	प्रारूपण के लिये	रूपये 1500–00 (रू0 एक हजार पांच सौ) प्रतिघण्टा अथवा अधिकतम रू0 5000–00 (रू0पांच हजार)
(4)	विधिक परामर्श के लिये	रूपये 500–00 (रू0 पांच सौ) प्रति घंटा अथवा अधिकतम रू0 3000.00 (रू0 तीन हजार) किन्तु एक ही तथ्य के अदभुत अनेक याचिकाएं प्रस्तुत किये जाने पर फीस राशि रू0 3500–00 (रू0 तीन हजार पांच सौ) से अधिक नहीं होगी ।

कनिष्ठ अधिवक्ताओं हेतु देय फीस

---

(1)	नियमित प्रकरण में पैरवी हेतु उप संजात होने एवं तर्क प्रस्तुत	रू0 1000–00 (रू0 एक हजार) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रू0 3000–00 (रू0 तीन हजार)
(2)	प्रारम्भिक सुनवाई के लिये प्रकरण अनुज्ञात करने के लिये	रू0750–00(रू0सात सौपचास प्रति दिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रू0 1500–00 (रू0 एक हजार पांच सौ)
(3)	प्रारूपण के लिये या एक ही तथ्य से अद्‌भुत अनेक प्रकरणों के लिये	रू0 750–00(रू0सात सौपचास प्रति दिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रू0 1500–00 (रू0 एक हजार पांच सौ)

4— इनमें किसी भी विशिष्ट, वरिष्ठ, या कनिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति आवश्यकतानुसार विधि विभाग की पूर्वानुमति से ही की जा सकेगी । स्थाई अधिवक्ता जहां आवश्यक समझे वहां कारण दर्शाते हुये पूर्वानुमति प्राप्त करके ही उन्हें प्रकरण सौपे ।

उक्त व्यय मांग संख्या 29—न्याय प्रशासन (2014) न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार एवं परामर्श (3572) मुफस्सिल स्थापना एवं ग्राम न्यायालय—31— व्यवसायिक सेवाओं के लिये अदायगियां—003—अभिभाषकों को फीस विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क्रमांक0 1 (ब) 18/05/21—ब (दो), भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2005

(1) महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर,

(2) महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर ,
(3) श्री सी0डी0 सिंह ,स्थायी अधिवक्ता ,38टोडलमल रोड , बंगाली मार्केट ,नई दिल्ली ,
(4) श्रीमती विभा दत्ता मालीजा, स्थाई अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय बी—10 फस्ट फलोर (ग्रीन पार्क मेन) नई दिल्ली ,
(5) श्री बी0एस0 बाठिया , स्थाई अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय , 501 निर्मल टावर , 26 आराधना रोड , नई दिल्ली ,
(6) श्री सतीश के0 अग्निहोत्री , स्थाई अधिवक्ता, सुंप्रीम कोर्ट, स्टेण्डिंग कौसिल चेम्बर्स 238 लायर्स सुप्रीम कोर्ट न्यू ब्लाक भगवानदास रोड, नई दिल्ली,
(7) श्रीजी0के0शर्मा , अतिरिक्त सचिव, उप कार्यालय विधि और विधायीकार्य विभाग नई दिल्ली, आवास क्रमांक ई—334ईम्स आफ कैलाश नई दिल्लीकी ओर भेजकर अनुरोध है कि विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं कोसूचित करने का कष्ट करें ।

(8) डॉ0 एन0 एम घटाटे, अधिवक्ता, ए0 बी0 19 तिलक मार्ग नई दिल्ली , 110001

(9) श्री शिवसागर तिवारी , एडवोकेट, , ए0 54 सेक्टर 27 , गौतमबुद्ध नगर नोयडा 201301 (यू0पी0)

(10) श्री प्रकाश श्रीवास्तव , एडवोकेट , श्री साकेश कुमार एडवोकेट श्री आलोक कुमार मनावत अधिवक्ता, 53–ए, पौकिट–गंगोत्री अलखनंदा नई दिल्ली ,110019

(11) श्री मुशर्रफ चौधरी , एडवोकेट , फलेट न0 ई– 75 आई0 एफ0 एस0 अपार्टमेंट मयूर विहार फेस – नई दिल्ली ,110091

(12) श्री प्रदीप कुमार देव , एडवोकेट , बी–10 सागरअपार्टमेंन्ट 6–तिलक मार्ग नई दिल्ली ,110091

(13) श्री स्वर्णजीत सिंह , एडवोकेट , आफिस – 81, लायर्स चेम्बर्स ,सुप्रिम कोर्ट , उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ,

(14) श्री चरण लाल साहू , एडवोकेट , सुप्रीम कोर्ट 96 लायर्स चेम्वर्स नई दिल्ली

(15) श्री रोहित सिंह एडवोकेट आवास क्रमांक– 48, चित्रकूट अपार्टमेंट ईस्ट अर्जुन नगर, नई दिल्ली , 110001

(16) श्री अमिताभ वर्मा , एडवोकेट , एवं श्री कार्तिकेय सिंह एडवोकेट 80 ,ए0 आर0 कम्पलेक्स सेक्टर, 13–आर0 के0 पुरम , नई दिल्ली 110096,

(17) श्री प्रमोद स्वरूप, एडवोकेट , आफिस चेम्बर्स– 25 लायर्स चेम्बर्स सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ,110001

(18) श्री राहुल श्रीवास्तव , एडवोकेट , बी–272 ए ग्रेटर कैलाश पार्क–1–नई दिल्ली ,110048

(19) श्री नीरज शर्मा , एडवोकेट एवं श्री रमेश मिश्रा, एडवोकेट, 129लॉयर्सचेम्बर्स , सुप्रिम कोर्ट ,केम्पस , नई दिल्ली ,110001

(20) श्री पी0के0 डे0 , एडवोकेट एवं श्री के0 एन0 नागपाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया नई दिल्ली ,

(21) श्री आशीष कुमार , एडवोकेट आफिस–132, दयानंद विहार, विकासदिल्ली –92 ।

(22) अतिरिक्त महाधिवक्ता खण्डपीठ इंदौर, ग्वालियर ,

(23) आपराधिक शाखा, याचिका शाखा, सिविल शाखा ,विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(व्ही0 के0 जैन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:– आदेश –:

भोपाल, दिनांक 31 मई 2005

....

फा0क्रमांक0 1 (अ) 2/ 95/21–ब (दो), राज्य शासन, एतद् द्वारा, विधि विभाग नियमावली के अध्याय–2 नियम 33 (1) (ए) के उप नियम (1) के अंतर्गत, महाधिवक्ता को उच्चतम न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के फलस्वरूप देय फीस के समसंख्यक आदेश दिनांक 21/05/1999 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :–

(1) महाधिवक्ता को उच्चतम न्यायालय में शासन के प्रकरणों में पैरवी करने के फलस्वरूप रूपये 7,000/– (रूपये सात हजार) केवल के स्थान पर रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) प्रतिदिन नियत करता है ।

(2) मुख्यालय से बाहर किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में उपस्थित होने पर देय फीस रूपये 4,000/– रु0चार हजार) केवल प्रतिदिन के स्थान पर रु0 6,000/– रुपये छः हजार केवल प्रतिदिन नियत करता है ।

2. उक्त व्यय मांग संख्या 29–2014–न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद (3428) महाधिवक्ता 01–वेतन–001 अधिकारियों के वेतन–001 अधिकारियों के वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 513/प.क.प. /चार, दिनांक 27/5/05 द्वारा प्रदान की गई है । अतः यह प्रशासकीय विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार (म0प्र0) ग्वालियर को पृष्ठांकित करता है ।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क0 1 (अ)2/ 95/21–ब (दो) भोपाल, दिनांक 31/05/ 2005

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शायन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनके यू.ओ.क्र. 513/प.क.प./चार, दिनांक 27/5/05 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ,

2– उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,अरेरा हिल्स भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।

3– महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर ,

4– अतिरिक्त महाधिवक्ता, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर ,

5– बजट शाखा, स्थापना शाखा, याचिका शाखा ,सिविल शाखा, विधि विभाग, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(व्ही0के0जैन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

रजिस्टर्ड ए0डी0

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 17(ई)/235/06/21—ब (दो),भोपाल,दिनांक 19/9/ 2006
प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
समस्त जिला (म0प्र0)

विषय :—नोटरी के पद पर नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता देने के संबंध में ।

———000———

कृपया इस विभाग के पत्र क्रमांक 17 (ई) 72/94/21—ब (दो) , दिनांक 5—9—1994, पत्र क्रमांक 4489/17 (ई) 72/94/21—ब (दो), दिनांक 6—5—1997 एवं पत्र क्रमांक 72/सी.एम./21—ब (दो), दिनांक 22—11—2001 का अवलोकन करें ।

उक्त संदर्भ में शासन की यह मंशा है कि नोटरी के पदों की नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाये ।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि जब भी नोटरी के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाएं तब उपरोक्त वर्गो के आवेदनों के नाम भी नियक्ति हेतु अनुशंसित किये जाएं ।

(एच0के0पेटकर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 740 / 21–ब (दो), भोपाल,दिनांक 21 / 3 / 2007

प्रति,

समस्त
जिला दण्डाधिकारी ,
मध्यप्रदेश

विषयः–शासकीय अभिभाषकों / अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों एवं विशेष न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल गठन की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, / अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़ा वर्गो को प्राथमिकता देने बावत ।

———

उपरोक्त विषयक में शासन की यह मंशा है कि शासकीय अधिवक्ता / अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों का पैनल तैयार करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़ा वर्ग के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित करें ।

(विनोद भारद्वाज)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0क्रमांक 740 / 21–ब (दो) 07 भोपाल,दिनांक / 3 / 2007

प्रतिलिपि,

समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश ।

(विनोद भारद्वाज)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 654 / 21–ब (दो) 07 भोपाल,दिनांक 5 / 3 / 2007

प्रति,

समस्त
कलेक्टर जिलादण्डाधिकारी ,
मध्यप्रदेश

विषय :–अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) हेतु गठित विशेष न्यायालयों में पैनल गठन में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के साथ लिए जाने संबंधी ।

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सर्तकता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आपको निर्देशित किया जाता हैकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) हेतु गठित विशेष न्यायालयों में शासन का पक्ष समर्थन करने हेतु प्रस्तावित पैनल में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित करें ।

(विनोद भारद्वाज)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभा

माध्यस्थम अधिकरण :

मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (अधिनियम, क्रमांक 29/1983) 1 मार्च, 1985 को प्रभावशील होकर उसी दिन अधिकरण का गठन हुआ, अधिकरण में अध्यक्ष के पद पर मान0 उच्च न्यायालय के आसीन अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधिपति नियुक्त होते हैं तथा यायिक सदस्यों के रूप में वर्तमान अथवा निवृतमान वरिष्ठ जिला न्यायाधीश एवं तकनीकी सदस्य के रूप में लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के वर्तमान या निवृतमान प्रमुख/मुख्य अभियंता नियुक्त होते हैं, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण का कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है और न ही कोई मण्डल/उपक्रम आदि इसके अंतर्गत आते हैं :–

महत्पवूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	पूर्व वर्ष के शेष प्रकरणों की संख्या	वर्ष में पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	पुनर्स्थापित प्रकरणों की संख्या	योग	वर्ष में निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष में पंजीकृत प्रकरणों का मूल्यांकन	वर्ष में दावा/प्रतिदावा मेंप्राप्त कुल न्याय शुल्क
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2006	277	64	25	366	87	रू0 25,34,93,762	रू0 51,08,770

भाग –दो

वर्ष 2006–2007 का आय व्यय बजट (एक दृष्टि में) :–

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय
2006–2007	83,19,000	56,53,368 आयोजनेत्तर (दिसम्बर, 06 की स्थिति में)

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

(अ)	राज्य योजनाएं	निरंक
(ब)	केन्द्र प्रवर्तित	निरंक
(स)	विश्व बैंक की सहायता से चलाई जानेक वाली योजनाएं	निरंक
(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं / परियोजनाएं	निरंक
(ई)	अन्य योजनाएं	निरंक

सारांश :–

मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण द्वारा कोई प्रकाशन नहीं किया जा रहा है । ''अधिनियम के अधीन'' विवाद से अभिप्रेत है । 50,000/– रूपये या उससे अधिक मूल्य के किसी दावे से संबंधति कोई ऐसा विवाद जो किसी संकर्म संविदा (वर्क्स कान्ट्रेक्ट) या उसके भाग के निष्पादन सा अनिष्पादन से अद्भुत होता हो, का निराकरण किया जाता है ।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण :

विभागीय संरचना :–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6,9,11–(अ) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 3,4, 14 एवं 17 के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके मुख्य संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय हैं, कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति,

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं सदस्य सचित उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य (जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो)
प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गो एवं आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा/सलाह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, इसके साथ ही शीघ्र न्याय उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लोक अदालतों का भी आयोजन कराकर प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र निराकरण कराया जाता है :–

1–विधिक सहायता :– योजनांतर्गत दिनांक 1.1.2006 से 30.11.2006 तक वर्तमान प्राप्त जानकारी के आधार पर विधिक सेवा/सलाह के माध्यम से कुल 54045 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के 11586, अनुसूचित जनजाति 7787, पिछड़ा सामान्य वर्ग के 34672 व्यक्ति सम्मिलित हैं ,

2– लोक अदालत :– लोक अदालत के माध्यम से दिनांक 1.1.2006 से 30.11.2006 तक कुल 2756 लोक अदालत शिविर आयोजित किये जाकर, 177955 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते एवं सुलह के आधार पर कराया गया , जिसमें पक्षकारों को मुआवजा /डिग्री व अन्य राशि के रुप में लगभग 3,36,17,53,671/– रु. भुगतान हेतु आदेश पारित हुए , लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति के 33394, अनुसूचित जनजाति के 22043, पिछड़ा एवं सामान्य वर्गके 122498 प्रकरण सम्मिलित है.

3–विधिक साक्षरता शिविर – जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर दिनांक 1.1.2006 से 30.11.2006 तक 2580 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जाकर, 511403 व्यक्तियों को विधिक साक्षर बनाकर विधि बोध कराया गया,

4– जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना– जिला विधिक परामर्शकेन्द्र योजना द्‌ारा जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर दिनांक 1.1. 2006 से 30.11.2006 तक कुल 7846 निराकृत आवेदन पत्रों में 10,047 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया ।

5–पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना – पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना के अंतर्गत जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर दिनांक 1.1.2006 से 30.11.2006 तक कुल 1448 आवेदनों का

निराकरण करते हुये लगभग 3220 लोगों को लाभांवित किया गया, 21 ग्रामों को विवादहीन घोषित करने हेतु चयन किया गया ।

वित्त वर्ष 2006–2007 में सामान्य योजनांतर्गत रूपये 16.06 लाख, आदिवासी उप योजनांतर्गत रू0 13.90 लाख एवं विशेष घटक योजनांतर्गत रूपये 13.97 लाख कुल रूपये43.93 लाख प्रदाय किये गये हैं, जिसमें अभी तक सामान्य योजना में रुपये 16.06 लाख आदिवासी उपयोजना में रूपये 9.73 लाख विशेष घटक योजना में रूपये 9.78 लाख व्यय हुये हैं ।

क्रमांक 3351/85/21–अ(प्रा.)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रेषक :– एन. के0 जैन
विधि सचिव

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
....
भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 1995

विषय :–राज्यपाल महोदय की अनुमति/राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किये जाने वाले पारित विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्यपाल के सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 524/जी0एस0/95 दिनांक 10.2.95 (प्रति संलग्न है) का अवलोकन करें जो स्वयं में स्पष्ट है ।

तदनुसार आपसे अनुरोध है कि विधेयक विधान सभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त करने अथवा राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ रक्षित करने संबंधी नस्ती राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के पूर्व कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि नस्ती में उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखत दस्तावेज रख दिए गए हैं ।

भवदीय,

हस्ता0
(एन0के0जैन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश

के0एम0आचार्य
राज्यपाल के सचिव

अर्द्ध–शा.पत्रक0 524/जी.एस./95
राजभवन,भोपाल, दिनांक फरवरी 10.1995

प्रिय श्री जैन,

विधेयकों के विधान सभा द्वारा पारित होने के बाद आपके विभाग द्वारा उन्हें प्रशासकीय विभाग के माध्यम से यथास्थिति राज्यपाल महोदय की अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करने हेतु भेजा जाता है । ऐसी नस्तियों में वर्तमान में निम्नलिखित दस्तावेज नहीं रखे जा रहे है, जिसके कारण उनमें यहां आगामी कार्यवाही करने में कठिनाई होती है :–

1– विशेयक के उद्‌देश्यों एवं कारणों के विवरण की प्रति ।

2– मंत्रि परिषद को प्रस्तुत संक्षेपिका और उस पर मंत्रि परिषद के आदेश की प्रति ।

3– संशोधन विधेयक होने की दशा में मूल अधिनियम और पारित विधेयक के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण :–

4– राष्ट्रपतिजी या राज्यपाल महोदय द्वारा विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति एवं सशर्त अनुमति दी जाने की दशा में शर्तो के पालन संबंधी जानकारी ।

2/ विधेयक संबंधी मामलों में हमें कार्यवाही करने में सुविधा हो , इस दृष्टि से निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण भेजते समय कृपया उपर्युक्त दस्तावेज भी नस्ती में आवश्यक रूप से भिजवाने का कष्ट करें । यदि स्वयं विधि विभाग के लिये उक्त दस्तावेज नस्ती पर रखना संभव न हो, तो प्रकरण प्रशासकीय विभाग को भेजने के लिये जो टीप विधि विभाग अभिलिखित करता है, उसमें

ऐसी कार्यवाही करने का परामर्श कृपया प्रशासकीय विभाग को अनिवार्यतः देने की प्रथा स्थापित कराने का कष्ट करें ।

3/ कृपया की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।

शुभकामनाएं,

भवदीय,

हस्ता0
(के.एम. आचार्य.)

श्री एन.के.जैन,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग
विन्ध्याचल भवन,
भोपाल ।

अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 2403/38/21–अ(प्रा0)

एस0एल0सर्राफ
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 1999

विषय :– विधानों पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने तथा समवर्ती सूची से संबंधित विधानों पर अधिनियम के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने बावत ।

प्रिय श्री

कृपया उपरोक्त विषयक भारत सरकार गृह मंत्राालय नई दिल्ली के मुख्य सचिव महोदय को संबंधित अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 23/121/98–जु.डी. दिनांक 15 जनवरी 1999 (प्रति संलग्न है) का अवलोकन करनें का कष्ट करें ।

भारत सरकार गृह मंत्राालय नई दिल्ली ने संविधान के अनुच्छेद 31– क, 31–ग, 201,254 (2) एवं 304 के प्रावधानों का कडाई से पालन करने तथा संविधान की सप्तम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समवर्ती सूची में आने वाले विषयों से संबंधित विधान बनाने के पूर्व भारत सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त कर राष्ट्रपति की अनुमति लेने का निवेदन किया है ।

अतः कृपया भारत सरकार गृह मंत्राालय नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एस0 एस0 सर्राफ)

प्रति,

श्री ————————

प्रमुख सचिव/सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

————————

भोपाल ।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 4031/21—अ (प्रा.) भोपाल, दिनांक 7,अगस्त 2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

समस्त विभागाध्यक्ष,

मध्यप्रदेश , भोपाल ।

विषय :— विधि विभाग को अभिमत, प्रारूपण, परिमार्जन/परीक्षण हेतु प्रकरण भेजते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में ।

————

इस विभाग द्वारा यह अनुभव किया गया है कि प्रशासकीय विभाग अभिमत प्रारूपण, परिमार्जन/परीक्षण हेतु प्रकरण भेजते समय विधि विभाग मेन्युअल में वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं ।

इस विभाग को परामर्श/अभिमत के लिये भेजी गई नस्तियां अनेक अवसरों पर सिर्फ इसलिये वापस भेजना होती है कि उनमें वह बिंदु ही स्पष्ट नहीं होता है जिस पर कि इस विभाग का परामर्श अथवा अभिमत चाहा गया है ।

हाल ही में अवर सचिव स्तर से सीधे ही इस विभाग को नस्तियां अंकित करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है जो उचित नहीं है ।

संबंधित विभाग के सचिव अथवा उप सचिव द्वारा अनुमोदित नस्तियां ही इस विभाग को अंकित की जाना चाहिये तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उन्हें भेजने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम तथा दूरभाष क्रमांक स्पष्टतः और अनिवार्य रुप से नस्ती पर अंकित होना चाहिये, साथ ही नस्ती भी अपने आप में व्यवस्थित होना चाहिये ।

प्रशासकीय विभाग, विधि विभाग को नस्ती भेजते समय निम्नलिखित बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करें :–

1– वह बिंदु जिस पर परामर्श/अभिमत चाहा गया है, स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाये । इसी बिंदु पर इस विभाग का कोई पूर्व मत हो तो संदर्भ के लिये वह भी भेजा जावे ।

2– मूल विधायन अथवा संशोधन विधेयकों के प्रारूप परिमार्जन के लिये भेजे जाते समय तत्संबंधी प्रशासकीय अनुमोदन, शासन निर्णय, मंत्रिपरिषद आदेश, सुसंदर्भित संक्षेपिका तथा प्रस्तावित विधान का हिन्दी व अंग्रेजी भाषा –

3– का पाठ एक साथ रखा जावे, साथ ही प्रारूप का स्त्रोत तथा जिस राज्य की अधिनियमिती, पर वह आधारित हो, उसकी प्रति भी साथ रखी जावे ।

4– जिन अधिनियमों/नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, उनके संबंध में वर्तमान में प्रावधान, प्रस्तावित संशोधन एवं संशोधन के कारण/आधारों का उल्लेख करते हुये एक तालिका भी नस्ती कें साथ संलग्न की जाये । ऐसी तालिका होने से प्रारुप के त्वरित परिमार्जन में सहायता मिलेगी ।

5– विभिन्न अधिनियमों के अधीन बनाये जाने वाले नियम, विनियम, उप नियम, जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं की विधिक्षा की दशा में भी हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में एक साथ प्रारुप रखे जावें, ताकि उनका समयबद्ध परिमार्जन सुनश्चित हो सके । साथ ही राजपत्र में उसके दोनों भाषाओं के पाठ एक साथ प्रकाशित करने का संवैधानिक दायित्व भी पूर्ण हो सके ।

6– नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं में कोई संशोधन अपेक्षित होने की दशा में उनके राजपत्र के मूल प्रकाशन भी संदर्भ हेतु नस्ती पर रखें जायें, साथ ही समय–समय पर किये गये संशोधन की राजपत्र की प्रतियां भी रखी जावें ।

7– यदि प्रकरण में कोई जटिल प्रश्न अंतर्वलित हो, तो नस्ती पर संक्षेपिका आवश्यक रूप से रखी जावे ।

8– जिन मामलों में प्रशासकीय विभाग की समीक्षा आवश्यक हो वहां विभागाध्यक्ष, संदर्भो को संबंधित प्रशासकीय विभागों के माध्यम से ही इस विभाग को भेजें ।

प्रशासकीय विभाग तथा विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थों को उपरोक्त बिंदुओं से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि अपेक्षित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित हो सके ।

(पी.पी.तिवारी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक /21–क(आप.) 4345 भोपाल, दिनांक 21,जुलाई 2006
प्रति,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट
समस्त जोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक,
समस्त अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी

विषय :–मजिस्ट्रेट द्वारा दाण्डिक प्रकरण में पारित दोषमुक्ति/उन्मोचन आदेश अथवा दण्डादेश की अपर्याप्तता के विरूद्ध जिला मजिस्टेट द्वारा सेशन न्यायालय में अपील/पुरनीक्षण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना ।

विधि नियमावली के नियम 94, 99 तथा 100 के प्रावधानों के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में वर्णित उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य श्रेणी के दण्ड न्यायालयों द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश/उन्मोचन आदेश अथवा दण्डादेश की अपर्याप्तता के विरूद्ध अथवा राज्य सरकार के विरूद्ध पारित अन्य आदेशों के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव जिला मजिस्टेट द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग को प्रेषित किये जाने का प्रावधान था ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रावधान जो कि भारत में राजपत्र में दिनांक 21.6.2006 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 23.6.2006 से प्रभावशील हुये हैं, के द्वारा मजिस्टेट द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के निर्देश देने का अधिकार जिला मजिस्टेट द्वारा निहित किया गया गया है । अतः उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग द्वारा जारी किये गये पूर्व आदेशों को दस सीमा तक जिस सीमा तक वे असंगत हो, को अधिक्रमित निरस्त करते हुये निर्देश दिया जाता है कि :–

1– किसी भी दाण्डिक प्रकरण में राज्य के विरूद्ध निर्णय/आदेश होने पर मामले का संचालन करने के लिये उत्तरदायी अभियोजन अधिकारी आदेश या निर्णय के 7 दिन के अंदर उस प्रकरण से संबंधित साक्षियों के कथन पत्र निर्णय/आदेश तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ जिला मजिस्टेट की एक विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें

प्रकरण की संक्षेपिका, साक्ष्य का विश्लेषण, अपील अथवा पुनरीक्षणकरने या न करने का मत तथा उसके आधार बताते हुये प्रेषित करेगा ।

2— कंण्डिका 'एक' में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में प्रतिवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर जिला मजिस्ट्रेट उक्त प्रतिवेदन का परीक्षण करने के उपरांत ऐसे निर्णय/आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण सेशन न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश लोक अभियोजक को देगा तथा ऐसे निर्देश की एक प्रति कंण्डिका एक के अनुसार प्रतिवेदन प्रेषित किये करने वाले अभियोजक अधिकारी को देगा ।

3— कंण्डिका 'दो' के अनुसार जिला मजिस्टेट से निर्देश प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र या अग्रिम तीन कार्य दिवस के अंदर लोक अभियोजक जिसके अंतर्गत अतिरिक्त लोक अभियोजक भी आते हैं) मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सूचना जिला मजिस्टेट को प्रेषित करेगा ।

4— उक्त प्रयोजन हेतु जिला मजिस्ट्रेट तथा लोक अभियोजक द्वारा अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित की जावेगी । उक्त पंजी में मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का तथा ऐसे प्रस्ताव केआधार परअपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का निर्देश दिए जाने तथा उक्त निर्देशों के अनुसरण में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने संबंधी तात्विक जानकारी की प्रविष्टि की जावेगी ।

5— दाण्डिक मामलों राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्राधिकृत अभियोजक तथा जिला मजिस्टेट का यह कर्तव्य होगा कि मजिस्टेट के आदेश के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण सेशन न्यायालय में परिसीमाकाल के अन्दर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे, परन्तु यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना संभव न हो तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5के प्रावधानों के अनुसार देरी को क्षमा किये जाने के आवेदन के साथ अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत की जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विमल प्रकाश शुक्ल)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराधों की सूची

भारतीय दण्ड संहिता में निम्नलिखित धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है, जिनका विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है :–

धारा 133, 134, 153–ए 153–बी, 161, 162, 163, 164, 165, 165–ए, 170, 222, 225, 227, 231, 233, 235, 237, 239, 241,242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 256, 257,
258 267, 295, 295–ए, 326, 326, 327, 363–ए, 365, 368, 369, 377, 379, 380, 381, 382, 384, 386, 387, 392, 393, 394, 401, 406, 407, 408, 409, 411, 414, 420, 451, (यदि अपराध चोरी से संबंधित हो) 452, 453, 454, 455, 456,457, 458, 461, 466, 467, 468, 476, 477, 493, 498–ए, 505,

नोट :– यदि भारतीय दण्ड संहिता के अलावा अन्य मामले में अभियोजन संचालित किया जा रहा हो और ऐसे मामले में अपराध के विचारण, प्रकृति के संबंध में कोई उल्लेख न हो तक तीन वर्ष से सात वर्ष की सजा का उपबंध हो तब ऐसा मामला संज्ञेय एवं अजमानतीय उपराध की प्रकृति में आयेगा और उसका विचारण न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

:– आदेश –:

क्रमांक 1745 / 21–क(आप.)   भोपाल,दिनांक 10.5.07

प्रति,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट
समस्त पुलिस अधीक्षक,
समस्त लोक अभियोजक
समस्त अतिरिक्त लोक अभियोजक,
समस्त उप संचालक अभियोजन,
समस्त जिला अभियोजन अधिकारी ।

———

विधि विभाग की नियमावली के भाग 3 के अध्याय 6 नियम 86 ए तथा बी के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड न्यायालयों के लिटिगेशन को नियंत्रित करने का अधिकार विधि एवं विधायी कार्य विभाग में निहित है दण्ड न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेश / निर्णय के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये जिला मजिस्टेट को प्राधिकृत किया गया है ।

दण्ड न्यायालयों द्वारा पारित आदेश / दोषमुक्ति के आदेश / निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिये आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति के अतिरिक्त साक्ष्य में ग्राहय किये दस्तावेज तथा साक्षियों के कथन पत्रों की आवश्यकता होती है ।

दण्ड न्यायालयों द्वारा पारित आदेश / निर्णय के विरूद्ध अपील / पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किये जाते समय ऐसे प्रकरण से संबंधित साक्ष्य में ग्राहय किये गये दस्तावेज ,साक्षियो के कथन पत्रों, तथा निर्णय / आदेश की प्रमाणित प्रति परिसीमा काल समाप्त होने के र्प्यापत समय पूर्व राज्य सरकार को प्राप्त होना आवश्यक होता है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जिला मजिस्टेट, अपील / पुनरीक्षण का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते समय निम्नलिखित बिंदुओं का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :–

1– प्रत्येक प्रस्ताव के साथ प्रकरण से संबंधित साक्षियों के कथन पत्र, साक्ष्य में ग्राहय दस्तावेज तथा निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे ।

2– न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतियों में किसी तरह का काट–पीट, रेखांकन अथवा स्मृति चिन्ह कदापि अंकित न किया जावे ।

3– जिला मजिस्ट्रेट, लोक अभियोजक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक को उनके द्वारा संचालित प्रकरणों में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करें ।

4– निर्णय/आदेश जिसके विरूद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है, की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का आवेदन, यथासंभव निर्णय/आदेश जारी किये जाने के दिनांक अथवा अगले कार्य दिवस को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दिया जावे ।

5– निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर समुचित प्रस्ताव राज्य सरकार को बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेखित किये गयेअनुसार प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

6– यदि अपरिहार्य कारणों से अपील अथवा पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी हुई है तो देरी के कारणों का उल्लेख करते हुये, दायित्व का निर्धारण कर प्रेषित प्रस्ताव में इस तथ्य का कारणों सहित स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।

7– राज्य सरकार के निर्देश के अधीन रहते हुये परिसीमा काल से छूट प्राप्त करने का आवेदन संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(अखिल कुमार श्रीवास्तव)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल,दिनांक 10.5.07

प्रतिलिपि :–

1– महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर ।

2– अतिरिक्त महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर,ग्वालियर, इंदौर ।

3– रजिस्ट्रार, ज्यूडिशियल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ।

4– रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर, ग्वालियर

(अखिल कुमार श्रीवास्तव)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग,

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 5804/ /04/21–क(या) भोपाल, दिनांक, 18.8.04

प्रति,

1. समस्त सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
   भोपाल (म0प्र0)

विषय :– अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में ।

प्रायः यह देखा गया है कि न्यायालयीन प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष, विधि विभाग की पूर्व अनुमति/अनुमोदन के बिना ही अपने स्तर पर प्रतिरक्षण हेतु अधिवक्ता को उनकी शर्तो के अनुसार शुल्क पर नियुक्त कर प्रतिरक्षण करवाने की कार्यवाही कर लेते है तत्पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति चाही जाती है जो कि उचित नहीं है ।

अतः प्रशासकीय विभाग न्यायालयीन प्रकरणों विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अनुमति/सहमति/अनुमोदन के बिना ही न्यायालयीन प्रकरणों में प्रतिरक्षण हेतु किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त नहीं करे अन्यथा अधिवक्ता को देय शुल्क के भुगतान हेतु प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा ।

यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा विधि विभाग की पूर्व सहमति/अनुमति/अनुमोदन के बिना अधिवक्ता को किसी प्रकरण में नियुक्त किया जाता है तो विधि विभाग द्वारा कार्योत्तर आदेश प्रतिरक्षण आदेश जारी किया जाना संभव नहीं होगा ।

प्रशासकीय विभाग न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने में सुविधा हो ।

(पी0पी0 तिवारी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक– 10217 / /21–क(या0) भोपाल, दिनांक, 30.12.04

प्रति,

1– समस्त सचिव
2– मध्यप्रदेश, शासन,
मंत्रालय भोपाल

विषय :– माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अपील / एल.पी.ए. / एस0एल0पी0 किये जाने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में ।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासकीय विभागों के द्वारा न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एल.पी.ए. / एस.एल.पी. प्ररूतुत करने के संबंध में जो नस्ती भेजी जाती है वह अपूर्ण होती है ।

नस्ती के साथ याचिका की प्रति, जबाव की प्रति, संबंधित नियमों की प्रति प्रकरण के तथ्यों की संक्षेपिका, विभाग की नोटशीट पर वे विधिक कारण व आधार जिनके आधार पर उनके द्वारा अपील किया जाना प्रस्तावित किया जाता है, उपलब्ध नहीं होते हैं । नस्ती

के साथ शासकीस अधिवक्ता का स्पष्ट अभिमत भी नहीं होता है कि, किन कारणों से प्रश्नाधीन निर्णय/ आदेश उचित एवं विधि सम्मत नहीं है ।

उपरोक्त दस्तोवजों के अभाव में एवं शासकीय अधिवक्ता के स्पष्ट मत के अभाव में विधि विभाग को एल.पी.ए./विशेष अनुमति याचिका की प्रस्तुति हेतु अनुमति दिए जाने के लिये विधिक परीक्षण करने में कठिनाई होती है । नस्ती पुनः विभागों को वापस भेजना पड़ती है और इससे न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में काफी विलम्ब हो जाता है ।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करना चाहेंगे कि, विधि विभाग मैन्युअल के नियम–91 के अनुसार उपरोक्त दस्तावेजों सहित ही नस्ती यथाशीघ्र समयावधि में/ समुचित समय पूर्व, विधि विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

(पी0पी0 तिवारी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 17(ई)(1)99(21ब)दो / 7182   भोपाल, दिनांक, 6.5.1999

प्रति,

1— शासन के समस्त विभाग,
2— समस्त संभागायुक्त,
3— समस्त जिलाध्यक्ष,
4— समस्त विभागाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय :— न्यायालयों के अवमानना के मामलों में शासकीय अधिकारियों की ओर से पक्ष समर्थन हेतु अधिवक्ताओं के पैनल ।

राज्य शासन इस विभाग के आदेश क्रमांक 8294 / 17 / (ई)84 / 95 / 21—ब (दो) दिनांक 30.6.98 को निरस्त करते हुये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष न्यायालय की अवमानना के प्रकरणों में शायकीय अधिकारियों / कर्मचारियों की ओर से पक्ष समर्थन करने के लिये निम्नानुसार अधिवक्ताओं के पैनल अनुमोदित करता है :—

उच्च न्यायालय तथा राज्य प्रशासनिक अधिकरण, इंदौर

(1) श्री व्ही0 के0 दुबे
(2) श्री आर0 के0 महेश
(3) श्री व्ही0 के0 जैन
(4) श्री एहसान सिद्दीकी
(5) श्री लोकेश भटनागर
(6) श्रीमती एम0 वापेकर
(7) श्री आर0 एस0 लाड
(8) श्री सतीश कुर्लोनकर
(9) श्रीमती सुमता बाममारे

(10) श्री गंगेश वर्मा
(11) श्री संजय शुक्ला
(12) श्रीमती प्रीती सक्सेना
(13) श्री एम0 ए0 बोहरा
(4) श्री जी0 एस0 यादव
(15) कु0 रेखा श्रीवास्तव

उपरोक्त अधिवक्ताओं की फीस प्रति प्रकरण रू0 1,000=00 (एक हजार) केवल देय होगी तथा इसके अतिरिक्त अन्य व्यय के लिये रू0 150=00 (रू0 एक सौ पचास) केवल प्रति प्रकरण की दर से देय होगी ।

शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, विरूद्ध न्यायालय की अवमानना हेतु कार्यवाही चल रही है जो यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अधिवक्ताओं के पैनल में से स्वविवेक से किसी एक अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिये प्रस्ताव अपने विभाग के माध्यम से विधि और विधायी कार्य विभाग को भिजवायें । विधि और विधायी कार्य विभाग यथासंभव उस अधिवक्ता की नियुक्ति प्रतिरक्षण हेतु करेगा जिसका चयन संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त पैनल में से किया गया है यह आदेश दिनांक 1.5.99 से प्रभावशील होगा । इसके पूर्व के प्रकरणों में पूर्व प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/0
(शशिमोहन श्रीवास्तव)
अतिरिक्त –सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

<u>अधिसूचना</u>

<u>भोपाल, दिनांक, 31मई, 2005</u>

फा0कमांक 1 (अ)2/95/21—ब (दो)— राज्य शासन, एतद् द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिये जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (दो) में वर्णित है, उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में दर्शायी गई वर्तमान रिटेनर फीस को पुनरीक्षित कर कॉलम (4) में मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर फीस) के रूप में दिनांक एक जून 2006 से नियत करता है ।

<u>सारणी</u>

कमांक	पदनाम	वर्तमान निश्चित मासिक पारिश्रमिक	पुनरीक्षित निश्चित मासिक पारिश्रमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1—	महाधिवक्ता	रूपये 26,000/ (रू0 छब्बीस हजार केवल)	रूपये 30,000/— (रु.तीसहजार केवल)
2—	अति0 महाधिवक्ता	रूपये 21,000/— (रू0 इक्कीस हजार केवल)	रूपये 25,000/— (रू0पच्चीस हजार केवल)
3—	उपमहाधिवक्ता	रूपये 19,000/— (रू0 उन्नीस हजार केवल)	रूपये 23,000/— (रू0 तेईस हजार केवल)

4– शास0अधिवक्ता रूपये 17,000/– रूपये 20,000/–
/अति.शास.अधिवक्ता (रू0 सत्रह हजार केवल) (रू0 बीस हजार केवल)

5– उप.शास.अधिवक्ता रूपये 15,000/– रूपये 17,000/–
(रू0 पन्द्रह हजार केवल) (रू0 सत्रह हजार केवल)

उक्त व्यय मांग संख्या 29–2014–न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद–(3248) महाधिवक्ता 01–वेतन–001–अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

वित्त विभाग के यू.ओ.क्र.513/प्रक्रम/चार, दिनांक 27/05/2005 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है । अतः यह प्रशासकीय विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश, शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:–आदेश–:

भोपाल, दिनांक, 18–4–07

फा0क0 1–अ–1/07/21–ब (दो)– राज्य शासन, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव के साथ निरस्त करते हुये उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आवश्यकतानुसार राज्य का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु निम्नलिखित अति–वरिष्ठ स्थाई अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को पैनल एतद् द्वारा अनुमोदित करता है :–

अति– वरिष्ठ अधिवक्ता

1– श्री शोली शोराबजी
2– श्री हरीश साल्वे
3– श्री अरूण जेटली
4– श्री गोपाल सुब्रमन्यम
5– श्री मुकुल रोहतगी

वरिष्ठ अधिवक्तागण

1– श्री उदव ललित
2– श्री नागेश्वर राव
3– श्री आर0 पी0 गुप्ता
4– श्री एस0 के. दुबे
5– श्री दुष्यंत दवे
6– डॉ0 एन0 एम0 घटारे
7– श्री रविन्द्र श्रीवास्तव
8– श्री रोहित आर्य
9– श्री गोविन्द गोयल

स्थाई अधिवक्तागण

1— श्री बी0एस0 बाठिया
2— श्री सी0 डी0 सिंह
3— श्रीमती विभादत्त माखीजा

कनिष्ठ अधिवक्तागण

1— श्री शिवसागर तिवारी
2— श्री प्रकाश श्रीवास्तव
3— श्री साकेश कुमार
4— सुश्री मुशर्रफ चौधरी
5— श्री प्रदीप कुमार देव
6— श्री स्वर्णजीत सिंह
7— श्री चरण लाल साहू
8— श्री रोहित सिंह
9— श्री अमिताभ वर्मा
10— श्री कार्तिकेय कुमार सिंह
11— श्री प्रमोद स्वरूप
12— श्री आलोक कुमार बचावत
13— श्री राहुल श्रीवास्तव
14— श्री नीरज शर्मा
15— श्री पी0 के0 डे0
16— श्री के0 एन0 नागपाल
17— श्री आशीष कुमार
18— श्री अमित मिश्रा
19— श्रीमती इन्दु मलहोत्रा
20— श्री दिनेश कुमार सिंह
21— श्री राजीव शर्मा
22— श्री अरविन्द वर्मा
23— श्री राहुत शर्मा
24— श्री राजकुमार गुप्ता

25— श्री मनेन्द्र प्रताप सिंह
26— श्री सिद्धार्थ दवे
27— श्री विश्वजीत सिंह
28— सुश्री प्रगति नीखरा
29— श्री नवीन शर्मा
30— श्रीमती योगमाया अग्निहोत्री
31— श्री अनिल कुमार पांडे
32— श्री मनीश सिधवी
33— सुश्री दीक्षा मिश्रा
34— श्री विकांत सिंह वैश्य
35— श्री भरत सिंह
36— श्री प्रशान्तो चंद्र सिंह
37— श्री मुनेन्द्र कमाार
38— सुश्री अनुराधा मुतातकर
39— सुश्री एश्वर्या भाटी
40— श्री अमोल एच0 दीक्षित
41— श्री विकास उपाध्याय
42— सुश्री सीमावर्ती चक्रवर्ती
43— श्री प्रदीप पुरोहित
44— श्री ए0 रघुनाथ
45— श्री सुशीलचन्द्र चतुर्वेदी
46— श्री अनुज प्रताप सिंह
47— श्री राहुल देव त्यागी

अति—वरिष्ठ अधिवक्ताओं को फीस वह देय होगी जो नियुक्ति के समय निर्धारित की जाय ।

वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिवक्ताओं को जब किसी प्रकरण में नियुक्त किया जाय तब उन्हें निम्नानुसार दर से फीस देय होगी :—

<u>वरिष्ठ अधिवक्ताओं को देय फीस</u>

1—	नियमित प्रकरण में पैरवी हेतु उप संजात एवं तर्क प्रस्तुत किन्तुकरने के लिये ।	रुपये 2000(रूप्ये दोहजार) प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति प्रकरण किसी भी संख्या में प्रकरण उप

संजात होने पर अधिकतम रूपये 7000–00(रूपये सात हजार)केवल

2– प्रकरण अनुज्ञात करने के लिये रूपये 1500–00(रूपये एक हजारपांचसौ) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा रूपये 7000–00 (रूपये सात हजार) केवल

3– प्रारूपण के लिये रूपये 1500–00(रूपये एक हजार पांच सौ) प्रति घंटा अथवा अधिकतम रूपये 5000–00(रूपये पांच हजार)

4– विधिक परामर्श के लिये रूपये 500–00(रूपये पांच सौ) प्रति घंटा अथवा अधिकतम रूपये 3000–00(रूपये तीन हजार) किन्तु एक ही तथ्य से अद्‌भुत अनेक याचिकाएं प्रस्तुत किये जाने पर फीस राशि रूपये 3500–00 (रूपये तीन हजार पांच सौ) से अधिक नहीं होगी ।

कनिष्ठ अधिवक्ताओं हेतु देय फीस

1– नियमित प्रकरण में पैरवी हेतु उप संजात एवं तर्क प्रस्तुत रूपये1000–00(रूपये (एकहजार) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रूपये3000–00(रूपये तीन हजार)

2— प्रारम्भिक सुनवाई के लिये रूपये 750—00(रूपये सात पचास) प्रकरण अनुज्ञात करने के लिये प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा रूपये 1500—00 (रूपये एक हजार पांच सौ) ।

3— प्रारूपण के लिये एक ही तथ्य से अद्भुत अनेक प्रकरणों के लिये । रूपये 750—00(रूपये सात सौ पचास) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा रूपये 1500—00(रूपये एक हजार पांच सौ) ।

इनमें से किसी भी अति वरिष्ठ, वरिष्ठ, एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति आवश्यकतानुसार विधि विभाग की पूर्वानुमति से ही की जा सकेगी । स्थाई अविक्ता जहां आवश्यक समझे वहां कारण दर्शाते हुये पूर्वानुमति प्राप्त करके ही उन्हें प्रकरण सौपें ।

उक्त व्यय मांग संख्या —29 न्याय प्रशासन (2014) न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्श (3572) मुफस्सिल स्थापना एवं ग्राम न्यायालय—31 व्यवसायिक सेवाओं के लिये अदायगियां —003—अभिभाषकों को फीस विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विनोद भारद्वाज)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0क्र0 1—अ—1/07/21—ब (दो) भोपाल, दिनांक, 18—4—07
प्रतिलिपि :—

1— महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2— महाधिवक्ता उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
3— श्री बी0 एस0 बाठिया, स्थाई अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, 501 निर्मल टावर 26 आराधना रोड नई— दिल्ली

4— श्री सी0 डी0 सिंह, स्थाई अधिवक्ता, 38 टोडलमल रोड, बंगाली मार्केट नई— दिल्ली

5— श्रीमती विभादत्त माखीजा, स्थाई अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, बी—10फर्स्ट फ्लोर (ग्रीन पार्क मैन) मार्केट नई—दिल्ली

6— श्री सी0 एम0 गर्ग, अतिरिक्त सचिव, उप—कार्यालय विधि और विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली आवास क्रमांक ई—334 ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली की ओर भेजकर अनुरोध है कि अति—वरिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को सूचित करने का कष्ट करें ।

7— अतिरिक्त महाधिवक्ता खंड पीठ, इंदौर, ग्वालियर

8— आपराधिक शाखा, याचिका शाखा, सिविल शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस0 एन0 चौबे)
लेखाधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:—आदेश—:

भोपाल, दिनांक, 25.6.1999

फा0क0 1/सी/एक्टोसिट/21—ब (दो), राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक

एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7 (1) के अनुसार नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलत अधिवक्ताओं को दिनांक 1.5.99 से निम्नानुसार शुल्क दिया जाना एतद् द्वारा नियत करता है :–

1– विशेष लोक अभियोजक (क) रूपये 150/–(रूपये एक सौ पचास प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये

(ख) रूपये 250/–(रूपये दो सौ पचास प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये ।

2– विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलत अधिवक्ता (क) रूपये 100/–(रूपये एक सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये ।

(ख) रूपये 200/–(रूपये दो सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये

2/– इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.7.97 में अंकित फीस से संबंधित अधिसूचना कमांक 17(ई)60/95/21–ब(दो) दिनांक 6.7.95 का उल्लेख एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है । शेष शर्ते यथावत रहेंगी ।

3/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन कमांक 544/एस. आर–225/चार–ब–6/99 दिनांक 5–7–99 द्वारा महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(शशि मोहन श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायीकार्य विभाग

पृ0क्रमांक 1/सी/एक्टोसिट/21–ब (दो), भोपाल, दिनांक, 25.6.1999

प्रतिलिपि :–

1– सचिव म0प्र0शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों, सहित भेजकर निवेदन है कि आदेश की एक प्रति महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित करने का कष्ट करें ।

2– उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु

3– जिला दण्डाधिकारी (समस्त) मध्यप्रदेश

4– समस्त जिला एवं स्रत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश

5– सचिव, आदिम जाति तथा अनुूसूचित जाति कल्याण विभाग,

6– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल

7– बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रवीण शाह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

फा0क0 3 (बी) 4283/978/99/21–क(सि.) भोपाल,
दिनांक 22.11.99

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,
समस्त संभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
म0प्र0

विषय :–उपभोक्ता फोरम में शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने हेतु नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं के देय फीस बावत ।

राज्य शासन, जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष चल रहे आवेदन/अपील में राज्य शासन कीर ओर से पक्ष समर्थन करने वाले अधिवक्ताओं के लिये निम्नलिखित दरों पर अधिवक्ता फीस दिया जाना निश्चित करता है :–

1– जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता शुल्क अधिकतम 1000/– रूपये

2– राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष प्रत्येक प्रकरण/अपील में अधिकतम अधिवक्ता फीस 2000/–रूपये

3– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण /अपील का निराकरण प्रारम्भिक स्थिति में बगैर साक्ष्य के होता है तो अधिवक्ता फीस आधी देय होगी ।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(जे0 के0 जैन)
22.11.99
उप सचिव,
म.प्र.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 21/11/06

फा0क्र0 17(ई)60/95/21–ब (दो), राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.06.1999 को अतिष्ठित करते हुये शासकीय अभिभाषक, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक तथा अशासकीय अभिभाषक पैनल लायर्स, जो शासकीय कार्य के लिये मध्यप्रदेश में नियुक्त किये जाते हैं, को दिनांक 01.10.2006 से निम्नलिखित दरों पर अभिभाषक शुल्क दिया जाना निश्चित करता है :–

(1) (अ) शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक	(क) रू0 250/–(रू0दो सौ पचास) एक घंटे से कम कार्य करने के लिये ।
	(ख) रू0 500/–(रू0 पांच सौ) प्रति दिन एक घंटे से अधिककार्य करने के लिये अधिकतम रू0 10,000/–(रू0 दस हजार प्रतिमाह)
(ब) अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक	(क) रू0 250/–(रू0दो सौ पचास) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये ।
	(ख) रू0 500/–(रू0 पांच सौ) प्रति दिन एक घंटे से अधिककार्य करने के लिये

	अधिकतम रू0 9,000/–(रू0 नौ हजार प्रतिमाह)
(स) शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक रिटेनर फीस	रू0 2000/– (दो हजार) प्रतिमाह

(2) शासकीय अभिभाषक/पैनल लायर्स जो शासकीय कार्य हेतु शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं ।

(1)	आपराधिक प्रकरणों में सत्र प्रकरणों/फौजदारी अपील पुनरीक्षण (सत्र न्यायालयों में)	(क) रू0 200/– (दो सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये ।
		(ख) रू0 400/–(रू0चार सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये
(2)	सत्र न्यायालयों में अकिंचन अभियुक्तों का पक्ष समर्थन हेतु शुल्क	रू0 400/–(रू0चार सौ) प्रति प्रभावी तिथि अधिकतम रू0 3000/– (रू0 तीन हजार) प्रति प्रकरण अंतिम निर्णय होने पर

निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालयीन कार्यवाही न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान देय नहीं होगा :–

(1) नियत तिथि को अचानक न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित होने पर,
(2) किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर,
(3) अभियुक्त/गवाह के अनुपस्थित होने के कारण ,

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या–29 न्याय प्रशासन 2014 न्याय प्रशासन कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 3572 मुफस्सिल स्थापना एवं ग्राम न्यायालय की मद–31–003 '' अभिभषकों की फीस'' के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

उक्त स्वीकृति आदेश में वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 1092/1593/06/ब–8 दिनांक 13.10.06 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है ।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(आर.के.पांडे)
21.11.06
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क्र0 17(ई)60/95/21–ब (दो), भोपाल, दिनांक 21.11.06
प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल बजट 8 मंत्रालय की ओर उनके यू.ओ.क्र. 1092/1593/06/बी–8 दिनांक 13.10.06 के संदर्भ मे सूचनार्थ अग्रेषित ।
(2) महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर,
(3) उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के अगले प्रकाशन में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु ।
(4) समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मध्यप्रदेश ।
(5) समस्त जिला दण्डाधिकारी मध्यप्रदेश ।
(6) समस्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, मध्यप्रदेश
(7) बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

21.11.06
(विनोद भारद्वाज)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
सशोधित परिपत्र

कमांक 17 (ई) 108/93/21–ब(दो)   भोपाल, दिनांक 28.9.1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,ग्वालियर,
समस्त विंभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :–श्रम न्यायालयों के प्रकरणों में नियुक्त होने वाले शासकीय अभिभाषकों को देये फीस के संबंध में ।

––––––––

उपरोक्त पिषयक इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 4.1.94 को निरस्त करते हुये राज्य शासन, श्रम न्यायालयों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने के लिये नियुक्त किये जाने वाले अभिभाषकों को इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित दरों पर अभिभाषक शुल्क दिया जाना निश्चित करता है :–

(अ) 1– (क) म0प्र0 औद्यौगिक संबंधी अधिनियम (1) वाद प्रश्न के निर्धारण तक
रूप्ये 500=0

(ख) औद्यौगिक विवाद अधिनियम (2) वाद प्रश्न के निर्माण से अंतिम निर्णय तक रू0 500/– परन्तु किसी भी स्थिति में कुल रू0 1000/– प्रति प्रकरण से अधिक नहीं है ।

2– (क) कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम प्रकरण के अंतिम निराकरण के पश्चात कुल रू0 300/– प्रति

(ख) राज्य कर्मचारी बीमा प्रकरण परन्तु साक्ष्य के पूर्व किसी
अधिनियम कारण वश प्रकरण किसी अन्य
(ग) मजदूरी भुगतान अधिवक्ता को हस्तांतरित किया
जाता अधिनियम है तो उस स्थिति में फीस अर्थात
रू0 (घ) न्यूनतम वेतन अधिनियम 150/– केवल ही देय होगी
।

3– (क) विभिन्न श्रम कानूनों के प्रति प्रकरण रू0
100/– केवल अंतर्गत वेतन
चलने वाले प्रकरण के अंतिम निराकरण उपरांत
फौजदारी प्रकरण
(संक्षिप्त स्वरूप के विचारण)

(ख) जिन आपराधिक प्रकरणों में प्रति प्रकरण रू0
250/– केवल
साक्ष्य अंकित की जावे ।
परन्तु साक्ष्य अंकित होने
के पूर्व
किन्हीं कारणों से
प्रकरण किसी अन्य
अधिवक्ता को हस्तांतरित किया
जाता है, तो उस स्थिति
में साक्ष्य अंकित कराये जाने के पूर्व के
अभिभषक को रू0 100/– केवल तथा
साक्ष्य अंकितकरने वाले अभिभषक को रू0
150/– केवल देय होगी ।

अ– औद्यौगिक विवाद अधिकरण प्रति प्रकरण रू0 1000/– केवल
के समक्ष सभी प्रकार के प्रकरण
अंतिम सूनवाई तक कार्य करने पर,

ब– श्रम न्यायालय द्वारा यदि किसी प्रकरण में उपरोक्त फीस से कम फीस (अभिभाषक शुल्क) प्रमाणित की जाती है, उस स्थिति में वही फीस देय होगी जो कम हो ।

स– श्रम न्यायालय तथा औद्यौगिक न्यायालय द्वारा यदि समान विषयों वाले मामलों को एक ही आदेश से अथवा एक ही समान अलग–अलग आदेशों से निराकृत किये जावें तो ऐसी स्थिति में

शासकीय अधिवक्ता, परिपत्र. में बताये अनुसार समान तथ्यों वाले दस अथवा दस से कम प्रकरणों के समूहों के लिये एक प्रकरण के लिये प्रभावशील शुल्क पाने का अधिकारी होगा ।

द– प्रत्येक रिमांड होने की दशा में शासकीय अधिवक्ता जिनके द्वारा पूर्व में उसी प्रकरण में पैरवी की है, द्वारा पैरवी की जावेगी तो उन्हें अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

ई– समान विषय वाले एक से अधिक प्रकरण एक ही शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किये जावेंगे । एक से अधिक अधिवक्ता की नियुक्ति की आवश्यकता पर प्रशासकीय विभाग ऐसे समान विषय वाले प्रकरणों में एक से अधिक अधिवक्ता को प्रतिनिधित्व की अनुमति कारण सहित दे सकता है ।

(टी0पी0शर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी
कार्य विभाग,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

आदेश

भोपाल,दिनांक 13जनवरी,.1993

फा0कमांक 1 (सी) 61/92/21–ब(दो) – दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (कमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश द्वारा अभियोजित संलग्न सूची में दर्शाये गये प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये निम्नलिखित अधिवक्ताओं को, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है :–

(1) श्री आर0 बी0 शुक्ला, अधिवक्ता, रायपुर,
(2) श्री ए0के0शर्मा, अधिवक्ता, रायपुर,
(3) श्री विनय वाजपेयी,, अधिवक्ता, रायपुर,
(4) श्री सी0एस0 नानावटी अधिवक्ता, इंदौर,
(5) श्री एम0 एल0 राठौर, अधिवक्ता, इंदौर,
(6) श्री एम0एस0 रेगे, अधिवक्ता, इंदौर,
(7) श्री के0 सी0शिवानी, अधिवक्ता, भोपाल,
(8) श्री डी0डी0 पारिख अधिवक्ता, भोपाल,
(9) श्री एम0 ए0 कुरैशी अधिवक्ता, भोपाल,
(10) श्री सागरमल चेलावत अधिवक्ता, मंदसौर,
(11) श्री गुलाम मौहम्मद, अधिवक्ता, जावद (मंदसौर)
(12) श्री बी0 पी0 गुप्ता अधिवक्ता, जबलपुर,
(13) श्री पी0 के0 तिवारी, अधिवक्ता, जबलपुर,
(14) श्री प्रभाकर रूसिया, अधिवक्ता, जबलपुर,
(15) श्री शील चंन्द्र जैन, अधिवक्ता, देवास,
(16) श्रीकैलाश नारायण गुप्ता, अधिवक्ता, उज्जैन,

2/– विशेष लोक अभियोजकों सत्र न्यायालय में पैरवी करने पर फीस रूप्ये 200=00 (रूपये दो सौ) केवल तथा सत्र न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने पर 100=00 (रूपये एक सौ) केवल प्रतिदिन की दर से न्यायालय के प्रमाणपत्र के आधार पर दी जावेगी । यदि एक दिन में एक न्यायालय में एक से अधिक प्रकरणों में पैरवी की जाती है तब भी प्रतिदिन एक ही प्रकरण की दर से फीस दी जायेगी । उन्हें प्रकरणों के संबंध में की जाने वाली यात्राा

के लिये राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष यात्रा भत्ता दिया जायेगा ।

3/— इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29—2014 न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 10 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियां (3572) मुफस्सिल स्थापना के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

4/— संबंधित विशेष लोक अभियोजक अपने देयक भुगतान हेतु सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विन्ध्याचल भवन, प्रथम तल, भोपाल को सीधे प्रस्तुत करेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए0 के0 सेलट)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ0कमांक फा01 (सी) 61/92/21—ब(दो) भोपाल,दिनांक 13जनवरी,.1993

प्रतिलिपि :—

(1) उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल (म0प्र0 राजपत्र के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशन हेतु)
(2) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर,
(3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर,
(4) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल,
(5) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर,
(6) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,
(7) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर,,
(8) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर,,
(9) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन,
(10) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

आदेश

भोपाल,दिनांक 25–6–1999

फा0कमांक 1 (सी) 61/92/21–ब(दो) – दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, के प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को दिनांक 1.5.99 से निम्नानुसार अभिभाषक शुल्क दिया जाना निश्चित करता है :–

2. सत्र न्यायालय में पैरवी करने पर फीस रूपये 400/–(रूपये चार सौ) केवल प्रतिदिन तथा सत्र न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने पर रूपये 200 (रूपये दो सौ) केवल प्रतिदिन की दर से न्यायालय के प्रमाणपत्र के आधार पर देय होगी । यदि एक दिन में ही एक ही न्यायालय में एक से अधिक प्रकरणों में पैरवी की जाती है तो भी प्रतिदिन एक ही प्रकरण की दर से फीस देय होगी । उन्हें प्रकरणों के संबंध में की जाने वाली यात्रा के लिये राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समकक्ष यात्रा भत्ता देय होगा ।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29–2014 न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता–10 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियां (3572) मुफस्सिल स्थापना के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

4. यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 544/एस.आर–255/चार–ब–6/99 दिनांक 5–7–99 द्वारा महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित किया गया ।

5. संबंधित विशेष लोक अभियोजक अपने देयक भुगतान हेतु सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग विन्ध्याचल भवन, प्रथम तल, भोपाल को सीधे प्रस्तुत करेंगे ।

6. इस विभाग की फीस संबंधित समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जनवरी 1993 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(प्रवीण शाह)
उप–सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

आदेश

भोपाल,दिनांक 1–1–2001

फा0कमांक 1 (सी) एक्टोसिट / 21–ब(दो), इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25–6–99 के अनुक्रम में राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये दिनांक 1–1–2001 से निम्नानुसार शुल्क दिया जाना नियत करता है :–

1— विशेष न्यायालयों में अंकिचन रूपये 200/—(रूपये दो सौ)
प्रति अभियुक्तों को पक्ष समर्थन प्रभावी तिथि, अधिकतम रूपये
हेतु शुल्क (यदि विशेष न्यायालय 1500/—(रूपये एक हजार
पांच सौ) में कोई सत्र न्यायाधीश
का प्रति प्रकरण अंतिम निराकरण तक
का ही न्यायालय है)

2— यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 24/आर. 33/चार/ 6/2001 दिनांक 19.1.2001 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित की गई है ।

मध्यप्रदेशके राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(शशि मोहन श्रीवास्तव)
अतिरिक्त— सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ0कमांक 1 (सी) एक्टोसिट/21—ब(दो),भोपाल,दिनांक 1—1—2001
प्रतिलिपि :—

1— सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्राालय भोपाल की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि आदेश की एक प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, की ओर पृष्ठांकित करने का कष्ट करें ।

2— उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।

3— जिला दण्डाधिकारी (समस्त) मध्यप्रदेश

4— समसत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश ।

5— सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्राालय भोपाल ।

6— प्रमुख सचिव मध्य्रपदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय भोपाल,

7— बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(जे0 के0 वैद्य)
उप–सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी, कार्य विभाग,

CHART SHOWING VARIATION IN THE TIME SCHEDULE FOR APPOINTMENT TO THE POST OF CIVIL JUDGE (JUNJIOR DIVISION) ENTRY LEVEL BY DIRECT RECRUITMENT.

S.No.	Description	Date fixed by the Hon'ble Court vide order dated 4.1.2007	Proposed variationin the time schedule
1.	No. of vacancies to be notified by the High Court, Vacancies to be calculated including e) existing vacancies f) future vacancies that may arise within one year odue to retirement g) future vacancies that may arise due to promotion, death or otherwise, say ten percent of the onumber of posts h)	15 January	No change required
2.	Advertisement inviting applications from eligible candidates	01st February	26 Feb to 28 Feb 2007
3.	Last date for receipt of application	01st March	30 Mar 2007
4	Publication of list elilgible applicants.	02nd April	16.04.2007

5.	The list may be put on the website Despatch/issue of admit cards to the eligible applicants	02nd to 30th April	By 30th April,2007
6.	Preliminary written examination Objective questions with omultiple choice which can be scrunitized by computer	15th May 2007	27th May2007
7 to 13 required		No change	

Addl.Secretary (Judiciala & Law Affars)
Government of Madhya Prades

ASHOK KUTUMBALE
Addl Advocate General
M.P.Bench, INDORE

Office of the Advocate General
High Court of M.P.Bench, INDORE

Tel: (O) 2510139, 2524755, 2524756
Fax: 2528847
Tel: (R) 2543389, 2530450

D.O.No.7943 Date 20.6.2007

To,
1. The Principal Secretary,
Law and Legislative affairs Department,
Vindhyachal Bhawan, Bhopal

2. The General Administration Department,
Vallabh Bhawan, Bhopal.

Sub: Regarding delayed filing of the Writ Appeals before the Hon'ble High Court of M.P., Bench at Indore.

I am constrained to wirte this letter after having an experience that in most of the Wirt Appeals, which are being preferred before the Hon'ble Division Bench of this Hon'ble Court against the order/judgement of the Hon'ble Single Judge, with delay of more than 2-3 years. In most of the cases the delay which is being caused is due to late approval to file Writ Appeals against the orders of the Hon'ble Single Judge passed under Article 226 of the Constitution of India. I have also experienced that it is very difficult to explain such inordinate delay many times, due to which now a days the Hon'ble Court (D.B) has started dismissing the appeals on the ground of limitation many times despite very important points involved in the appeals, the State fails to succeed in getting the issue decided favourably due to late filing of appeals.

In my opinion if immediate action is taken while granting permission to file appeals and other formalities are completed by the concerning Department then in that event the Government Advocates appearing on behalf of the State would be able convince the Hon'ble Court on the main issue involved in the Writ Apeals. Therefore, it is essential to give strict directions to all the Department concerned, so that the officer in charge of the cases would take immediate steps in pursuing the matter for taking proper steps regarding filing of Writ Appeals including the permission from the Law Department in time to avoid unnecessary complications. I may have a liberty to metnion that above said steps are also to be taken in the larger interest of the State, so that the huge amount of revenue can be saved. I am sure, immeidate actions in this regard would be taken immediately and all other Government Departments would also be informed to take immediate and prompt steps regarding filing of Writ Appeals, so that the same may not be dismissed on the ground of limitation at least.

I also suggest that it would be proper to direct the concerned Departments to apply for 3 certified copies, One by urgent mode and other two by ordinary mode, and after receipt of one certified copy, the same may be processed for appropriate sanction from your end, and after getting sanction, the certified copy applied for may be obtained and the same may be filed alongwith appeal memo. Similar

direction, as mentioned above deserves to be followed with respect to matter arising out of the judgment from the District Court also.

(A.S.KUTUMBALE)
ADD.ADVOCATE GENERAL,
INDORE.

.